जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN 2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड एक मध्य हिमालयी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। जनपद टिहरी गढ़वाल जोन 5 व 6 में स्थित होने के कारण इन आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। आपदायें आकस्मिक होती है। जिनसे जानमाल एवं सम्पत्ति का नुकसान होता है। इन आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिय पूर्व तैयारियों की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत जनपद की समस्त संभावित आपदाओं से निपटने हेतु इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। जिससे आपदा के पिछले अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौतिक, मानवीय, विभागीय एवं संस्थागत संसाधनों के समावेश के साथ–साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक होती है। साथ ही इस कार्ययोजना का मूल्यांकन हर वर्ष आने वाली नई समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भी किया जाना होगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहें।

आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तम एवं प्रभावी यंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा–आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिये समुदाय (संगठनों) को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्याहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समस्त अधिकारी एंव कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

शुभकामनाओं सहित,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
टिहरी गढ़वाल।

जनपद टिहरी गढ़वाल सीमान्त जनपद है, यह जनपद हिमालय क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील जोन के अर्न्तगत है। इस जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट) व प्रमुख सीमावर्ती आघात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) निकल रही है। जनपद में उत्तराखण्ड राज्य के चार धामों में से दो धाम गंगोत्री तथा यमुनोत्री स्थित है। माह मई से अक्टूबर में मध्य तक जनपद टिहरी गढ़वाल में तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है तथा जून से अक्टूबर के मध्य मानसूनकाल भी रहता है। जिसके कारण सड़क दुर्घटनायें एवं भूस्खलन की घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है।

इन आपदाओं के निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्ययोजना के साथ–साथ ब्लॉक व ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना एवं कार्यदलों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, कि आपदाओं को रोका नही जा सकता है। परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं को समग्र जनसहभागिता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटि के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है।

बचाव एवं राहत कार्य की सफलता मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। किन्तु फिर भी इस योजना की सूचनायें किसी भी आपदा के लिये अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखण्ड की हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके निर्माण तथा समायोजन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 200 से 7000 मीटर की उंचाई वाला संसाधन सम्पन्न यह भू–भाग आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। इसी भू–भाग में स्थित है। जनपद में कुल 12 तहसीलें, 02 उप तहसील तथा 09 विकासखण्ड है।

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस नैसर्गिक जनपद टिहरी गढ़वाल में भी आपदाओं में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की तरफ विश्व के अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शौधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर किया है। विगत शताब्दियों से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन 4 व 5 में आता है।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता के चलते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यही वजह है कि गांव–गांव तक लोगों को आपदाओं के वक्त सचेत करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहें है। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया गया है। युवाओं तथा महिलाओं के साथ पंचायतों को इस दिशा में सजग किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है, कि हम आपदाओं से नित्य जूझने की मानसिकता तैयार करें व अपनी जीवन शैली को भूकम्परोधी बनाये। हालांकि अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं। यहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पायी है। इस पक्ष को आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ आम आदमी को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को सत्त जारी रखने के लिए हमें उन उपयों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होन वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। किन्तु फिर भी इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (District Disaster Management Action Plan) की सूचनायें किसी भी आपदा के लिय अवश्य ही सहायक होगी।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना, 2026

मार्गदर्शनः–

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
/जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

पर्यवेक्षणः–

अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन :–

श्री बृजेश भट्ट
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

सहयोग एवं परामर्शः–

समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।

अद्यतन कार्यः–

16 दिसम्बर, 2025

कार्ययोजना तैयारकर्ताः–

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एंव
आपातकालीन परिचालन केन्द्र, टिहरी गढ़वाल।

विषय–सूची

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ
	अध्याय– 01 **जनपद एक दृष्टि में (Introduction)**	
1.1	जनपद का ऐतिहासिक परिचय	1–17
1.2	जनपद की प्रशासनिक संरचना (डी.डी.एम.पी. के उद्देश्य एवं औचित्य, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के अधिकार, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास – हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियाँ, योजना का उपयोग, पूर्व चेतावनी संकेत एवं बिना चेतावनी वाली घटनाएँ, योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया, संशोधन एवं रखरखाव)	
1.3	आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य	
1.4	2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण	
1.5	जलवायु एवं वर्षा	
1.6	भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति	
1.7	प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा	
1.8	खनिज संसाधन	
1.9	भूमि उपयोग एवं भूमि वर्गीकरण	
	अध्याय–02 **खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन** **(Hazard, Risk, Vulnerability, and Capacity Assessment)**	
2.1	जनपद प्रोफाईल	18–29
2.2	जनपद कि भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु	
2.3	जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर	
2.4	जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स	
2.5	जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण – भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	
2.6	जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण	
2.7	पुर्नवासित एंव पुनर्वास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण	
	राष्ट्रीय राजमार्ग सवेंदनशील स्थल	
	वनाग्नि अग्निकांड	
	अध्याय– 03 **आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें** **(Intuitional Arrangements for Disaster Management)**	
3.1	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	30–47
3.2	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	
3.3	जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ
	अध्याय– 04 **रोकथाम और शमन उपाय /आपदा जोखिम न्यूनीकरण** **(Prevention and Mitigation Measures)**	
4.1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य	48–51
4.2	पर्यावरणीय संवेदनशीलता. (भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध, त्वरित बाढ़ / जलभराव, भूकंप, वनाग्नि, बाढ़ बादल फटना, सड़क दुर्घटनाएँ, हिमपात)	
4.3	राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना	
4.4	राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना	
4.5	सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण'	
4.6	समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य	
4.7	समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निश्मन एवं निकासी योजना	
4.8	नीति और शासन	
	अध्याय–5 **तैयारी के उपाय (Preparedness Measures)**	
5.1	तैयारी उपायों का उद्देश्य	52–81
5.2	जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची	
5.3	राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC)	
5.4	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC)	
5.5	स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ	
5.6	आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान	
5.7	विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response)	
5.8	विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन	
5.9	जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना	
5.10	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.11	लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन	
5.12	चेतावनी प्रणाली का परीक्षण	
5.13	जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र(DEOC)का परीक्षण	
5.14	मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण	
5.15	जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान	
5.16	गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय	
5.17	जन हानि प्रबंधन (Mass Casualty Management)	
5.18	राहत, भोजन और पानी	
5.19	आश्रय/ चिकित्सा/ राहत शिविर	
5.20	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आपातकालीन अलर्ट सिस्टम,सायरन,सैटेलाईट फोन हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर)	
5.21	विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी	

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ
5.22	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.23	संचार तंत्र (दूरसंचार सेवाएँ रेडियो और टेलीविजन इंटरनेट और सोशल मीडिया)	
	अध्याय– 06 **क्षमता विकास एंव प्रशिक्षण (Capacity Building and training Measures)**	
6.1	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य	
6.2	प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर	
6.3	मॉक ड्रिल का आयोजन एंवअपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा	
6.4	जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण	82–87
6.5	आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न जनपद स्तरीय अधिकारीयों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता वृद्धि	
6.6	जनपद में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में से प्राप्त अनुभव प्राप्त सुझाव	
	अध्याय– 07 प्रतिक्रिया एंव राहत उपाय **(Response and Relief Measures)**	
7.1	राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य	
7.2	प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन	
7.3	आपदाओं के स्तर	
7.4	जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsbility Matrix)का विकास	
7.5	आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व	88–96
7.6	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरणः	
7.7	तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण	
	अध्याय– 08 **आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय** **(Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures)**	
8.1	परिचय	
8.2	पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण	
8.3	पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व	
8.4	क्षति आंकलन प्रक्रिया	97–98
8.5	लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य	
8.6	दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां	
	अध्याय– 09 **आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था** **(Financial Resources For Implementation of DDMP)**	
9.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ	
9.2	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष	99–101
9.3	राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ	
9.4	तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno & Financial Regime)	
9.5	अन्य वित्तीय विकल्प	

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ
	अध्याय– 10 **डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली** **(Procedure And Methodology For Monitoring Evaluation, Updation And Maintenance)**	102–106
10.1	परिचय	
10.2	डीडीएमपी को रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी	
10.3	डीडीएमपी की उचित निगरानी और मूल्यांकन	
10.4	डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र	
10.5	डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची	
10.6	डीडीएमए/एसडीएमए वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना	
10.7	मॉक ड्रिल का आयोजन	
10.8	निगरानी और अंतराल मूल्यांकन	
164	**अध्याय–11** **डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र** **(Coordination Mechanism for Implementation of DDMP)**	107–108
11.1	अंतर–विभागीय समन्वयः	
11.2	विकासखण्ड स्तरीय समन्वय तंत्र	
11.3	जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली	
11.4	समुदाय के साथ समन्वय तंत्र	
11.5	एनजीओ, सीबीओ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ समन्वय तंत्र	
11.6	अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय	
167	**अध्याय–12** **मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट** **(Standard Operation Procedures and Check list)**	109–131
12.1	पूर्व चेतावनी प्रबंधन	
12.2	पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी	
12.3	जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी	
12.4	खोज और बचाव	
12.5	राहत कार्य	
12.6	आवश्यक सेवाओं की बहाली	
12.7	शव निपटान	
12.8	सूचना एवं मीडिया प्रबंधन	
12.9	वीआईपी विजिट प्रबंधन	
12.10	राहत शिविरों की स्थापना	

अध्याय–1

जनपद परिचय (Introduction)

विजन–प्राकृतिक आपदा में जनपद की स्थित/गतिविधियों को तत्काल सामान्य करने की क्षमता का विकास करना एवं जनजीवन/आजीविका/परिसम्पत्तियों/पर्यावरण/आर्थिक/शारीरिक/सामाजिक/सांस्कृतिक क्षति को न्यून करने की क्षमता को प्रशासनिक/स्थानीय स्तर पर विकसित करना।

उद्देश्य–भली–भांति परिभाषित कार्ययोजना के अभाव में प्राकृतिक आपदा के समय अफरा–तफरी का माहौल हो सकता है। अतः प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कार्य किये जाने हेतु एक सुनियोजित कार्ययोजना अति आवश्यक है। जिससे प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न राजकीय एवं निजी संस्थाओं के समन्वय एवं सहयोग से जन–धन की हानि को कम करते हुए कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता हैः–

(क) विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यदायी संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपना ।

(ख) उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी प्रबन्धन।

(ग) आपदा के समय विभिन्न सरकारी विभागों एवं राहत संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना एवं सांकेतिक भाषा का विकास करना।

नीतिः–जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को विकसित कर जनपद में जीवन, पर्यावरण एवं सम्पत्ति को बचाना, प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्रतम राहत पहुंचाना तथा सामान्य स्थिति को जल्द से जल्द बहाल करना है। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग जनता के सहयोग से किया जाना है।

विषयः–राष्ट्रीयआपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना निम्न बिन्दुओं को समाहित किया गया है–

(क) आपदाओं के रोकथाम अथवा उनके प्रभावों को कम किये जाने हेतु उपाय।

(ख) विकास योजनाओं को आपदा न्यूनीकरण के अनुरूप एकीकरण करने के उपाय।

(ग) आपदा तैयारी एवं क्षमता के विकास को आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उपाय।

(घ) उपरोक्त तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागों की भूमिकायें/उत्तरदायित्व।

क्षेत्रः–जनपद अन्तर्गत समस्त आपदा सम्भावित एवं प्रभावित ग्राम/विकासखण्ड।

सेंडाई फ्रेमवर्कः–आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015–2030) के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे 14 से 18 मार्च, 2015 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सेंडाई, जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क के लिये क्रियान्वयकन हेतु निम्न 04 प्राथमिकतावार बिन्दु है–

1. आपदा जोखिम को समझना।
2. आपदा जोखिम प्रबन्धन तंत्र को मजबूत करने के लिये आपदा प्रबन्धन प्रशासन को सुदृढ़ बनाना।
3. आपदा प्रतिरोध में निवेश करना।
4. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिये रिकवरी, पुनर्वास और पुर्ननिर्माण में Build Back Better और आपदा तैयारियों को बढाना।

सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वैश्विक लक्ष्यः—सेंडाई फ्रेमवर्क के परिणाम एवं उपरोक्त बिन्दुओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2030 तक के लिए निम्न सात वैश्विक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है—

1. औसत वैश्विक मृत्यु दर को कम करना।
2. वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की औसत संख्या को कम करना।
3. सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना।
4. स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढॉचे और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करना।
5. राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धी करना।
6. उक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिये अपने राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सत्त समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
7. मल्टी—हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं आपदा जोखिम की जानकारी तथा आंकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धी करके लोगों की पहुॅच इन तक सुनिश्चित करना।

डी.डी.एम.ए.पी. में सेंडाई फ्रेमवर्क को एकीकृत करनाः—जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना, संडाई फ्रेमवर्क में व्यक्त किये गये मुख्य उद्देश्यों को सम्मिलित करता है तथा जनजीवन, व्यवसाय, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय, सम्पत्तियों को एकीकृत करता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धनः— आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा भूस्खलन/भूकम्प/बादल फटना/हिमस्खलन/शीतलहर/त्वरित बाढ/सूखा आदि से होने वाली क्षति को नैतिक सिद्धान्त से न्यून करना है।

आपदा की गम्भीरता इस बात पर निर्भर करती है कि उस आपदा से समाज व पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपदा प्रबन्धन को आपात स्थित के सभी मानवीय पक्षों से निपटने के लिये संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबन्धन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

आपदाओं के स्तरः—जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व के घटित आपदाओं के दृष्टिगत भूस्खलन, बादल फटना, भूकम्प,हिमस्खलन/शीतलहर,त्वरित बाढ़, सूखा,आधी/तूफान एवं वनाग्नि आपदाओं की सम्भावना बनी रहती है। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न्न स्तर पर इस की योजना के मध्यनजर आपदा ग्रस्त क्षेत्र एवं स्थिति से निपटने के लिये उच्चस्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति की आख्या 2001 के अनुसार आपदाओ को तीन भागों क्रमशः L1, L2 एवं L3 में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य अवधि में L0 का उपयोग किया जाना चाहिये।

L1- घटित आपदाका वह स्तरजिसमें जनपद में उपलब्ध संसाधनों/क्षमता से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन किया जाना सम्भव हो।राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यकता पड़नेपर सहायता हेतु तैयाररहेगा।

L2- यह आपदा की स्थिति का प्रतीक है जिसमें जनपद में अन्य जनपदों एंव राज्य स्तर से सहायता की आवश्यकता होती है। जिसमें राज्य स्तर से अतिरिक्त संसाधनों एंव राज्य स्तरीय ऐजेन्सियों की तैनाती की जाती है एंव राज्य सरकार केन्द्रीय संसाधनों एंव ऐजेन्सियों को आवश्यकता पड़ने हेतु सर्तक किया जाता है।

L3- यह बहुत बड़े स्तर की आपदा की स्थिति है, जिसके प्रभावों को जनपद एवं राज्य स्तर के उपलबध संसाधनों से प्रबन्धन किया जाना संभव नहीं होता है। आपदा के स्तर L0 से L3 का उल्लेख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में नहीं किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा सूचित करने का कोई प्रविधान नहीं है।

1.1 जनपद का ऐतिहासिक परिचय—

1.1— प्रशासनिक ढांचा—जनपद का क्षेत्रफल 4080 वर्ग कि०मी० है। जनपद में 12 तहसीलें, 02 उप तहसीलें 09 विकास खण्ड, 1034 ग्राम पंचायते तथा कुल राजस्व ग्राम 1862, आबाद ग्राम 1786, गैर आबाद ग्राम 51,न्याय पंचायत 75, 12 पुलिस थाने व 24 पुलिस चौकियां सृजित हैं।

1.2— जनपद का ऐतिहासिक परिचय— यें प्राकृतिक एवं मानवजनित प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति में होने वाले बदलाव, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिक विकास के साथ ही अन्य अनेक कारण हैं जिनसे प्राकृतिक आपदाओं के साथ—साथ मानव जनित आपदाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले एक शताब्दी के दौरान ही

विश्वभर में 4 करोड़ लोग आपदाओं का शिकार हो गये जिनमें से एक करोड़ केवल भारत वर्ष के हैं। नवीन तकनीकी के विस्तार के साथ यद्यपि विश्व स्तर पर आपदाओं से होने वाली जनहानि में कमी आयी है किन्तु उनसे होने वाली आर्थिक क्षति कई गुना अधिक बढ़ गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में तकनीकी अभाव के कारण स्थिति जस की तस है।

भारत का हिमालयी क्षेत्र नवीन पर्वत श्रंखला होने के कारण अनेक भौगोलिक परिवर्तनों से गुजर रहा है तथा आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। इस क्षेत्र में आये पिछले भूकम्पों जिनमें 1905 में आया कांगडा का भूकम्प जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई, भी सम्मिलित है ने विकास और प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने के संकेत दिये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य अपनी विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सूक्ष्म पारिस्थितिकीय बदलाव के प्रति संवेदनशील है। अतः कोई भी ऐसी क्रिया जो कि प्रकृति के विरूद्ध हो आपदा को जन्म देती है। राज्य में टिहरी गढ़वाल एक बहुआपदा ग्रस्त जनपद है, भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, मेघ–प्रस्फोट एवं त्वरित बाढ़ जनपद में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदायें हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि, भूमि कटाव, सूखा, ओलावृष्टि, वज्रपात तथा शीत का प्रकोप है। मानवजनित आपदाओं में सड़क दुर्घटनायें प्रमुख है। भारत के भूकम्प मानचित्र के अनुसार जनपद का अधिकतर भाग जोन IV में आता है एवं जनपद के अन्तर्गत तहसील घनसाली पूर्ण रूप से व तहसील देवप्रयाग के ब्लाक कीर्तिनगर का कुछ भाग जोन V में आता है। जनपद के अन्तर्गत तहसील घनसाली भूस्खलन व मेघ विस्फोट (Cloud Brust) की दृष्टि से भी अतिसंवेदनशील है। विगत दशकों में इस तहसील ने प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक क्षति उठाई है।

उत्तराखण्ड का आपदा प्रबन्धन तंत्र राज्य में आपदा की स्थिति के नियोजन को सम्बोधित करता है। जिला आपदा कार्य योजना का निर्माण जिला स्तर पर बहुआपदा प्रतिक्रिया तंन्त्र की आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास है। जिला आपदा कार्य योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण उपायों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

1.2 जनपद की प्रशासनिक संरचना (डी.डी.एम.पी. के उद्देश्य एवं औचित्य, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के अधिकार, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास – हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियाँ, योजना का उपयोग, पूर्व चेतावनी संकेत एवं बिना चेतावनी वाली घटनाएँ, योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया, संशोधन एवं रखरखाव)

जनपद टिहरी की आपदा प्रबंधन योजना का प्रमुख उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करना, जन–जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा प्रशासनिक एवं सामुदायिक स्तर पर समन्वित आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अंतर्गत तैयार की गई है, और इसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया (Response) तक सीमित नहीं, बल्कि निवारण (Prevention), न्यूनीकरण (Mitigation), तैयारी (Preparedness) और पुनर्वास (Recovery) को भी समाहित करता है।

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction):**
प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करने हेतु भौगोलिक, संरचनात्मक एवं सामाजिक उपायों का क्रियान्वयन करना।
2. **संवेदनशीलता आकलन (Vulnerability Assessment):**
जनपद के विभिन्न क्षेत्रों, अवसंरचनाओं एवं समुदायों की आपदा संवेदनशीलता का मूल्यांकन एवं जोखिम मानचित्रण तैयार करना।
3. **तैयारी एवं प्रतिक्रिया (Preparedness & Response):**
आपदा के दौरान त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभागीय योजनाएँ, नियंत्रण कक्ष (EOCs), और प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
4. **संसाधन प्रबंधन (Resource Management):**
उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, सूचीकरण और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।
5. **समुदाय आधारित प्रबंधन (Community&Based Management):**
"आपदा मित्र" एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जमीनी स्तर तक पहुँचाना।

6. पूर्व चेतावनी एवं संचार प्रणाली (Early Warning & Communication):
समयबद्ध चेतावनी, सूचना प्रसारण और तकनीकी साधनों के माध्यम से जान–माल की हानि को न्यूनतम करना।

7. पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Recovery & Rehabilitation):
प्रभावित जनसमुदाय को शीघ्र सामान्य जीवन में लौटाने के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करना।

8. प्रशासनिक समन्वय (Administrative Coordination):
सभी विभागों, निकायों एवं हितधारकों के मध्य आपदा प्रबंधन कार्यों में एकीकृत दिशा एवं समन्वय स्थापित करना।

9. नीति एवं प्रशिक्षण (Policy & Capacity Building):
राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप विभागीय स्तर पर क्षमता विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।

10. सतत समीक्षा एवं अद्यतन (Continuous Review & Updating):
योजना को Living Document के रूप में बनाए रखना ताकि नवीन अनुभवों, प्रौद्योगिकी और नीतियों के अनुरूप इसे अद्यतन किया जा सके।

1. अधिकार का विधिक आधार (Legal Framework of Authority):

जिला आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan – DDMP) की वैधानिक मान्यता और अधिकारिता आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) से प्राप्त होती है। यह अधिनियम केंद्र एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल में DDMA की अध्यक्षता जिलाधिकारी (District Magistrate) द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी (CDO) उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। योजना की तैयारी, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2. संबंधित वैधानिक प्रावधान (Statutory Provisions):

1. **धारा 31(1):** प्रत्येक जिला प्राधिकरण (DDMA) अपने जनपद के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास से संबंधित विस्तृत प्रावधान होंगे।

2. **धारा 31(2):** यह योजना जिला के सभी विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों और एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी।

3. **धारा 31(4):** तैयार योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात यह योजना विधिक रूप से लागू होगी।

4. **धारा 31(6):** सभी विभागों और एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने विभागीय कार्यों को क्क्डच के अनुरूप संचालित करें।

5. **धारा 31(7):** DDMA यह सुनिश्चित करेगा कि योजना को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाए और किसी प्रमुख आपदा के पश्चात आवश्यक संशोधन सम्मिलित किए जाएँ।

3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अधिकारिता: जनपद टिहरी गढ़वाल में गठित DDMA को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

तालिका 1.1

क्र.सं.	अधिकार / जिम्मेदारी
1	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं प्रकाशन।
2	सभी विभागों, एजेंसियों एवं संस्थाओं को योजना के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना।
3	आपात स्थिति में सभी संसाधनों, जनशक्ति एवं अवसंरचनाओं का नियंत्रण एवं पुनः आवंटन करने का अधिकार।
4	राहत, बचाव एवं पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन।
5	सामुदायिक भागीदारी एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन।
6	वार्षिक समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया का संचालन।
7	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को प्रगति रिपोर्ट एवं सुझाव प्रेषित करना।

4. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से संबंध (Linkage with State and National Levels):

- राष्ट्रीय स्तर (NDMA): NDMA द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, नीतियों एवं SOPs के अनुसार DDMP तैयार किया जाता है।
- राज्य स्तर (SDMA): SDMA DDMP को अनुमोदित करता है तथा तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- जिला स्तर (DDMA): DDMA योजना का स्थानीयकरण (Localization) कर जनपद की भौगोलिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसे लागू करता है।

5. योजना की बाध्यता (Binding Nature of the Plan):

- जिला आपदा प्रबंधन योजना कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज (Legally Binding Document)है।
- सभी विभागों, निकायों, संस्थाओं एवं निजी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यों एवं योजनाओं को DDMPके अनुरूप संचालित करें।
- आपदा की स्थिति में DDMA द्वारा जारी दिशा–निर्देश प्रशासनिक आदेश के समान प्रभावी होंगे।
- किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी/विभाग के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

योजना की वैधानिक जिम्मेदारियाँ (Legal Responsibilities under DDMP):

तालिका 1.2

जिम्मेदारी	उत्तरदायी संस्था
योजना निर्माण एवं संशोधन	DDMA टिहरी गढ़वाल
तकनीकी मार्गदर्शन	SDMA / NDMA
विभागीय समन्वय	CDO, ADM (विकास), सभी विभागाध्यक्ष
आपात सूचना संचार	DEOC (District Emergency Operation Centre)
समीक्षा एवं अनुमोदन	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, DDMA)

आपदा प्रबंधन एक बहु–आयामी एवं बहु–विभागीय प्रक्रिया है। इसमें केवल जिला प्रशासन ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों, अर्ध–सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, मीडिया, निजी क्षेत्र और आम नागरिकों की भी समान भूमिका होती है। इसलिए "जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)" का मूल सिद्धांत है —

"आपदा प्रबंधन, सबकी जिम्मेदारी।"

जनपद टिहरी गढ़वाल में DDMP को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं ताकि आपदा की प्रत्येक स्थिति में समन्वित एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

3. हितधारकों के बीच समन्वय (Coordination Mechanism):

- सभी विभागों के Nodal Officers dks DDMA के माध्यम से आपात स्थिति में एकीकृत किया जाता है।
- DEOC (District Emergency Operation Centre) सभी संचार का केंद्रीय बिंदु होता है।
- Control Room Network तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक सक्रिय रहता है।
- Apda Mitra और NGOs के माध्यम से समुदाय को तत्काल सूचना और सहायता मिलती है।

4. सामुदायिक भागीदारी (Community Participation):-

- ग्राम स्तर पर Village Disaster Management Committees (VDMCs) गठित की जाती हैं।
- इन समितियों में प्रधान, ग्राम सचिव, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, शिक्षक, एवं स्थानीय स्वयंसेवक शामिल रहते हैं।
- "आपदा मित्र योजना" के तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपदा के दौरान प्राथमिक सहायता और राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक गतिशील, क्रियाशील और बहुउद्देशीय दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य केवल दिशा–निर्देश देना नहीं बल्कि प्रशासनिक, विभागीय एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का व्यावहारिक संचालन सुनिश्चित करना है। यह योजना तीनों चरणों कृ पूर्व आपदा (Pre-Disaster), आपदा के दौरान (During Disaster) और आपदा के बाद (Post-

Disaster)— में उपयोग की जाती है। प्रत्येक चरण में यह दस्तावेज विभागीय कार्यों, निर्णय प्रक्रियाओं, संसाधन प्रबंधन और समन्वय व्यवस्था के लिए आधारभूत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

योजना के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of Plan Utilization):

1. आपदा जोखिमों को कम करने हेतु पूर्व तैयारी और संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक उपायों का क्रियान्वयन।
2. आपदा के दौरान प्रशासनिक, तकनीकी और सामुदायिक स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच Command and Control Mechanism को स्पष्ट करना।
4. राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों को एकीकृत नीति के अंतर्गत संचालित करना।
5. सभी हितधारकों को उनकी भूमिकाओं, संसाधनों और उत्तरदायित्वों की जानकारी प्रदान करना।
6. राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन ढाँचा सुदृढ़ बनाना।

योजना का उपयोग – तीनों चरणों में (Use of DDMP Across Disaster Phases):

(i) पूर्व आपदा चरण (Pre-Disaster Phase):

इस चरण का मुख्य उद्देश्य है — जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी और जागरूकता।

मुख्य उपयोग:

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान (Hazard Mapping)
- संसाधन सूची (Inventory) और आपात सम्पर्क सूची का अद्यतन
- प्रशिक्षण, सिमुलेशन एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल का आयोजन
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDRM) गतिविधियों का संचालन
- सूचना संचार एवं चेतावनी प्रणाली की जाँच और परीक्षण

(ii) आपदा के दौरान (During Disaster Phase):

इस चरण में योजना का उद्देश्य है कृ त्वरित प्रतिक्रिया और राहत संचालन।

मुख्य उपयोग:

- Incident Command System(ICS) का सक्रियण
- विभागीय Emergency Support Functions(ESFs) की तैनाती
- Search & Rescue, राहत वितरण और चिकित्सा सहायता का प्रबंधन
- संसाधनों का पुनर्वितरण और आवागमन नियंत्रण
- DEOC के माध्यम से रीयल–टाइम सूचना प्रवाह और मीडिया प्रबंधन

(iii) आपदा के पश्चात (Post-Disaster Phase):

इस चरण में योजना का उपयोग पुनर्निर्माण और पुनर्वास हेतु किया जाता है।

मुख्य उपयोग:

- क्षति आकलन रिपोर्ट (Damage & Needs Assessment) तैयार करना
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं को लागू करना
- प्रभावित परिवारों को राहत वितरण और सहायता प्रदान करना
- "Build Back Better" सिद्धांत के अनुसार अवसंरचना पुनर्स्थापन
- आपदा से मिली सीख के आधार पर योजना का सुधार और अद्यतन

4. विभागीय स्तर पर योजना का उपयोग (Departmental Application):

तालिका 1.4

विभाग	योजना के उपयोग का स्वरूप
राजस्व विभाग	राहत सामग्री वितरण, क्षति आकलन, मुआवजा प्रदान करना।
स्वास्थ्य विभाग	आपात चिकित्सा सेवाएँ, एम्बुलेंस प्रबंधन, प्राथमिक उपचार।

पुलिस विभाग	कानून व्यवस्था नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, खोज एवं बचाव।
PWD / जल संस्थान/विद्युत विभाग	संपर्क मार्गों, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति की शीघ्र बहाली।
शिक्षा विभाग	स्कूलों में आपदा शिक्षा, मॉक ड्रिल एवं अस्थायी राहत शिविर संचालन।
ICDS / महिला एवं बाल विकास	महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों की देखरेख और पोषण सहायता।
Forest / Fire Services	जंगल की आग, भूस्खलन एवं वन क्षेत्रों में राहत कार्य।
NGOs / Apda Mitra / CBOs	सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, प्राथमिक राहत, और मानव संसाधन सहयोग।

5. सामुदायिक स्तर पर योजना का उपयोग (Community&Level Application):

- ग्राम स्तर पर VDMC (Village Disaster Management Committee) के माध्यम से आपदा पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण, संसाधन सूचीकरण और सूचना प्रवाह प्रणाली का संचालन।
- आपदा मित्र, स्वयंसेवी समूह, युवक/महिला मंगल दल राहत और निकासी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- स्थानीय नेतृत्व (प्रधान, वार्ड सदस्य) के माध्यम से प्रशासनिक सूचना का शीघ्र प्रसार।
- लोक चेतना कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं और विद्यालयों के माध्यम से जन–जागरूकता गतिविधियाँ।

6. प्रशासनिक उपयोग (Administrative Utility):

- DDMP को Reference Document के रूप में प्रत्येक विभाग और अधिकारी के पास रखा जाता है।
- DEOC के माध्यम से संकट के समय "Action Cards" के अनुसार त्वरित कार्यवाही होती है।
- प्रशिक्षण और समीक्षा बैठकों के दौरान DDMP को मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- सभी विभागीय योजनाएँDDMP के अनुरूप संरेखित (।सपहदमक) की जाती हैं।

पूर्व चैतावनी संकेत एवं बिना चेतावनी वाली घटनाएं–

आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—समय पर चेतावनी और त्वरित सूचना प्रसारण। जनपद टिहरी गढ़वाल जैसे आपदा–संवेदनशील जिले में पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, कुछ आपदाएँ जैसे भूकंप, बादल फटना आदि बिना किसी पूर्व चेतावनी के घटित होती है, जिनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था (Rapid Response Mechanism) विकसित की है।

2.1 चेतावनी का प्रवाह तंत्र (Flow of Warning Information):

तालिका 1.5

स्रोत / संस्था	सूचना प्राप्तकर्ता	माध्यम / प्रणाली
IMD (Indian Meteorological Department)	SDMA / SEOC	ईमेल, SMS Gateway, WhatsApp Alert
CWC (Central Water Commission)	Irrigation Dept / DDMA	Flood Bulletin, River Gauge Alerts
SDMA / SEOC Dehradun	DDMA / DEOC Tehri Garhwal	राज्य स्तरीय Early Warning System
DDMA / DEOC	SDMs / Tehsildar / Line Departments	फोन, वायरलेस, ईमेल, WhatsApp
Tehsil Control Room	ग्राम प्रधान / VDMC / Local Volunteers	Public Address System] Mobile Group
Community Level	नागरिक, स्थानीय मीडिया	घोषणाएँ, माइकिंग, WhatsApp Broadcast, Social Media

2.2 मुख्य संचार केंद्र (Primary Communication Centres):

DEOC (District Emergency Operation Centre):
मुख्यालय– कलेक्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
संपर्क– 01374–234793/233433/1077
कार्यः सभी आपदा सूचनाओं का संकलन, सत्यापन एवं प्रसारण।

2. **SDM / Tehsil Control Rooms:** स्थानीय चेतावनी प्राप्त कर ग्रामों में प्रसारित करते हैं।

3. वैकल्पिक संचार माध्यम: Wireless Sets, HAM Radio,Satellite Phone, Internet Line, BSNL Network, WhatsApp & Email Alerts.

2.3 सूचना प्रसारण प्रणाली (Modes of Communication):

- SMS Broadcast System(Through NIC / DEOC Server)
- Public Address & Loudspeaker Network
- Police Wireless Communication System
- WhatsApp Disaster Alert Groups
- Social Media Verification Channels(Official DDMA Page)
- स्थानीय रेडियो स्टेशन एवं केबल नेटवर्क के माध्यम से जन–सूचना प्रसारण

2.4 चेतावनी प्रणाली के मुख्य घटक (Key Components of Early Warning):

- Monitoring: मौसम, नदी जलस्तर, भू–स्खलन क्षेत्रों की सतत निगरानी।
- Analysis: प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान।
- Dissemination: त्वरित एवं सटीक सूचना का सभी विभागों एवं समुदायों तक प्रसारण।
- Action: चेतावनी प्राप्त होते ही प्रतिक्रिया दलों (SDRF/NDRF/Police/Health) को सक्रिय करना।

3. (Sudden or Unwarned Disasters):

कुछ आपदाएँ ऐसी होती हैं जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के घटित होती हैं, जैसे—भूकंप, बादल फटना, हिमस्खलन, आग, सड़क दुर्घटना, भवन ढहना आदि। ऐसी स्थितियों में त्वरित कार्यवाही ही जनहानि को रोकने का एकमात्र उपाय है।

3.1 त्वरित कार्यवाही तंत्र (Immediate Response Mechanism):

तालिका 1.6

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायी संस्था
1	घटना की प्राथमिक सूचना प्राप्त होते ही तहसील प्रशासन द्वारा DEOC को सूचित किया जाता है।	SDM / Tehsildar
2	DEOC सूचना की पुष्टि कर जिलाधिकारी (Incident Commander) को अवगत कराता है।	DEOC
3	संबंधित विभागों (SDRF, Police, Health, Fire, PWD आदि) को तात्कालिक सक्रिय किया जाता है।	DDMA
4	प्रभावित क्षेत्र में Search & Rescue Operation प्रारंभ किया जाता है।	SDRF / NDRF / Police
5	अस्थायी राहत शिविर, चिकित्सा एवं भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है।	Revenue / Health / ICDS
6	सूचना का सत्यापन कर मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नियंत्रित रूप से प्रचार किया जाता है।	DPRO / DEOC
7	उच्चाधिकारियों एवं SEOCको रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।	DM / DDMA

3.2 त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams – QRT):

- प्रत्येक तहसील में QRT (Quick Response Team) गठित है जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, SDRF, PWD,जल संस्थान और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- यह दल घटना की सूचना प्राप्त होते ही "Golden Hour Response" के तहत कार्य प्रारंभ करता है।
- DEOC के निर्देश पर सभी QRTs एकीकृत Command System के अंतर्गत कार्य करते हैं।

3.3 जनसहभागिता (Community Role):

- स्थानीय नागरिकों, प्रधानों, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आपदा मित्रों को पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में वे प्राथमिक सहायता एवं सूचना संप्रेषण कर सकें।
- ग्राम स्तर पर VDMC (Village Disaster Management Committee) त्वरित सूचना संप्रेषण का माध्यम है।

- सामुदायिक स्वयंसेवक पुलिस या तहसील नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट (Initial Situation Report – ISR) साझा करते हैं।

योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रकिया,

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक गतिशील दस्तावेज है, जो निरंतर बदलती आपदा परिस्थितियों, नीतिगत संशोधनों और स्थानीय अनुभवों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।इसकी समय–समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि योजना व्यवहारिक, प्रभावी और प्रासंगिक बनी रहे। DDMP की समीक्षा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सीखने और सुधारने की सतत प्रक्रिया (Continuous Learning Process) है, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी और सामुदायिक प्रतिक्रिया में निरंतर सुधार लाया जा सके।

1. समीक्षा का उद्देश्य (Purpose of Review):

- यह सुनिश्चित करना कि योजना वर्तमान परिस्थितियों और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है।
- सभी विभागों और एजेंसियों की भूमिकाएँ नवीनतम नीतियों से समन्वित रहें।
- मॉक ड्रिल, वास्तविक घटनाओं और अभ्यासों से मिले अनुभवों को योजना में सम्मिलित करना।
- विभागीय SOPs, संपर्क विवरण, संसाधन सूची और चेतावनी तंत्र को अद्यतन रखना।
- योजना की उपयोगिता, सरलता और क्रियान्वयन–क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

2. समीक्षा के प्रकार (Types of Review):

तालिका 1.7

क्रमांक	समीक्षा का प्रकार	अवधि / अवसर
1. वार्षिक समीक्षा	प्रत्येक वर्ष मई माह में	DDMA / DEOC / CDO / Line Departments
2. आपदा उपरांत समीक्षा	किसी बड़ी आपदा या आपात स्थिति के पश्चात	DDMA / Incident Commander / Stakeholders
3. मॉक ड्रिल उपरांत समीक्षा	मॉक ड्रिल, टेबल टॉप या सिमुलेशन के बाद	DEOC / Nodal Department
4. नीतिगत समीक्षा	NDMA/SDMA द्वारा दिशा–निर्देशों में परिवर्तन होने पर	DDMA / SDMA / NDMA

4. समीक्षा प्रक्रिया

- डेटा संकलन: सभी विभागों और एजेंसियों से आपदा संबंधित गतिविधियों, अनुभवों और संसाधन जानकारी का संकलन।
- प्रारंभिक विश्लेषण (Preliminary Analysis): DEOC द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर योजना के उन भागों की पहचान जो संशोधन योग्य हैं।
- DDMA समीक्षा बैठक: जिलाधिकारी (अध्यक्ष, DDMA) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी, NGOs, CBOs और विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
- संशोधन एवं अनुमोदन: समीक्षा में प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। संशोधित संस्करण को DDMA द्वारा अनुमोदित कर SDMA (राज्य प्राधिकरण) को प्रेषित किया जाता है।
- प्रकाशन एवं वितरण:अनुमोदन के पश्चात DDMP के नए संस्करण को डिजिटल एवं मुद्रित रूप में सभी हितधारकों को वितरित किया जाता है।

DDMP को अद्यतन रखने हेतु एक स्पष्ट अपडेटिंग मेकैनिज्म (Updating Mechanism) निर्धारित किया गया है:

तालिका 1.8

घटक	अद्यतन अंतराल	उत्तरदायी विभाग
विभागीय संपर्क सूची (Directory)	हर 3 माह में	DEOC
संसाधन सूची (Resource Inventory)	हर 6 माह में	Line Departments
आपदा मित्र एवं NGO डेटा	हर 6 माह में	DPRO / CDO
DEOC सूचना प्रणाली	वर्ष में एक बार	DDMA / NIC
जोखिम मानचित्र (Hazard Maps)	प्रत्येक 2 वर्ष में	SDMA / DDMA
SOPs एवं नीतियाँ	आवश्यकता अनुसार	Concerned Departments

6. समीक्षा में शामिल प्रमुख बिंदु (Major Points for Review):

- जनपद की आपदा संवेदनशीलता (Hazard & Vulnerability Pattern)

- विभागीय तैयारियाँ एवं SOPs की प्रभावशीलता
- प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल की समीक्षा
- सूचना संचार प्रणाली की कार्यक्षमता
- सामुदायिक भागीदारी और आपदा मित्रों का प्रदर्शन
- वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों की उपयोगिता

7. अद्यतन संस्करण का अभिलेखीकरण (Version Control & Documentation):

- प्रत्येक अद्यतन संस्करण को Version Number एवं Date of Revision के साथ अंकित किया जाता है।
- पुराने संस्करण को Archive Section में सुरक्षित रखा जाता है।
- नई प्रति का वितरण सभी विभागों, पुलिस थानों, ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायतों तक किया जाता है।

8. निगरानी एवं अनुपालन (Monitoring and Compliance):

- योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया की निगरानी CDO / ADM(Disaster Management) द्वारा की जाती है।
- सभी विभागों को प्रत्येक तिमाही अपनी तैयारी की रिपोर्ट DEOC को भेजनी होती है।
- अनुपालन न करने वाले विभागों को DDMA की बैठक में नोटिस जारी किया जा सकता है।

संशोधन एवं रखरखाव–

आपदा प्रबंधन योजना का महत्व तभी है जब यह समयानुकूल, प्रासंगिक और क्रियान्वयन योग्य बनी रहे। इसलिए, जिला प्रशासन द्वारा DDMP का नियमित संशोधन (Revision) और संगठित रखरखाव (Maintenance) किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में सम्मिलित सभी डेटा, संपर्क विवरण, विभागीय SOPs, संसाधन सूचियाँ और चेतावनी प्रणाली अद्यतन रहें।

1. उद्देश्य (Objectives):

- योजना को बदलती परिस्थितियों और नए जोखिमों के अनुसार अद्यतन रखना।
- विभागीय, तकनीकी और सामुदायिक संरचनाओं के अनुरूप संशोधन करना।
- आपदा उपरांत प्राप्त अनुभवों और सिफारिशों को योजना में सम्मिलित करना।
- DDMP की सुलभता (।बबमेपइपसपजल) और उपयोगिता (ैंइपसपजल) को बढ़ाना।
- सभी विभागों और हितधारकों के लिए नवीनतम प्रति उपलब्ध कराना।

3.1 संशोधन की आवृत्ति (Frequency of Revision):

तालिका 1.9

क्रमांक	संशोधन का प्रकार	अवधि
1. नियमित संशोधन	प्रत्येक वर्ष	DDMA / DEOC
2. विशेष संशोधन	बडी आपदा, नीति परिवर्तन या संरचनात्मक बदलाव के पश्चात	District Magistrate / DDMA
3. विभागीय संशोधन	प्रत्येक 6 माह में	Line Departments / Nodal Officers

संशोधन की प्रक्रिया (Process of Revision):

- **सूचना एकत्रण:** सभी विभागों से नवीनतम डेटा, संसाधन और संपर्क सूची प्राप्त की जाती है।
- **विश्लेषण एवं समीक्षा:**DEOC द्वारा प्रस्तुत जानकारी का DDMA बैठक में परीक्षण किया जाता है।
- **संशोधन प्रारूप तैयार करना:** आवश्यक बदलावों को Draft Revision में सम्मिलित किया जाता है।
- **अनुमोदन (Approval):** संशोधित प्रति को DDMA द्वारा अनुमोदित कर SDMA को भेजा जाता है।
- **प्रकाशन एवं वितरण:** अंतिम रूप से अनुमोदित योजना सभी विभागों, संस्थाओं और ग्राम स्तर तक वितरित की जाती है।

योजना का भंडारण एवं अभिलेखीकरण (Storage and Record Keeping):

योजना की मुद्रित प्रति (Printed Copy) जिला आपातकालीन संचालन केंद्र(DEOC), सभी तहसील कार्यालयों और प्रमुख विभागों में रखी जाती है।

रखरखाव के उत्तरदायित्व (Responsibility for Maintenance):

तालिका 1.10

इकाई	प्रमुख जिम्मेदारी
District Emergency Operation Centre (DEOC)	DDMP की मूल प्रति का रखरखाव, संशोधन रिकॉर्ड का अभिलेखन, एवं सभी विभागों को प्रति वितरण।
Line Departments	विभागीय स्तर पर योजना की प्रति सुरक्षित रखना और संशोधन रिपोर्ट DEOC को भेजना।
DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	संपूर्ण योजना के रखरखाव और निगरानी की सर्वोच्च इकाई।
NIC / IT Cell	डिजिटल डेटा का बैकअप और वेबसाइट पर अपलोडिंग।

प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास (Training and Orientation):

हर संशोधन के बाद संबंधित अधिकारियों, विभागीय प्रतिनिधियों और आपदा मित्रों को योजना के नए संस्करण की जानकारी दी जाती है। DEOC द्वारा Orientation Workshop / Refresher Training आयोजित की जाती है ताकि सभी हितधारक अद्यतन प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

निगरानी और अनुपालन (Monitoring & Compliance):

- DDMA प्रत्येक वर्ष Maintenance Audit करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभागों में योजना की प्रति उपलब्ध और अद्यतन है।
- किसी विभाग में पुराना संस्करण पाए जाने पर DEOC द्वारा Update Advisory Notice जारी किया जाता है।

1.3– आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य–

आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृष्य– जनपद की कुल जनसंख्या 618931 है जिसमें 297986 पुरूष एवं 320945 महिला हैं। जिले की 94 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है। जनपद में अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या कम है। सामान्य जाति में मुख्यतः ब्राहमण व राजपूत हैं। आर्थिक दृष्टि से जिला बहुत पिछड़ा है। अधिकतर लोग कृषि से जुडे है व भूमि भी कृषि योग्य नहीं है। जिस कारण अधिकांश लोग बेरोजगार हैं व सरकारी नौकरियों व मैदानी क्षेत्रों में छोटी–छोटी नौकरी पर आश्रित हैं। आर्थिक रूप से ज्यादातर लोग निम्नवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय हैं।

कृषि एवं फसल चक्र– जिले में साधारणतया रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, लाई, राड़ा, मटर, तम्बाकू, लहसून, मेथी, धनिया, जीरा पैदा होता है। ये फसलें अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाती हैं और अप्रैल–मई में काटी जाती हैं।

खरीफ की फसल में धान, झंगोरा, मंडूवा, बाजरा, ज्वार, कौणीं, मारसा, गहथ, भट, उड़द, मूंग, मक्कई, तिल, कपास तथा बर्षाती सब्जियों की पैदावार होती है। इसमें से धान, झंगोरा, कौणीं, तिल, तोर व कपास की फसलें अप्रैल–मई में बोई जाती हैं और सितम्बर, अक्टूबर में काटी जाती हैं। मंडूवा, मारसा, गहब, भट, उड़द, मूंग व मक्कई की फसलें मई जून में बोकर अक्टूबर–नवम्बर तक काटी जाती हैं। खरीफ की फसल ठण्डे भागों में जल्दी काटी जाती हैं।

विद्युत उत्पादन–जनपद में प्रमुखतः भागीरथी नदी व भिलंगना नदी पर बाधं बनाकर टिहरी जल विद्युत परियोजना टिहरी विद्युत उत्पादन गृह को संचालित किया जाता है। परियोजना से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। द्वितीय चरण में 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जायेगर। इसके अतिरिक्त कोटेश्वर जल विघुत परियोजना संचालित है। जनपद में विद्युत का वितरण 03 प्राथमिक उपकेन्द्रों (चम्बा–220 केवी, श्रीनगर–132 केवी व वीरभद्र ऋषिकेश–400) व 18 33/11 केवी उप संस्थानों से की जाती है। वर्तमान में जनपद में विद्युतीकरण से कोई भी ग्राम से वंचित नहीं हैं।

उद्योग–जनपद का प्रमुख उद्योग पशुपालन है। विशेषतः भेड़ पालन के द्वारा ऊन प्राप्त करके कालीन, ऊनी कपड़े आदि बनाये जाते हैं। जनपद में किसी प्रकार का लघु अथवा भारी उद्योग शून्य है। जनपद में पर्यटन व्यवसाय के माध्यम होम स्टे तथा होटलों के संचालन से आय सृजित होती हैं।

1.4– 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण–

आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य–2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 618931 है। जिसमें कुल जनसंख्या में पुरूष जनसंख्या 2,97,986 व महिलाओं की जनसंख्या 320945 है। टिहरी

गढ़वाल जिले का जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह 2001 के 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में बढ़ा हैं। जो पिछले दशक की तुलना मे 2.35 प्रतिशत अधिक है। यह पूर्व में रूद्रप्रयाग जिला, पश्चिम में देहरादून जिला, उत्तर में उत्तरकाशी जिला और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल जिले से घिरा हुआ है। टिहरी गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है।

तालिका 1.12

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	3642 वर्ग किमी0
2	वन क्षेत्र	231517.47 हैक्टेयर
3	जनसंख्या (2011) की जनगणना	618931
	पुरूष	297986
	महिला	320945
4	जनसंख्या घनत्व	169 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
5	लिंग अनुपात	1078 महिला–1000 पुरूष
6	साक्षरता	पुरूष 227406, महिलाएं 180588
7	जनपद में साक्षरता प्रतिशत	76
8	तहसीलें	12 तहसीलें, 02 उपतहसील
9	न्याय पंचायतें	75
10	ग्राम सभायें	1036
11	विकासखण्ड	9
12	विकासखण्ड सदस्यों की संख्या	345
13	जिला पंचायत सदस्यों की संख्या	45
14	वन पंचायतें	899
15	पटवारी क्षेत्र	183
16	कानूनगो क्षेत्र	14
17	नगरपालिका	5
18	नगर पंचायत	6
19	पुलिस स्टेशन	12
20	पुलिस चौकियां	24
21	पंजीकृत उद्योग/लघु औद्योगिक इकाईयां	3234
22	प्राथमिक विद्यालय	1691
23	जूनियर हाईस्कूल	355
24	इण्टर कालेज	164
25	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	336
26	केन्द्रीय विद्यालय	02

27	राजकीय स्नातक महाविद्यालय	9
28	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	5
29	संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय	2
30	कृषि विश्वविद्यालय, परिसर रानीचौरी	1
31	प्राविधिक शिक्षण संस्थान	4
32	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	8
33	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1
34	जिला चिकित्सालय	1
35	संयुक्त चिकित्सालय	1
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	11
37	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	37
38	होम्योपैथिक चिकित्सालय	16
39	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	110
40	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र	26
41	उप–केन्द्र	204
42	क्षय रोग निवारण केन्द्र	1
43	कुष्ठ निवारण केन्द्र	1
44	पशु चिकित्सालय	38
45	पशुधन विकास केन्द्र	92
46	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	44
47	नहरों की लम्बाई	781.383 किमी0
48	पक्की सड़कें	4238.14 किमी0
49	कुल डाकघर	262
50	ग्रामीण डाकघर	246
51	नगरीय क्षेत्र में	16
52	सस्ते गल्ले की दुकानें	1100
53	व्यवसायिक बैंक शाखाऐं	79
54	ग्रामीण बैंक	20
55	सहकारी बैंक	33
56	नाबार्ड	1
57	पैट्रोल पम्प	26

1.5– जलवायु एवं वर्षा–

अधिकतर प्रत्येक मौसम में वर्षा होती है, जनपद की जलवायु उप–शीतोष्ण से शीतोष्ण है। जनपद में जलवायु एक समान नहीं रहती है। तहसील धनोल्टी, प्रतापनगर, व घनसाली के उंचाई वाले क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात होने से कई सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं।

भौतिक स्वरूप, नदियां एवं भू–उपयोगिता–जनपद में प्रवाहित प्रमुख नदियां भागीरथी, भिलंगना है। इसके अतिरिक्त अलकनन्दा पूर्वी सीमा का निर्माण व भागीरथी जिले को दो भागों में विभाजित करती है, यमुना पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है है। इन नदियों से जहां एक ओर जनपद की सम्पन्नता में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर वर्षा काल में नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनपद में मैदानी क्षेत्रों की भांति जल प्लावन की स्थिति नहीं होती हैं किन्तु वर्षा काल में अतिवृष्टि/बादल फटने के कारण भू–स्खलन के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की ढालदार जमीन से पानी एवं मिट्टी नदियों में गिरने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़नें एवं भू–स्खलन से पुल एवं मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।

विश्लेषणात्मक टिप्पणी (Analytical Note):

- वर्षा की अनियमितता और तीव्रता में बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन का संकेत देती है।
- भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएँ स्थानीय भूगोल, ढलान, एवं अनियंत्रित निर्माण कार्यों से भी जुड़ी हैं।
- DDMA द्वारा जलवायु निगरानी (Climate Monitoring) हेतु IMD, Irrigation Department और SDRF के सहयोग से डेटा संकलन तंत्र सुदृढ़ किया गया है।
- आपदा तैयारी योजनाओं में अब Rainfall Early Warning Indicators को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

1.6– भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति–

जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जनपद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होने के कारण प्राकृतिक विविधता और भौगोलिक जटिलता से युक्त है। जनपद का मुख्यालय टिहरी है, जो समुद्र तल से लगभग 1,550 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है।

तालिका 1.13

भौगोलिक तत्व	विवरण
अक्षांशीय विस्तार (Latitude)	30.3° 27′ Nसे 30° 53′ E
देशांतर विस्तार (Longitude)	77° 56′ E से 79° 04′ E
औसत ऊँचाई (Altitude)	1,550 मीटर से 6,398 मीटर तक
क्षेत्रफल (Area)	लगभग 4,040 वर्ग कि.मी.
सीमाएँ (Boundaries)	उत्तर – उत्तरकाशी, दक्षिण – पौड़ी गढ़वाल, पूर्व – रूद्रप्रयाग, पश्चिम – देहरादून

स्थलाकृति (Topographical Features):

जनपद टिहरी गढ़वाल की स्थलाकृति पूर्णतः पर्वतीय है, जिसमें ऊँचे–ऊँचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, हिमाच्छादित चोटियाँ, और विस्तृत नदी तंत्र विद्यमान हैं। जनपद को स्थलाकृतिक रूप से तीन भागों में बाँटा जा सकता है –

तालिका 1.14

क्षेत्र	ऊँचाई सीमा	मुख्य विशेषताएँ
(i) उच्च हिमालयी क्षेत्र (High Himalayan Zone)	3,500 – 7,000 मीटर	स्थायी हिमरेखाएँ, ग्लेशियर (खतलिंग ग्लेशियर), पंवाली कांठा, नाग टिब्बा सीमांत क्षेत्र
(ii) मध्य हिमालयी क्षेत्र (Middle Himalayan Zone)	1,200 – 4,500 मीटर	गढ़वाल की प्रमुख घाटियाँ, कृषि भूमि, मानव बस्तियाँ, वनाच्छादित क्षेत्र
(iii) निम्न पर्वतीय क्षेत्र (Lesser Himalayan Zone)	1,500–1,950 मीटर	नई टिहरी, कुंजापुरी मंदिर जैसे क्षेत्र, जहाँ नदी घाटियाँ और कृषि प्रमुख हैं

पर्वत श्रृंखलाएँ एवं चोटियाँ (Mountain Ranges and Peaks):–

जनपद टिहरी में हिमालय की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं और सुंदर चोटियां स्थित हैं, जैसे –

- खैट पर्वत (Khait Range)– टिहरी जिले के तहसील प्रतापनगर के समीप स्थित है।
- पवाली कांठा (Pawali Kantha)– सुप्रसिद्ध बुग्याल (घास का मैदान) स्थित है।
- शिवालिक और मध्य हिमाल–टिहरी का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय या शिवालिक रेंज के अन्तर्गत आता है, जबकि उत्तरी भाग मध्य हिमालय का हिस्सा है।

नदी तंत्र (Drainage System):

भागीरथी नदी–जनपद की प्रमुख भागीरथी नदी है, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर (गौमुख) से होता है। यह नदी जनपद की कृषि, सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन की मुख्य स्रोत हैं। किन्तु वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का स्वरूप बन सकती है।

भिलंगना नदी–यह भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो खतलिंग गलेशियर से निकलती है और भागीरथी नदी में मिल जाती है।

अन्य नदियां/जलधाराएं–टिहरी के पर्वतीय क्षेत्रों से छोटी नदियां, मौसमी नाले और जलधाराएं निकलकर मुख्य नदियों में मिलती हैं।

भूमि उपयोग (Land Use Pattern):

तालिका 1.15

भूमि श्रेणी	अनुमानित प्रतिशत	विवरण
वन क्षेत्र (Forest Area)	लगभग 56.68%	घने वन, रिजर्व व संरक्षित वन क्षेत्र
कृषि भूमि (Agricultural Land)	लगभग 17%	घाटियों व मध्यम ढालों पर
चारागाह एवं बंजर भूमि (Pasture & Wasteland)	लगभग 5%	ऊँचाई वाले क्षेत्रों में
निर्मित क्षेत्र (Built&up Area)	लगभग 14.55%	नगर एवं कस्बों के आसपास
अन्य क्षेत्र (Rivers, Glaciers, Rocks)	लगभग 5%	स्थायी हिमरेखाएँ और ग्लेशियर

स्थलाकृति एवं आपदा संवेदनशीलता (Topography and Disaster Sensitivity):

तालिका 1.16

स्थलाकृतिक तत्व	संभावित आपदा जोखिम
तीव्र ढाल वाले क्षेत्र	भूस्खलन, मलबा प्रवाह (Debris Flow)
नदी घाटियाँ	बाढ़, कटाव, बादल फटना
हिमनद क्षेत्र	हिमस्खलन, GLOF (Glacial Lake Outburst Flood)
वनों के समीप ढाल	वनाग्नि, मिट्टी क्षरण
बसावट क्षेत्र	सड़क क्षति, भवन धंसान
स्थलाकृतिक तत्व	संभावित आपदा जोखिम
तीव्र ढाल वाले क्षेत्र	भूस्खलन, मलबा प्रवाह (Debris Flow)

जनपद टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति अत्यंत जटिल, विविधतापूर्ण और संवेदनशील है।

उच्च पर्वत, गहरी घाटियाँ, हिमनदों की उपस्थिति और तीव्र ढलानों के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाला है।

1.7 प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा–

जनपद टिहरी गढ़वाल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ के विस्तृत वन क्षेत्र, पर्वतीय जलधाराएँ, औषधीय पौधों से भरे बुग्याल, और हिमनद न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि स्थानीय जीवन, कृषि, पशुपालन और पर्यटन के लिए आधारशिला हैं। इन संसाधनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR) के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

वन विभाग जनपद की वन संपदा के प्रबंधन, संरक्षण, पुनरुत्पादन एवं आपदा नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है। आपदा के दौरान वन विभाग का योगदान वनाग्नि नियंत्रण, सड़क एवं मार्गों की सफाई, तथा राहत दलों के संचालन में भी महत्वपूर्ण है।

1. **जल–स्रोत संरक्षण:** वन मिट्टी को बाँधकर वर्षा जल को भूगर्भ में संचित करते हैं।
2. **भू–स्खलन नियंत्रण:** पेड़ों की जड़ें भूमि को स्थिर रखकर मलबा बहाव रोकती हैं।
3. **जैव विविधता का संरक्षण**: दुर्लभ वनस्पति एवं जीव–जंतुओं के आवास का कार्य।
4. **जलवायु संतुलन:** ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन अवशोषण द्वारा पर्यावरणीय संतुलन।
5. **आजीविका स्रोत:** ग्रामीण जनता के लिए लकड़ी, चारा, ईंधन, जड़ी–बूटी और मधुमक्खी पालन का प्रमुख स्रोत।

तालिका 1.17

वन प्रकार	प्रमुख क्षेत्र	मुख्य वनस्पति
उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन (Tropical Mixed Forests)	यमुना अगलाड नदी क्षेत्र, मुनिकीरेती व शिवपुरी, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर के क्षेत्र	साल, शीशम, पाईन
समशीतोष्ण वन (Temperate Forests)	टिहरी, प्रतापनगर, धनोल्टी, घनसाली आदि	देवदार, बाँज, बुरांश, तुन
उच्च हिमालयी वन (Alpine Forests)	घनसाली, धनोल्टी	बुग्याल, जड़ी–बूटियाँ, बर्च
झाड़ीदार वन (Shrub Forests)	ऊँचाई वाले शुष्क क्षेत्र	जुनिपर, हिमालयी विलो
वन प्रकार	प्रमुख क्षेत्र	मुख्य वनस्पति

देवदार (Cedar / Deodar)— निर्माण, फर्नीचर और औषधीय उपयोग।

- **बुरांश (Rhododendron)**— पेय पदार्थ एवं औषधि के रूप में।
- **चिर (Pine)**— रेजिन, ईंधन एवं कागज उद्योग के लिए।
- **औषधीय पौधे (Medicinal Plants)—** जड़ी–बूटियाँ जैसे अतीस, कुटकी, जतामांसी, कर्पूरकाचरी, सालम पनजा आदि।
- **बुग्याल (Alpine Meadows)—** ग्रीष्मकालीन चारागाह, पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

जनपद में जैव विविधता की असाधारण संपदा है — यहाँ अनेक दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे:

- **पशु:** तेंदुआ, घुरल।
- वनस्पतियाँ: बुरांश, देवदार, चीड, बांज, औषधीय घासें।

1.8 खनिज संसाधन–

जनपद टिहरी गढ़वाल मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ की भौगोलिक संरचना ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, शेल, स्लेट, और चूना पत्थर जैसी चट्टानों से निर्मित है। यद्यपि यह क्षेत्र औद्योगिक खनिज उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध नहीं है, किन्तु स्थानीय निर्माण, सड़क निर्माण, और भवन सामग्री के रूप में उपयोग होने वाले छोटे खनिज (Minor Minerals) यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

प्रमुख खनिज संसाधन (Major Mineral Resources):

तालिका 1.18

क्रमांक	खनिज का नाम	प्रमुख क्षेत्र/स्थान	उपयोग
1	चूना पत्थर (Limestone)	नरेन्द्रनगर	निर्माण, सीमेंट और कृषि हेतु
2	शेल (Shale)	भिलंगना घाटी	सड़क निर्माण, ईंट निर्माण
3	क्वार्ट्ज (Quartz)	भिलंगना घाटी व देवप्रयाग क्षेत्र	पत्थर, कांच और सजावटी वस्तुएँ
4	स्लेट (Slate)	नरेन्द्रनगर क्षेत्र	छत निर्माण, फर्श एवं शिल्प कार्य
5	रेत, बजरी, पत्थर (RBM)	भागीरथी, भिलंगना के तटवर्ती क्षेत्र	भवन निर्माण, सड़क कार्य, पुल निर्माण
6	ग्नाइस एवं ग्रेनाइट (Gneiss - Granite)	ऊँचाई वाले क्षेत्र (भिलंगना ब्लॉक)	सिविल कार्य, सजावटी पत्थर

- स्थानीय निर्माण कार्यों (सड़क, भवन, पुल आदि) में प्रमुख उपयोग।
- पेयजल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति।
- सीमित मात्रा में सजावटी पत्थर (Decorative Stone) के रूप में उपयोग।
- ग्रामीण स्तर पर रेत–बजरी खनन से आजीविका में सहयोग।

खनिज संपदा के दोहन और पर्यावरणीय संतुलन के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु जनपद में खनन कार्य खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और उत्तराखंड खनिज नीति के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं।

तालिका 1.19

नियंत्रण एजेंसी	प्रमुख भूमिका
जिला खनन अधिकारी (DMO)	खनिज पट्टों का आवंटन और निगरानी
भू–विज्ञान एवं खनन विभाग	खनिज सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग
SDM / तहसील प्रशासन	खनन क्षेत्र की निगरानी एवं राजस्व नियंत्रण
पर्यावरण विभाग	पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पुनर्वनीकरण योजना
DDMA / DEOC	अवैध खनन से उत्पन्न आपदा जोखिमों की निगरानी

खनन गतिविधियाँ विशेषकर नदी तटों एवं ढालों पर की जाने वाली अवैध या अनियंत्रित खुदाई से निम्नलिखित आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है –

तालिका 1.20

जोखिम	विवरण
भूस्खलन (Landslide)	ढालों पर अत्यधिक खुदाई से भूमि अस्थिर हो जाती है।
नदी कटाव (River Bank Erosion)	रेत–बजरी निकासी से नदी के प्रवाह में परिवर्तन।
जल–प्रदूषण (Water Pollution)	खनन से उत्पन्न गाद नदी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
सड़क क्षति / ट्रैफिक दुर्घटनाएँ	अवैध खनन वाहन संचालन से जोखिम।

- नदी आधारित खनन केवल वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए।
- खनन क्षेत्र के लिए सीमांकन (Demarcation) और ई–ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।
- खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) अनिवार्य है।
- खनन क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं।
- पुनर्वनीकरण एवं भूमि पुनर्स्थापन (Reclamation) कार्य नियमित रूप से कराए जा रहे हैं।
- अवैध खनन की स्थिति में SDM व DMO द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

खनन कार्यों का संचालन निम्नलिखित नीतियों एवं अधिनियमों के तहत किया जाता है –

- Mines and Minerals(Development and Regulation)Act, 1957
- Mineral Concession Rules,1960
- Environment(Protection)Act, 1986
- Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules, 2021
- District Survey Report(DSR) के आधार पर अनुमति और निगरानी। खनन से जुड़े डेटा का DDMA द्वारा उपयोग किया जाता है –

• नदी तल की गहराई और प्रवाह दिशा की निगरानी हेतु,
• भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान हेतु,
• सड़क एवं पुल निर्माण में सामग्री उपलब्धता निर्धारण हेतु,
• और अवैध खनन से उत्पन्न संभावित आपदा जोखिम की रोकथाम हेतु।

जनपद टिहरी गढ़वाल में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु इनका वैज्ञानिक और नियंत्रित दोहन स्थानीय विकास एवं आपदा प्रबंधन दोनों के लिए आवश्यक है। अवैध और अति–खनन से न केवल पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है बल्कि यह आपदा जोखिमों को भी बढ़ाता है

अध्याय–2

खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन
(Hazard, Risk, Vulnerability, and Capacity Assessment)

2.1 जनपद प्रोफाईल (including district map)

जनपद टिहरी गढ़वाल एक ऐतिहासिक एवं सुरम्य जनपद है, यह जनपद हिमालय क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील भूकम्पीय जोन के अर्न्तगत है। इस जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट) व प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल सिसमिक जोन 4 एवं 5 के अर्न्तगत है, इसके अतिरिक्त अगस्त, 2023 में तहसील टिहरी के चम्बा क्षेत्रान्तर्गत भूस्खलन से 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। अगस्त, 2024 भिलंगना ब्लॉक के थार्ती और तिनगढ गांव में भारी वर्षा से भूस्खलन होने पर 08 से अधिक आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गये एवं सुरक्षा के दृष्टिगत् 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। आगे भी उन आपदाओं की सम्भावना असन्न है।अतः जनपद में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है, जिसे विशेष रूप से सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

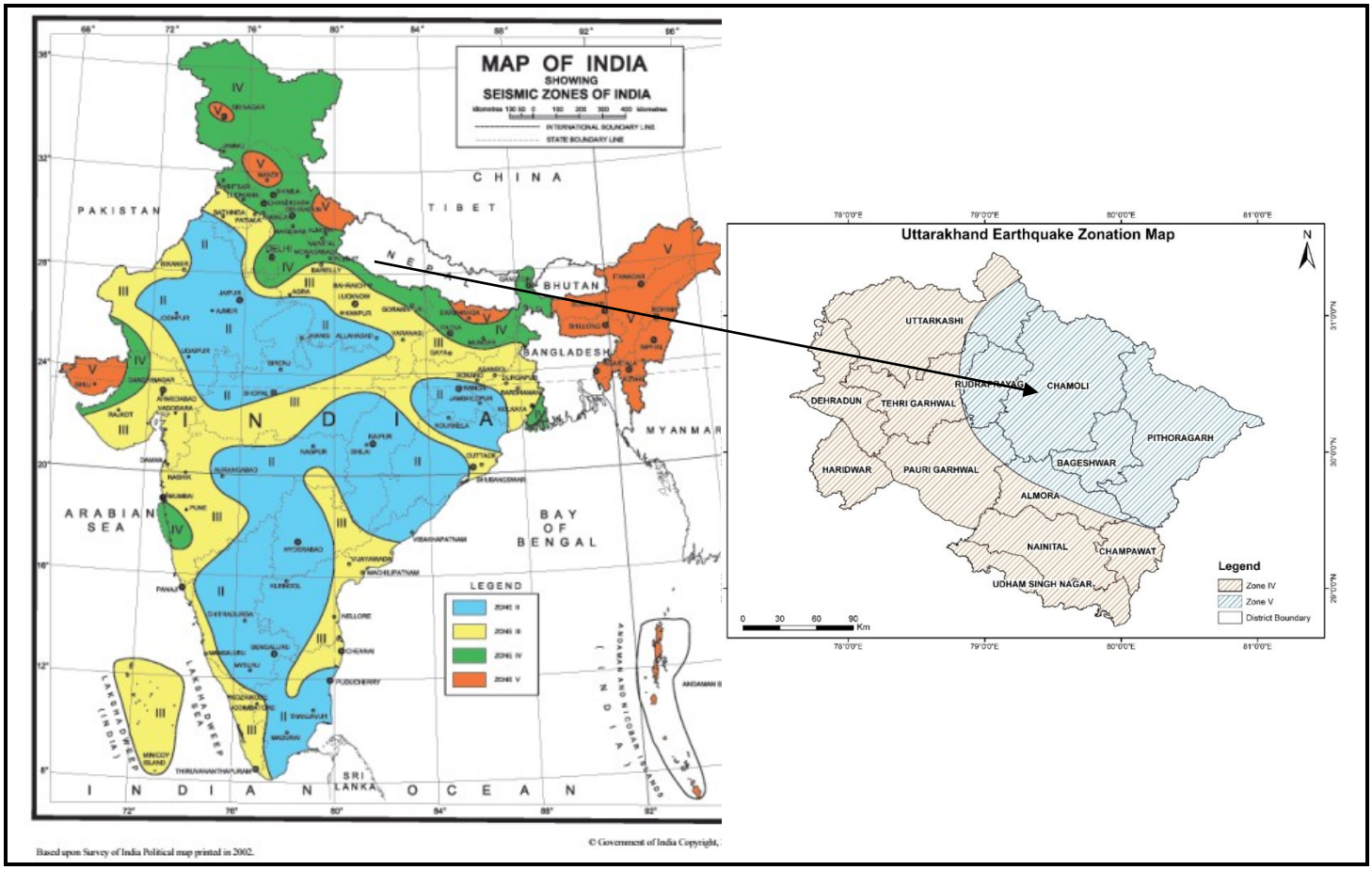

अन्य सभी मानचित्र (Annexure–2) में उपलब्ध है।

2.2– जनपद की भौगौलिक स्थिति एंव जलवायु(include map, table, and figures as per applicable)

यह अनुभाग जनपद टिहरी गढ़वाल की स्थलाकृति (Physiography) एवं जलवायु (Climate) का समग्र विवरण प्रस्तुत करता है। जनपद की ऊँचाई, ढलान, जल प्रवाह और जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की आपदा संभावनाओं पर पड़ता है, इसलिए यह अध्याय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद टिहरी गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है, जहाँ स्थलाकृति अत्यंत विविध और जटिल है। यहाँ की ऊँचाई 3000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक परिवर्तित होती है। यह भौगोलिक विविधता जलवायु, वनस्पति, कृषि और मानव बसावट के स्वरूप को प्रभावित करती है।

मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र (Major Physiographic Zones):

तालिका 2.1

क्षेत्र	ऊँचाई सीमा (मीटर में)	मुख्य विशेषताएँ	संभावित आपदा जोखिम
उच्च हिमालयी क्षेत्र	3,000 – 6,000	स्थायी हिमरेखाएँ, ग्लेशियर (खतलिंग ग्लेशियर), पंवाली कांठा, नाग टिब्बा सीमांत क्षेत्र	हिमस्खलन (Avalanche), GLOF
मध्य हिमालयी क्षेत्र	1,500 – 3,000	गढ़वाल की प्रमुख घाटियाँ, कृषि भूमि, मानव बस्तियाँ, वनाच्छादित क्षेत्र	भूस्खलन, मलबा प्रवाह
निम्न पर्वतीय क्षेत्र	600 – 1,500	नई टिहरी, कुंजापुरी मंदिर जैसे क्षेत्र, जहाँ नदी घाटियाँ और कृषि प्रमुख हैं	भूस्खलन, मलवा, त्वारित बाढ, सड़क क्षति

तालिका 2.2

जलवायु / भौगोलिक तत्व	संभावित आपदा	विवरण	जलवायु / भौगोलिक तत्व
असमान वर्षा एवं तीव्र ढालें	भूस्खलन, मलबा प्रवाह	मानसून में बार–बार	असमान वर्षा एवं तीव्र ढालें
बादल फटना	फ्लैश फ्लड, बाढ़	घनसाली, धनोल्टी, नरेन्द्रनगर क्षेत्र	बादल फटना (Cloud Burst)
हिमवर्षा एवं हिमनद	हिमस्खलन, GLOF	उच्च पर्वतीय क्षेत्र	हिमवर्षा एवं हिमनद
शुष्क ऋतु	वनाग्नि (पिरूल)	टिहरी, नरेन्द्रनगर, मसूरी, घनसाली, प्रतापनगर आदि	शुष्क ऋतु
तापमान में उतार–चढ़ाव	कृषि हानि	फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव	तापमान में उतार–चढ़ाव

IMD एवं Irrigation Department के सहयोग से Automatic Weather Stations (AWS) और Rain Gauge Network सक्रिय हैं।

- वर्षा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली (Rainfall Early Warning Indicators) विकसित की गई है।
- भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का GIS Mapping किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सामुदायिक अनुकूलन (Community Adaptation Plan) पर कार्य प्रगति पर है।
- ऊँचाई एवं भौगोलिक विविधता टिहरी गढ़वाल को Mountain District बनाती है।
- हाल के वर्षों में वर्षा पैटर्न में असमानता बढ़ी है।
- स्थानीय जलवायु परिवर्तन संकेतक कृ जैसे तापमान वृद्धि, वर्षा की आवृत्ति में कमी, और हिमस्खलन घटनाओं में वृद्धि — दर्ज किए गए हैं।
- जलवायु अनुकूलन योजनाओं में Eco&Restoration, Catchment Treatment, और Forest Fire Prevention को प्राथमिकता दी गई है।

2.3–जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर

(include map, table and figures as per applicable)-

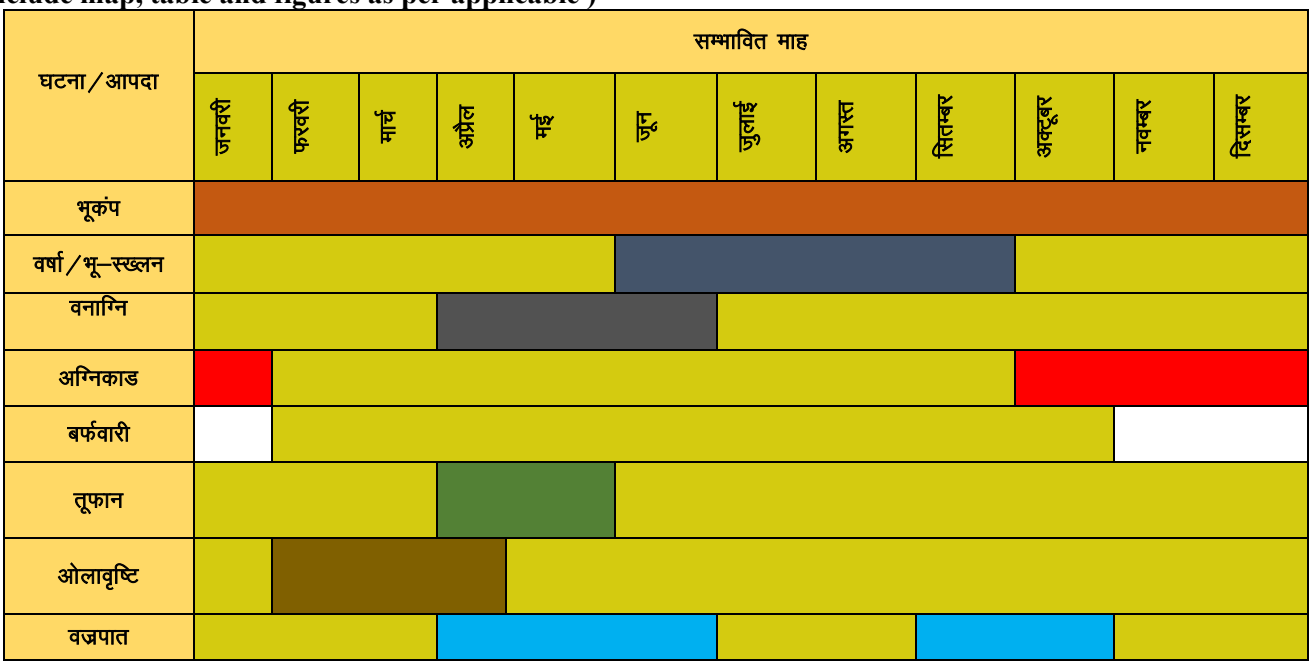

2.4—जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स (include map, table and figures as per applicable)

टिहरी जनपद कई प्रकार के खतरों की ये धिरा रहता है, इसलिए इनसे निपटने का दृष्टिकोण बहुआयामी होना आवश्यक है। यह जनपद पूर्व में निम्नलिखित खतरों से प्रभावित हुआ है और भविष्य में भी इनके प्रभाव में आने की संभावना है:

तालिका 2.3

भूकंप			
वर्ष	प्रभावित स्थान	Magnitude / तीव्रता	क्षति
अगस्त, 2020, दिसम्बर, 2021, नवमबर, 2022, दिसम्बर, 2023	जनपद टिहरी क्षेत्रान्तर्गत कई बार भूकम्प दर्ज किए गए है, जिनका केन्द्र मुख्य रूप से घनसाली या उसके आसपास रहा है।	Magnitude 3.4, 3.8, 4.5, 3.1	–
भूस्खलन			
दिनांक	**प्रभावित स्थान**	**क्षति**	
जुलाई, 2024	तहसील घनसाली के जाखाणा, तोली, गेंवालीगांव आदि	जनपद टिहरी के उपरोक्त गांवों में मूसलाधार वर्षा होने से भूस्खलन होने से जनहानि हुयी।	

तालिका 2.6

2.5—जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण – भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र (include map, table and figures as per applicable)

भूकंप–जनपद टिहरी जोन 4 व 5 में स्थित होने के कारणभूंकप हेतुअत्यन्त संवेदनशील है। जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (मेन सेन्ट्रल थस्ट) व प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती है।

तालिका 2.7

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	टिहरी जल विद्युत परियोजना	जनपद का नरेन्द्रनगर, घनसाली, टिहरी तहसील जोन v एंव vi में होने के कारण के समस्त ग्राम व टिहरी जल विद्युत परियोजना के समीप स्थित गांवों/ क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं	मानचित्र 2.1 में उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टिगत जनपद टिहरी गढ़वाल कि संवेदनशीलता की स्थिति दर्शायी गयी है। भूकंप से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन एंव पशु हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➢ पेयजल/विधुत लाईनों की क्षति ➢ विधुत परियोजनाओं की क्षति
2	उच्च हिमालयी ग्लेश्यिर क्षेत्र/झील	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति।	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है। फसल क्षति पेयजल कि कठिनाई पशु–चारे की समस्या जल जनित बीमारियों का प्रसार यातायात में रूकावट एवं कठिनाई शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

2.2.2– वर्षा/भूस्खलन–जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।

तालिका 2.8

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	एन0एच0 07 ऋषिकेश कीर्तिनगर मोटर मार्ग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	एन0एच0 07 (ऋषिकेश कीर्तिनगर मोटर मार्ग)–35 स्थानों पर महादेव चट्टी किमी 266.130 किमी से 266.900 किमी, 267.130 किमी से 267.230 किमी, नियर तोताघाटी किमी 267.600 से किमी 267.900, तोताघाटी 268.800 किमी से 269.50 किमी , 269. 850 किमी से 270.140 किमी, 284.560, तीनधारा 284.260 किमी से 284.560 किमी, 284.610 किमी से 284.710 किमी, एनएचपीसी से शिवपुरी 284.850 किमी से 285.100 किमी, भरपूर 287.200 किमी से 287.900 किमी, देवप्रयाग 296.850 किमी से 296.925 किमी, नियर तिमलपानी 237.170, तिमलपानी 237.050 किमी से 237.170 तक, नियर शिवपुरी 246.020 किमी से 246.160 किमी, नियर गुलर 247.500 किमी से 247.620 किमी, मालाखुटी 253.130 किमी से 253.900 किमी, अटालीगंगा 257.100 किमी से 257.200 किमी, सिंगटाली 259.680 किमी से 259.750 किमी, नियर सिंगटाली 260.900 किमी से 261.000 किमी, नियर कोडियाला 262.500 किमी से 262.625 किमी, 262.880 किमी से 262.940 किमी, 265.600 किमी से 265.700 किमी, नियर शिवपुरी 238.750 किमी से 238.920 किमी, नियर रेस्टोरेन्ट गंगा होटल 246.790 किमी से 246.850 किमी, नियर मालाखुटी 254.340 किमी से 254.410 किमी, नियर रागा होटल 261.550 किमी से 261.680 किमी, नियर बच्छेलीखाल (धौलीधार) 281.600 किमी से 281.925 किमी, नियर तीन धारा 283.250 किमी से 283.500 किमी, नियर शिवमूर्ति देवप्रयाग 289.400 किमी से 289.610 किमी, नियर बच्छेलीखाल 279.400 किमी से 279.600 किमी, नियर देवप्रयाग 298.360 किमी से 298.750 किमी, नियर मूल्यागांव 304.120 किमी से 304.350 किमी, मूल्यागांव 304.870 किमी से 305.230 किमी, नियर बागवान 312.190 किमी से 312.100 किमी तक)। एन0एच0 07 (ऋषिकेश कीर्तिनगर मोटर मार्ग)–35 स्थान। पर महादेव चट्टी किमी 266.130 किमी से 266.900 किमी, 267.130 किमी से 267.230 किमी, नियर तोताघाटी किमी 267.600 से किमी 267.900, तोताघाटी 268.800 किमी से 269.50 किमी , 269. 850 किमी से 270.140 किमी, 284.560, तीनधारा 284.260 किमी से 284.560 किमी, 284.610 किमी से 284.710 किमी, एनएचपीसी से शिवपुरी 284.850 किमी से 285.100 किमी, भरपूर 287.200 किमी से 287.900 किमी, देवप्रयाग 296.850 किमी से 296.925 किमी, नियर तिमलपानी 237.170, तिमलपानी 237.050 किमी से 237.170 तक, नियर शिवपुरी 246.020 किमी से 246.160 किमी, नियर गुलर 247.500 किमी से 247.620 किमी, मालाखुटी 253.130 किमी से 253.900 किमी, अटालीगंगा 257.100 किमी से 257.200 किमी, सिंगटाली 259.680 किमी से 259.750 किमी, नियर सिंगटाली 260.900 किमी से 261.000 किमी, नियर कोडियाला 262.500 किमी से 262.625 किमी, 262.880 किमी से 262.940 किमी, 265.600 किमी से 265.700 किमी, नियर शिवपुरी 238.750 किमी से 238.920 किमी, नियर रेस्टोरेन्ट गंगा होटल 246.790 किमी से 246.850 किमी, नियर मालाखुटी 254.340 किमी से 254.410 किमी, नियर रागा होटल 261.550 किमी से 261.680 किमी, नियर बच्छेलीखाल (धौलीधार) 281.600 किमी से 281.925 किमी, नियर तीन धारा 283.250 किमी से 283.500 किमी, नियर शिवमूर्ति देवप्रयाग 289.400 किमी से 289.610 किमी, नियर बच्छेलीखाल 279.400 किमी से 279.600 किमी, नियर देवप्रयाग 298.360 किमी से 298.750 किमी, नियर मूल्यागांव 304.120 किमी से 304.350 किमी, मूल्यागांव 304.870 किमी से 305.230 किमी, नियर बागवान 312.190 किमी से 312.100 किमी तक)।	मानचित्र 2.2 में जनपद में वर्षा/भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनषीलता स्थिति दर्शायी गयी है। वर्षा/भूस्खलन से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➢ पेयजल लाईनों की क्षति ➢ विधुत परियोजनाओं की क्षति
2	एन0एच0 507ए (यमुनापुल से बड़कोट बैण्ड मो0 मार्ग के अगलाड 46 किमी) भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	एन0एच0 507ए–1 स्थान अगलाड 46 किमी	ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उपरोक्त सम्भावित जोखिमों के अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➢ फसल नुकसान ➢ पेयजल की कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ राशन सप्लाई का बाधित होना ➢ स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रभाव पड़ना ➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव
3	बीआरओ–6 स्थान (ऋषिकेश चम्बा गोजमेर मो0 मार्ग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र।	बीआरओ–6 स्थान (ऋषिकेश चम्बा गोजमेर मो0 मार्ग के बगड़धार किमी 22, खाड़ी किमी 43, रत्नोगाड किमी 88, कुनेर 91 किमी, कोटी डोभालों की किमी 103, स्यांसू किमी 110)।	

2.2.8 जनपद टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण–

क्र. सं.	विवरण की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण	
	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार
1	2	3	4	5	6	7
1	43	755	43	697	11	58

2.2.9 जनपद टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण–

क्र.सं.	विस्थापन की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण	
	ग्राम	परिवार	ग्राम/वर्ष	परिवार	ग्राम	परिवार
1	भेलुन्ता	26	भेलुन्ता (2017–18)	26	–	–
2	त्यालनी मध्ये खलवाडा नामे तोक	20	त्यालनी मध्ये खलवाडा नामे तोक (2018–19)	20	–	–
3	अगुण्डा	99	अगुण्डा (2019–20)	99	–	–
4	इन्द्रोला	166	इन्द्रोला (2019–20)	166	–	–
5	इन्द्रोला	54	इन्द्रोला (2020–21)	54	–	–
6	कोट	34	कोट (2020–21)	34	–	–
7	बैथाणगांव	04	बैथाणगांव (2020–21)	04	–	–
8	हलेथा गांव	05	हलेथा गांव (2021–22)	05	–	–
9	पनेथ	21	पनेथ (2021–22)	21	–	–
10	डौर	11	डौर (2021–22)	11	–	–
11	डौर	02	डौर (2022–23)	02	–	–
12	धौलागिरी (सीतापुर)	02	धौलागिरी (सीतापुर) (2022–23)	02	–	–
13	बैथाणगांव	04	बैथाणगांव (2022–23)	04	–	–
14	तौल्याकाटल मध्ये चिफल्टी ग्वालीडांडा	02	तौल्याकाटल मध्ये चिफल्टी ग्वालीडांडा (2022–23)	02	–	–
15	वेकलियालगांव	01	वेकलियालगांव (2022–23)	01	–	–
16	सिलारी	01	सिलारी (2023–24)	01	–	–
17	कोठार (गोदी)	03	कोठार (गोदी) (2023–24)	03	–	–
18	भेलुन्ता	03	भेलुन्ता (2023–24)	03	–	–
19	चिफल्टी ग्वालीडांडा	01	चिफल्टी ग्वालीडांडा (2023–24)	01	–	–
20	जंगलेथ मध्ये खतयाडी	08	जंगलेथ मध्ये खतयाडी (2023–24)	08	–	–
21	लाटा मध्ये छेल गदेरा	05	लाटा मध्ये छेल गदेरा (2023–24)	05	–	–
22	क्वीडांग	03	क्वीडांग (2024–25)	03	–	–
23	कोट	28	कोट (2024–25)	28	–	–
24	थार्ती	15	थार्ती (2024–25)	06	थार्ती	09
25	भल्डगांव (तिनगढ)	72	भल्डगांव (तिनगढ) (2024–25)	72	–	–
26	अंक्वाणगांव	05	अंक्वाणगांव (2024–25)	04	–	–
27			अंक्वाणगांव (2025–26)	01	–	–
28	जेगियाडा मध्ये खोला	13	जेगियाडा मध्ये खोला (2024–25)	04	जेगियाडा मध्ये खोला	06
29			जेगियाडा मध्ये खोला (2025–26)	03		
30	ग्वाणा मल्ला	06	ग्वाणा मल्ला (2024–25)	05	ग्वाणा मल्ला	01
31	गेंवाली	01	गेंवाली (2024–25)	01	–	–
32	कण्डारगांव मल्ला	19	कण्डारगांव मल्ला (2024–25)	11	कण्डारगांव मल्ला	05
33	कण्डारगांव मल्ला		कण्डारगांव मल्ला (2025–26)	03		
34	चक्रगांव	08	चक्रगांव (2024–25)	02	–	–
35			चक्रगांव (2025–26)	06		
36	हडियाणा मल्ला	04	हडियाणा मल्ला (2024–25)	01	हडियाणा मल्ला	02
37			हडियाणा मल्ला (2025–26)	01		
38	जखन्याली	08	जखन्याली (2024–25)	03	–	–
39			जखन्याली (2025–26)	05		
40	मेडू सिंदवालगांव	25	मेडू सिंदवालगांव (2024–25)	02	मेडू सिंदवालगांव	06
41			मेडू सिंदवालगांव (2025–26)	17		
42	मेहरगांव तल्ला	02	मेहरगांव तल्ला (2024–25)	01	मेहरगांव तल्ला	01
43	मलेथा	04	मलेथा	04	–	–
44	सरूणा मय बडियार कुडा	05	सरूणा मय बडियार कुडा (2024–25)	05	–	–
45	चंडोली	05	चंडोली (2024–25)	05	–	–
46	बडियार	03	बडियार (2024–25)	03	–	–

क्र.सं.	विस्थापन की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण		वर्ष 2012 से 11 फरवरी 2026 तक विस्थापित का विवरण	
47	कैलबागी	11	कैलबागी (2024–25)	07	कैलबागी	02
48			कैलबागी (2025–26)	02		
49	सेधवालगांव	15	सेधवालगांव (2024–25)		सेधवालगांव	15
50	गंगेरी उर्फ पनेली	04	गंगेरी उर्फ पनेली (2024–25)	04	गंगेरी उर्फ पनेली	04
51	भाटगांव	02	भाटगांव	02	–	–
52	तोली	17	तोली (2025–26)	01	तोली	07
53			तोली (2025–26)	09		
54	बंगर उर्फ सुनारगांव	07	बंगर उर्फ सुनारगांव (2025–26)	07	–	–
55	थाती	01	थाती (2025–26)	01	–	–

जनपद में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गो के अत्यधिक संवेदनशील स्थानों का विवरण–

तालिका 2.9

मार्ग	अत्यधिक संवेदनशील स्थान	संख्या
(ऋषिकेश चम्बा गोजमेर मो0 मार्ग (34)	बगड़धार, खाड़ी, रत्नोगाड, कुनेर, कोटी डोभालों की, स्यांसू	06
एन0एच0 507ए	अगलाड	01
योग		**07**

ऋषिकेश/कीर्तिनगर राष्ट्रीय राजमार्गों में भूस्खलन प्रभावित अन्य स्थानों का विवरण–

तालिका 2.10

तहसील	मार्ग	भूस्खलन संभावित क्षेत्र	संवेदनशील स्थलों की संख्या
कीर्तिनगर, देवप्रयाग	एन0एच0 07 (ऋषिकेश कीर्तिनगर मो0 माग	महादेव चट्टी के 2 स्थानों पर, नियर तोताघाटी, तोताघाटी 3 स्थानों पर, तीनधारा के 2 स्थानों पर, एनएचपीसी से शिवपुरी, भरपूर, देवप्रयाग, नियर तिमलपानी, तिमलपानी, नियर शिवपुरी के 2 स्थानों पर, नियर गुलर, मालाखुटी, अटालीगंगा, सिंगटाली, नियर सिंगटाली, नियर कोडियाला के 3 स्थानों पर, नियर रेस्टोरेन्ट गंगा होटल, नियर मालाखुटी, नियर रागा होटल, नियर बच्छेलीखाल (धौलीधार), नियर तीन धारा, नियर शिवमूर्ति देवप्रयाग, नियर बच्छेलीखाल, नियर देवप्रयाग, नियर मूल्यागांव, मूल्यागांव, नियर बागवान	35
योग			**35**

ऋषिकेश से कीर्तिनगर राजमार्ग मे चिन्हित भूस्खलन संवेदनशील स्थलों का विवरण–

तालिका 2.11

Sl.No.	Name of the slide	Latitude/ Longitude	Length (In Km)/ Span (in Meter)	Name of work / Chainage	
Land slide incidences along NH-07 (Rishikesh to Kirtinagar)					
1	Mahadev Chatti	L30.059198 78.508561 E78°21‟22.5”	770 m	266.130	266.900
2	Mahadev Chatti	N 30.060280 E78.510649”	100m	367.130	267.230
3	Near Totaghati	N 30.065125 E78.510084	300m	267.600	267.900
4	Totaghati	N 30.069868 E78.516124	250m	268.800	269.050
5	Totaghati	N 30.075888 E78520720	290m	269.850	270.140
6	Teendhara	N 30.098973 E78.574374	300m	284-260	284.560
7	Teendhara	N 30.100660 E78574011	100m	284.610	284.710
8	NHPC To Shivpuri	N 30.102363 E78574986	250m	284.850	285.100
9	Bharpur	N 30.112045 E78.581450	700m	287.200	287.900
10	Devprayag	N 30.148788 E78.605491	75m	296.850	296.925
11	Near Timalpani	N 30.124862 E78.361211	120m	237.050	237.170
12	Timlpani	N 30.122418 E78.3798.62	120m	239.400	239.520
13	Near Shivpuri	N 30.1333341 E78.416743	140m	246.020	246.160
14	Near Gular	N 30.123295 E78.423227	320m	247.500	247.620

Sl.No.	Name of the slide	Latitude/ Longitude	Length (In Km)/ Span (in Meter)	Name of work / Chainage	
15	Malakhuti	N 30.086498 E78.435404	320m	253.130	253.450
16	Malakhuti	N 30.081889 E78.436368	150m	253.750	253.900
17	Ataliganga	N 30.068964 E78.460260	100m	257.100	257.200
18	Sigtali	N 30.067380 E78.480267	70m	259.680	259.750
19	Near Sigtali	N 30.067380 E78.480267	70m	259.680	259.750
20	Near Kodiyala	N 30.0770734 E78.490962	125m	262.500	262.625
21	Near Kodiyala	N 30.073181 E78.491951	60m	265.880	262.940
22	Near Kodiyala	N 30.064367 E78.500426	1000m	265.600	265.700
23	Near Shivpuri	N 30.118853 E78.375673	170m	238.750	238.7920
24	Near Resort Ganga Hotel	N 30.129184 E78.421020	60m	246.790	246.850
25	Near Gular	N 30.124739 E78.422239	100m	247.340	247.440
26	Near malakhunthi	N 30.079561 E78.440408	70m	254.340	254.410
27	Near Raga Hotel	N 30.064114 E78.487441	130m	261.550	261.680
28	Near Bachelikhal (Dhaulidhar)	N 30.086375 E78.577959	325m	281.600	281.925
29	Near Teen Dhara	N 30.094463 E78.578356	250m	283.250	283.500
30	Near Shiv Murti Devprayag	N 30.120864 E78.584239	210m	289.400	289.610
31	Near Bachelikhal	N 30.081336 E78.568039	200m	279.400	279.600
32	Near Devprayag	N 30.155100 E78.617484	390m	298.360	298.750
33	Near Mulyagaon	N 30.192591 E78.639897	230m	304.120	304.350
34	Mulyagaon	N 30.196700 E78.638185	180m	304.870	305.050
35	Near Bagwaan	N 30.221275 E78.678684	40m	312.190	312.230

2.2.3– वनाग्नि/अग्निकांड–जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती हैं। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं–

1. मानवीय गतिविधियां– पशु चारे के लिए जंगल में आग लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित गांव के घरों में आग लगने की घटनाएं भी मानवीय कारण से समय–समय पर होती रहती है।
2. मौसमीय स्थिति– माह मार्च से जून तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।
3. प्राकृतिक स्थिति– जनपद टिहरी गढ़वाल की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जल जाती है।

तालिका 2.12

टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
वनाग्नि सत्र–2025 की अन्तिम रिर्पोट

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	रेंज	क्षेत्र का विवरण ब्लॉक/कक्ष	अग्नि घटना की संख्या			अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल		
					आरक्षित वन सं0	सिविल, वन पंचायत सं0	योग (11 व 12)	आरक्षित वन क्षेत्र हे0 में	सिविल, वन पंचायत क्षेत्र हे0 में	योग (14 व 15)
1	2	3	4	6	11	12	13	14	15	16
1	टिहरी गढवाल	टिहरी	बालगंगा	कांगड़ा 14ब	2	0	2	1.00	0.00	1.00
2				अगुण्डा 6अ	1	0	1	0.75	0.00	0.75
3				गनगर 06 गनगर सिविल	1	1	2	0.50	1.00	1.50
4				धुनारखोला सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
5				आर्स 5अ, 5ब	1	0	1	1.50	0.00	1.50
6				आरगढ़ 03 अणुवां सिविल	1	1	2	1.00	0.50	1.50
7				देवढुंग 2अ	1	0	1	1.50	0.50	2.00
8				आर्स 5ब	1	0	1	0.75	0.00	0.75
9				गोनगढ़ 12	2	0	2	1.50	0.00	1.50
10				कोन्ती सिविल	0	1	1	0.00	0.75	0.75
11				कांगड़ा 14अ	2	0	2	1.50	0.50	2.00
12				कांगड़ा 18	1	0	1	1.00	0.00	1.00
13				अमरसर 16	1	0	1	1.00	0.50	1.50
14				कांगड़ा 20	1	0	1	1.50	0.00	1.50
			योगः		15	4	19	13.50	4.25	17.75
1	टिहरी	टिहरी	भिलंगना	मल्याकोट क0सं0–08	1	1	2	1.50	0.50	2.00

2	गढवाल			धारगाँव सिविल	0	1	1	0.50	0.50	1.00
4				दोणी/सेरजी क0सं0–5अ	1	0	1	0.00	0.80	0.80
5				बहेड़ा/फलेण्डा क0सं0 5स	1	0	1	0.50	0.50	1.00
6				जाख/जाख क0सं0–2अ	1	0	1	0.00	0.50	0.50
7				घनसाली सिविल	0	1	1	0.50	0.50	1.00
8				दोणी पल्ली काकड़ाधार सिविल	0	1	1	0.50	0.75	1.25
9				तोणखण्ड सिविल	0	1	1	1.00	0.75	1.75
10				रूईन्स चक सिविल	0	1	1	0.50	0.00	0.50
11				तालविरोड़ी सिविल	0	1	1	0.60	0.50	1.10
12				गौरिया क0सं0–08	1	0	1	0.00	0.50	0.50
13				बुढ़वाँ सिविल	0	1	1	0.70	0.55	1.25
14				सौड़ क0सं0–06	1	0	1	0.00	0.50	0.50
15				सौड़ क0सं0–01	1	0	1	0.00	0.50	0.50
16				दोणी सिविल नगनू नामे चक	0	1	1	0.50	0.50	1.00
17				सेरजी क0सं0–8ब	1	1	2	1.00	0.50	1.50
	योगः				8	10	18	7.80	8.35	16.15
1	टिहरी गढवाल	टिहरी वन प्रभाग	लम्बगाँव	जलकुरगाड़ क0सं0 3 अ	1	0	1	0.20	1.00	1.20
2				भौंरका क0सं0 1 अ	1	0	1	0.30	0.00	0.30
4				नौघर सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
6				जलकुरगाड़ क0सं0 31 अ	1	0	1	0.40	0.00	0.40
7				जलकुरगाड़ क0सं0 7	1	0	1	0.40	0.00	0.40
8				चौण्ड़ सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
9				जलकुरगाड़ क0सं0 32 अ	1	0	1	1.00	0.00	1.00
12				जलकुरगाड़ क0सं0 32 अ	1	0	1	1.00	0.00	1.00
13				माजफ सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
14				भेलुन्ता जोंकाणी नामे तोक	0	1	1	1.00	0.10	1.10
15				बागी सिविल	0	1	1	0.50	1.00	1.50
16				जलकुरगाड़ क0सं0 39 बी	1	0	1	0.50	0.35	0.85
17				बनाली सिविल	0	1	1	0.00	0.10	0.10
18				माजफ सिविल	0	1	1	1.50	0.00	1.50
19				बनाली सोयम	0	1	1	0.00	1.00	1.00
20				भेलुन्ता सिविल	0	1	1	1.50	0.40	1.90
21				दीनगांव सिविल	0	1	1	1.00	1.50	2.50
22				मिश्रवाणगांव सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
23				संयारी सिविल	0	1	1	1.00	0.80	1.80
	योगः				7	12	19	10.30	9.75	20.05
1	टिहरी गढवाल	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	पौखाल	पिलखी–1	1	0	1	0.60	0.00	0.60
2				पिलखी सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
3				त्रिचोट–5	1		1	0.00	0.60	0.60
4				त्रिचोट सिविल	0	1	1	0.00	0.30	0.30
6				दयारा सिविल	0	1	1	0.00	0.40	0.40
7				पौ–3	1		1	0.65		0.65
8				काण्डी सिविल	0	1	1	0.00	0.40	0.40
9				त्रिचोट सिविल	0	1	1	0.00	0.35	0.35
10				पौ सिविल व असगढ सिविल	0	1	1	0.75	0.50	1.25
11				त्रिचोट सिविल	0	1	1	0.00	0.20	0.20
12				कलेठ सिविल	0	1	1	0.00	0.25	0.25
13				असेना सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
15				सिलोड सिविल	0	1	1	0.00	0.25	0.25
16				मदनेगी सिविल	0	1	1	0.50	0.30	0.80
17				लगूधार सिविल	0	1	1	0.00	0.35	0.35
19				अखोडीसैण–3	1	0	1	0.50	0.00	0.50
20				गौजियाणा सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
21				त्रिशूली सिविल	0	1	1	0.00	0.70	0.70
22				थापला सिविल	0	1	1	0.00	0.70	0.70
24				पटूडी सिविल	0	1	1	0.00	0.30	0.30
25				चौदाणा सिविल	0	1	1	1.00	0.25	1.25
26				मदनेगी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
27				त्रिचोट सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
28				त्रिचोट–4	1	0	1	0.50	1.50	2.00
29				घोल्डानी सिविल	0	1	1	0.00	0.40	0.40
30				बोरखेत सिविल व	0	2	2	0.00	1.50	1.50

				ल्वाडी सिविल						
31				गेंवली सिविल	0	1	1	0.00	0.40	0.40
33				गेवली सिविल	0	1	1	0.00	0.45	0.45
34				मोलखाली सिविल	0	1	1	0.00	0.00	0.00
35				ननुवा–छनुवा सिविल	0	1	1	0.00	0.70	0.70
36				लबोईगांव सिविल	0	1	1	0.50	0.50	1.00
37				म्यूण्डी सिविल, कस्तल सिविल	0	1	1	0.00	0.40	0.40
38				चाण्ड,कोल सिविल	0	1	1	1.50	0.50	2.00
41				चौण्ड सिविल	0	1	1	0.00	0.45	0.45
43				मठियाली सिविल	0	1	1	0.70	0.60	1.30
44				अखोडीसैण सिविल	0	1	1	0.00	0.60	0.60
45				असढ सिविल	0	1	1	0.00	0.60	0.60
	योगः				5	33	38	7.20	17.95	25.15
1	टिहरी गढवाल	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	टिहरी	कोशियार क0स0–2	1	0	1	0.70	0.00	0.70
2				ग्वालना नगर सिविल	0	1	1	0.00	1.50	1.50
3				जामणी सिविल	0	0	0	0.00	1.50	1.50
4				पस्सी सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
5				सारजूला क0स0–3	1	0	1	0.20	0.00	0.20
6				भेटूडी सिविल	0	1	1	0.00	0.70	0.70
7				मनियार क0स0–10	1	0	1	0.30	0.00	0.30
8				कोशियार–4	1	0	1	0.30	0.00	0.30
9				नवाकोट सिविल	0	1	1	0.00	0.80	0.80
10				क्वीली क0स0–3	1	0	1	1.00	0.00	1.00
11				पुरूषोलगांव सिविल	0	1	1	0.00	0.80	0.80
12				मनियार–14	1	0	1	0.30	0.00	0.30
14				बिन्दालकोटी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
15				दाबडा सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
16				फलसारी क0स0–3ए	1	0	1	0.20	0.00	0.20
17				पालकोट क0स0–3ब	1	0	1	0.80	0.00	0.80
18				आली तल्ली	0	1	1	0.00	2.00	2.00
19				नैलबागी वीट डंडासली सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
20				लोहीताल वीट सेमल्टा सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
21				लोहीताल क0स0–14	1	0	1	0.70	0.00	0.70
22				मनियार वीट भेटूडी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
23				मनियार क0स0–10	1	0	1	0.50	0.00	0.50
24				लोहीताल वीट कैच्छू सिविल	0	1	1	0.00	1.50	1.50
25				लोहीताल क0स0–3	1	0	1	1.00	0.00	1.00
26				लोहीताल वीट पाली लग्गा नकोट सिविल	0	1	1	0.00	1.80	1.80
27				लोहीताल क0स0–13	1	0	1	1.10	0.00	1.10
28				लोहीताल वीट डारगी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
29				लोहीताल क0स0–10	1	0	1	0.80	0.00	0.80
30				लोहीताल वीट बिडखोली सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
31				लोहीताल क0स0–7	1	0	1	0.30	0.00	0.30
32				लोहीताल वीट काफलपानी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
33				लोहीताल क0स0–8	1	0	1	0.30	0.38	0.68
34				लोहीताल वीट पाली सिविल	0	1	1	0.00	1.50	1.50
35				लोहीताल क0स0–9	1	0	1	0.50	0.00	0.50
36				कोटद्वारा सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
38				सिवालीपातल क0स0–8	1	0	1	0.60	0.00	0.60
39				सिवालीपातल क0स0–9	1	0	1	0.70	0.00	0.70
41				सारजूला क0स0–6	1	0	1	1.00	0.00	1.00
42				मनियार वीट जलेडी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
43				मनियार वीट कक्ष	1	0	1	1.00	0.00	1.00

				सं0–8						
44				लालूरी वीट मजखेत सिविल	0	1	1	0.00	0.50	0.50
46				नगुणगाड क0स0–16	1	0	1	1.50	0.00	1.50
47				सारजूला क0स0–6	1	0	1	1.00	0.00	1.00
48				चापडा वीट अंधियारी मय चापडा सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
49				नैलबागी वीट खडीखाल,कन्थर गांव सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
51				नगुणगाड क0स0–13	1	0	1	1.00	1.00	2.00
52				क्यारी वीट क्यारी सिविल	0	1	1	0.00	1.00	1.00
53				सौडी भादू खोला चैक	0	1	1	0.00	1.00	1.00
54				नगुणगाड क0स0–13	1	0	1	1.50	0.00	1.50
योगः					21	27	48	17.30	28.48	45.78
कुल योग					56	86	142	56.10	68.78	124.88

जनपद में वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण) Annexure–2) में संलग्न है।

वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण– ऐसे वन क्षेत्र जहां विगत कुछ वर्षो से वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृति होती रही हो अथवा एक ही अग्निकाल में कई बार अग्नि घटनायें घटित हुई हो, का विवरण निम्नवत है–

तालिका 2.13

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	रेंज	स्थल का विवरण
1	टिहरी	बालगंगा	कांगड़ा 14ब, गनगर 06 गनगर सिविल, गोनगढ़ 12, कांगड़ा 14अ
2	टिहरी	भिलंगना	मल्याकोट क0सं0–08
3	टिहरी वन प्रभाग	लम्बगाँव	जलकुरगाड़ क0सं0 3 अ,
4	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	पौखाल	पिलखी–1, त्रिचोट–5
5	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	टिहरी	सारजूला क0स0–3, नगुणगाड क0स0–16

तालिका 2.14

वनाग्नि दुर्घटनाओं का विवरण एंव प्रभावित क्षेत्रफल– टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी, वनाग्नि सत्र–2025 की अन्तिम रिर्पोट

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	रेंज	अग्नि घटना की संख्या			अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल		
				आरक्षित वन सं0	सिविल, वन पंचायत सं0	योग (11 व 12)	आरक्षित वन क्षेत्र हे0 में	सिविल, वन पंचायत क्षेत्र हे0 में	योग (14 व 15)
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	बालगंगा	15	4	19	13.50	4.25	17.75
2		टिहरी	भिलंगना	8	10	18	7.80	8.35	16.15
3		टिहरी वन प्रभाग	लम्बगाँव	7	12	19	10.30	9.75	20.05
4		टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	पौखाल	5	33	38	7.20	17.95	25.15
5		टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	टिहरी	21	27	48	17.30	28.48	45.78
		योगः–		**56**	**86**	**142**	**56.10**	**68.78**	**124.88**

2.2.4– तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात–तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद टिहरी गढ़वाल कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जन हानि

और संपत्ति के नुकसान कि संभावना बनी रहती है। तूफान /ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

तालिका 2.15

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है।	तहसील धनोल्टी, तहसील घनसाली के विभिन्न स्थानों पर बज्रपात/ओलावृष्टि आदि की घटनाएं घटित होती रहती है।	जनपद में तूफान/ ओलावृष्टि /वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति

2.2.5–मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict Short Note)–

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है।अन्य मामलों में पशुओं के साथ सघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे है।

तालिका 2.16

क्र.सं.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव सघर्ष एक मानव जनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु सघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित मानव/पशुहानि ➢ फसलों का नुकसान ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति ➢ आर्थिक जोखिम ➢ आजीविका प्रभावित

2.2.6– बर्फबारी/हिमस्खलनः–जनपद का अधिकांश भू–भाग मध्यम एंव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ता है। जनपद कि सीमा चीन के साथ मिलती है जिस कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों वर्षभर भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं भारतीय सेना तैनात रहती है। साथ ही जनपद में साहसिक खेलों कि गतिविधियां भी संचालित कि जाती है एंव हिमस्खलन होने से ट्रैकिंग पर गये जाने वाले दलों के साथ खतरा बना रहता है। इन खतरों के अलावा बर्फबारी स्थानीय आबादी, वन्य जीव, और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

क्र.सं.	संभावित खतरे	जनपद के संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	बर्फबारी	तहसील बालगंगा/ धनोल्टी	जनपद में बर्फबारी/हिमस्खलन के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ समुदाय एवं ट्रैकिंग व्यवसाय का प्रभावित होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति

2.2.7 जनपद में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन व स्वास्थ्य से हुयी दुघर्टनाओं का विवरण– वर्ष 2009 से 2025 तक ट्रैकिंग के दौरान आतिथि तक किसी भी ट्रैकर के साथ दुर्घटना घटित नहीं हुयी है।

आपदा प्रबंधन हेतु Authority, Tools, Technology एवं Methodology

तालिका 2.21

क्र.सं.	कार्य / जिम्मेदारी	Authority (अधिकार)	Tool से (उपकरण)	Technology (प्रौद्योगिकी)	Methodology (कार्यप्रणाली)
1	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	DDMA / जिला प्रशासन	कंप्यूटर, दस्तावेज	GIS Mapping, MIS	डेटा संग्रह, विश्लेषण एवं अनुमोदन
2	आपातकालीन संचालन (EOC)	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC)	कंट्रोल रूम, वायरलेस	VHF, CCTV, Internet	24•7 निगरानी एवं सूचना प्रबंधन
3	संचार एवं समन्वय	पुलिस / प्रशासन /	मोबाइल,	Communication	त्वरित सूचना आदान–प्रदान

		EOC	वायरलेस, सैटेलाइट फोन	System	
4	खोज एवं बचाव	SDRF / NDRF / पुलिस	रेस्क्यू किट, नाव, एम्बुलेंस	GPS, Drone	घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई
5	राहत सामग्री प्रबंधन	जिला प्रशासन / आपूर्ति विभाग	गोदाम, वाहन, राहत किट	Inventory System, GPS	आवश्यकता अनुसार वितरण
6	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा	स्वास्थ्य विभाग	दवाइयाँ, एम्बुलेंस	Telemedicine	प्राथमिक उपचार एवं रेफरल
7	निकासी (Evacuation)	प्रशासन / पुलिस	वाहन, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली	GPS Tracking	सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण
8	आश्रय प्रबंधन (Shelter)	DDMA / रेडक्रॉस	तंबू, कंबल, खाद्य सामग्री	Shelter Management System	राहत शिविर संचालन
9	जल एवं स्वच्छता	जल संस्थान / स्वच्छता विभाग	पानी टैंकर, सफाई उपकरण	Water Quality Testing	सुरक्षित जल आपूर्ति
10	ऊर्जा एवं विद्युत आपूर्ति	UPCL / बिजली विभाग	जनरेटर, लाइन उपकरण	Smart Grid	विद्युत बहाली
11	सड़क एवं परिवहन	PWD / BRO	मशीनरी, JCB	GIS Mapping	मार्ग बहाली
12	सूचना एवं मीडिया प्रबंधन	सूचना विभाग	कैमरा, कंप्यूटर	Social Media, Website	सूचना प्रसार
13	स्वयंसेवक प्रबंधन	DDMA / Apda Mitra	प्रशिक्षण किट	Mobile App	स्वयंसेवकों की तैनाती
14	निगरानी एवं मूल्यांकन	जिला प्रशासन	रिपोर्ट, निरीक्षण उपकरण	MIS	समीक्षा एवं सुधार
15	पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	जिला प्रशासन / SDRF	निर्माण सामग्री	GIS Planning	पुनर्वास योजना

अध्याय–03

आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था।

3.1– राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना–

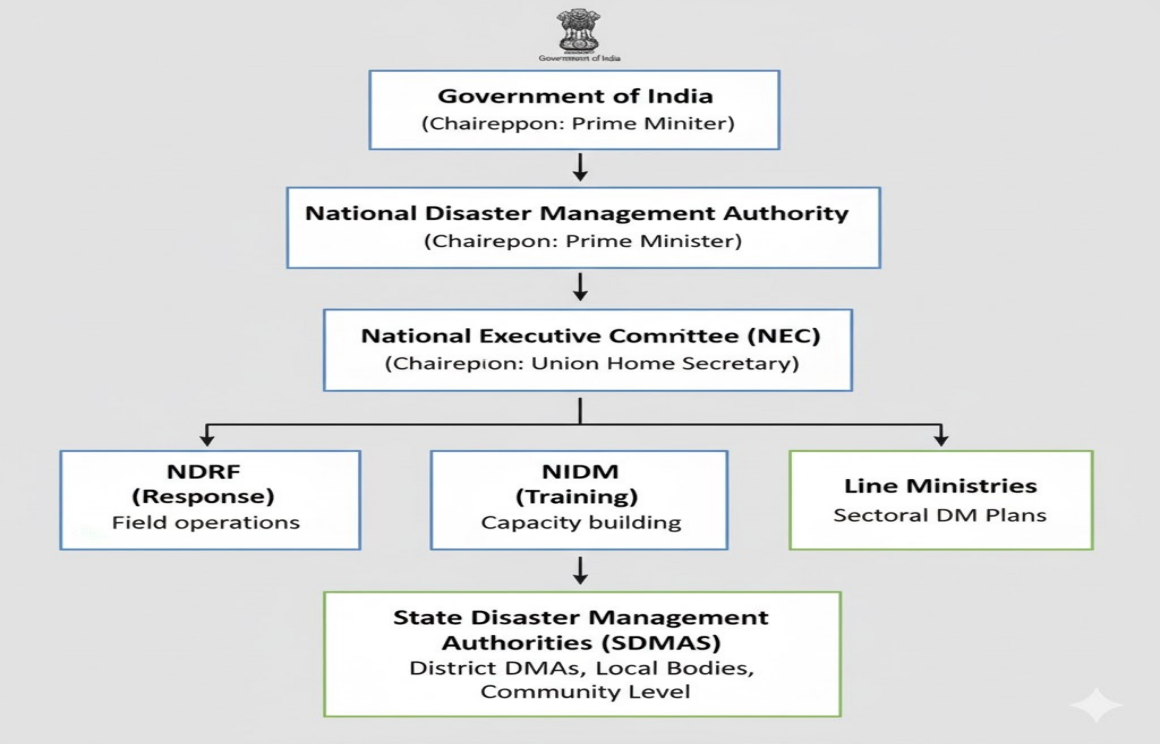

भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना (राष्ट्रीय स्तर)

तालिका–3.1

क्र.सं.	स्तर/निकाय	संस्थान/प्राधिकरण	मुख्य कार्य/उत्तरदायित्व
1	शीर्ष स्तर	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में)	आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियॉ, दिशा–निर्देश एवं योजनाएँ तैयार करता है, मंत्रालयों, राज्यों एवं अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
2	कार्यकारी स्तर	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) (केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में)	NDMA की नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है; राष्ट्रीय योजना तैयार करता है; विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।
3	परिचालन / प्रतिक्रिया स्तर (Operational/Response Level)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)(गृह मंत्रालय के अधीन)	देशभर में आपदाओं के दौरान खोज,बचाव एवं राहत कार्यों हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित, बहु–कौशल बल।
4	तकनीकी / परामर्श स्तर (Technical / Advisory Level)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण का कार्य करता है।
5	विभागीय / मंत्रालय स्तर (Line Ministries / Departments)	संबंधित मंत्रालय (जैसेरू कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि)	अपने–अपने क्षेत्रों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करते हैं एवं शमन व पुनर्वास उपायों का समन्वय करते हैं।
6	समन्वय एवं संसाधन जुटाव (Coordination–Resource Mobilization)	गृह मंत्रालय (MHA)–आपदा प्रबंधन प्रभाग	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन नीति, समन्वय एवं प्रतिक्रिया का नोडल मंत्रालय।
7	सहायता एवं वित्तीय तंत्र (Support–Funding Mechanism)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF)	आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं शमन कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
8	प्रारंभिक चेतावनी एवं तकनीकी समर्थन (Early Warning –Technical Support)	भारतीय मौसम विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), INCOIS, NRSC, GSI, ISRO आदि।	विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु वैज्ञानिक निगरानी, खतरे का पूर्वानुमान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हैं।

3.2– राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना–

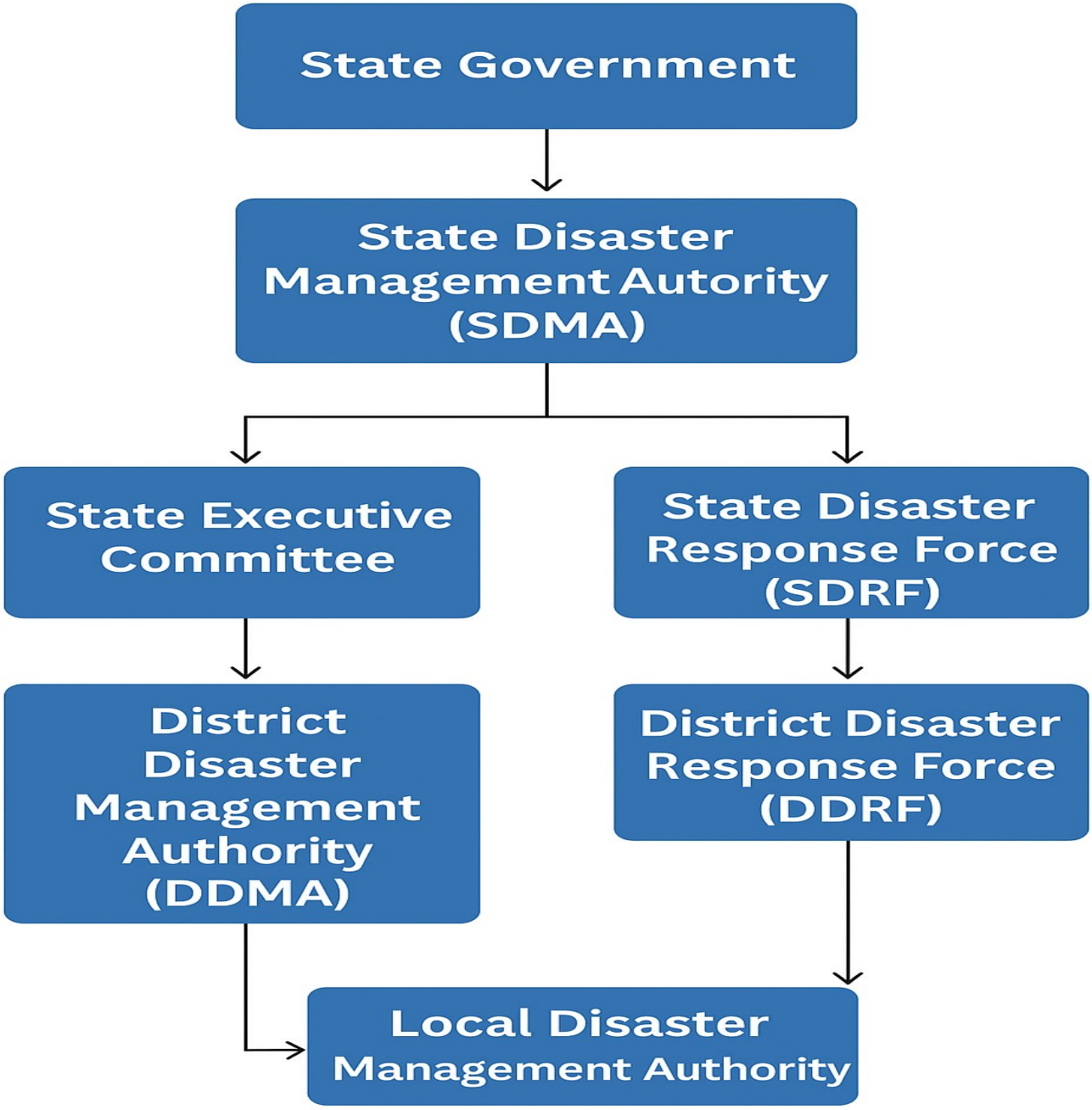

3.2.1– राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए)–राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में की गई है। यह निकाय राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यों का संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं से होने वाले जोखिमों को कम करना, जन–जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, तथा राज्य में आपदा प्रबंधन की एकीकृत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

2. संरचना (Composition of SDMA)

तालिका–3.2

पद	विवरण
अध्यक्ष (Chairperson)	राज्य के मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष (Vice&Chairperson)	राज्य सरकार द्वारा नामित (यदि आवश्यक समझा जाए)
सदस्य (Members)	अधिकतम 8 सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है
सदस्य सचिव (Member Secretary)	राज्य सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी
विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitees)	विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitees)

3. SDMA के प्रमुख कार्य एवं दायित्व (Functions and Responsibilities)

- **राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण**– राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु दीर्घकालिक नीति बनाना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan) तैयार करना, अनुमोदन देना एवं समय–समय पर अद्यतन करना।
- **विभागीय योजनाओं का समन्वय**–राज्य के सभी विभागों और एजेंसियों के बीच आपदा प्रबंधन कार्यों का समन्वय स्थापित करना।
- **जिला प्राधिकरणों का मार्गदर्शन**– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMAs) को दिशा–निर्देश देना और उनके कार्यों की निगरानी करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के उपायों को प्रोत्साहन देना।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (Capacity Building)**– प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवकों और जनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **जन–जागरूकता (Public Awareness)**– लोगों को आपदाओं से संबंधित जोखिमों और उनके बचाव उपायों के बारे में जागरूक करना।
- **संसाधन प्रबंधन**– आपदा के समय मानव संसाधन, उपकरण, वित्तीय सहायता आदि का कुशल प्रबंधन करना।
- **राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों का समन्वय**– आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और सहयोग सुनिश्चित करना।
- **अनुसंधान और नवाचार (Research – Innovation)**– आपदा जोखिम कम करने हेतु आधुनिक तकनीक, GIS आधारित योजना, और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना।

4. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Uttarakhand SDMA) का उदाहरण

- **अध्यक्ष**– माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
- **उपाध्यक्ष**– मुख्य सचिव, उत्तराखंड (नामित)
- **सदस्य**– प्रमुख सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन), पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), प्रमुख सचिव (लोक निर्माण), प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख सचिव (जल संसाधन) आदि
- **सदस्य सचिव**– सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
- **सहायक इकाई**– उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) का सचिवालय, देहरादून।

5. SDMA के अंतर्गत प्रमुख इकाइयाँ–

1. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (State Emergency Operation Centre & SEOC)

- 24×7 कार्यरत नियंत्रण कक्ष
- राज्य भर से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण
- निर्णय लेने के लिए प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना

2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

- आपदा के समय राहत, बचाव और निकासी कार्यों में तैनात
- आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस

3. राज्य योजना एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ

- आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन, अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य करना

6.SDMA की भूमिका आपदा के विभिन्न चरणों में

तालिका–3.3

चरण	SDMA की भूमिका
पूर्व आपदा (Pre-Disaster Phase)	जोखिम मूल्यांकन, योजना निर्माण, जन–जागरूकता और प्रशिक्षण
आपदा के दौरान (During Disaster)	राहत और बचाव कार्यों का समन्वय, संसाधनों का आवंटन
आपदा के बाद (Post-Disaster Phase)	पुनर्वास, पुनर्निर्माण और क्षति का मूल्यांकन

3.2.2– राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)–राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee – SEC) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत किया गया है। यह समिति राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होती है। यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority– SDMA) की नीतियों और दिशा–निर्देशों को लागू करने वाला मुख्य कार्यकारी निकाय (Executive Body) है।राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें चार सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है। आमतौर पर ये सदस्य राज्य के प्रमुख विभागों जैसे–गृह, वित्त, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, वन, और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। समिति में एक सदस्य सचिव (Member Secretary) भी होता है, जो सामान्यतः राजस्व विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग से होता है।राज्य कार्यकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समन्वय, दिशा और निगरानी सुनिश्चित करना है। यह समिति राज्य के विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, और अन्य एजेंसियों के बीच आपदा से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है, ताकि राहत, बचाव, पुनर्वास और जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित कार्य कुशलता से किए जा सकें।
यह समिति राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan) तैयार करती है और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है। इस योजना में राज्य के सभी विभागों, एजेंसियों और जिलों के आपदा प्रबंधन उपायों का एकीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह समिति समय–समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार संशोधन के सुझाव भी देती है।आपदा की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह समिति राज्य आपात संचालन केंद्र (State Emergency Operation Centre - SEOC) के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों का तत्काल संचालन करती है। आपदा के समय यह समिति सभी संबंधित विभागों को त्वरित निर्देश जारी करती है, राहत एवं बचाव दलों की तैनाती सुनिश्चित करती है और संसाधनों का उचित वितरण करवाती है।

समिति राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का भी पर्यवेक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी विभागों की योजनाएँ राज्य की समग्र आपदा प्रबंधन रणनीति के अनुरूप हों।वित्तीय दृष्टि से भी राज्य कार्यकारी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह समिति राज्य आपदा प्रबंधन कोष के उचित उपयोग की निगरानी करती है और आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के लिए अनुशंसा भेजती है।राज्य कार्यकारी समिति केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), और अन्य राज्यों के साथ निरंतर सूचना एवं सहयोग का आदान–प्रदान करती है। आपदा की स्थिति, राहत कार्यों की प्रगति और पुनर्वास की स्थिति से संबंधित रिपोर्टें नियमित रूप से राज्य सरकार और SDMA को प्रेषित की जाती हैं।उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार द्वारा की जाती है। समिति में राजस्व सचिव (आपदा प्रबंधन), स्वास्थ्य

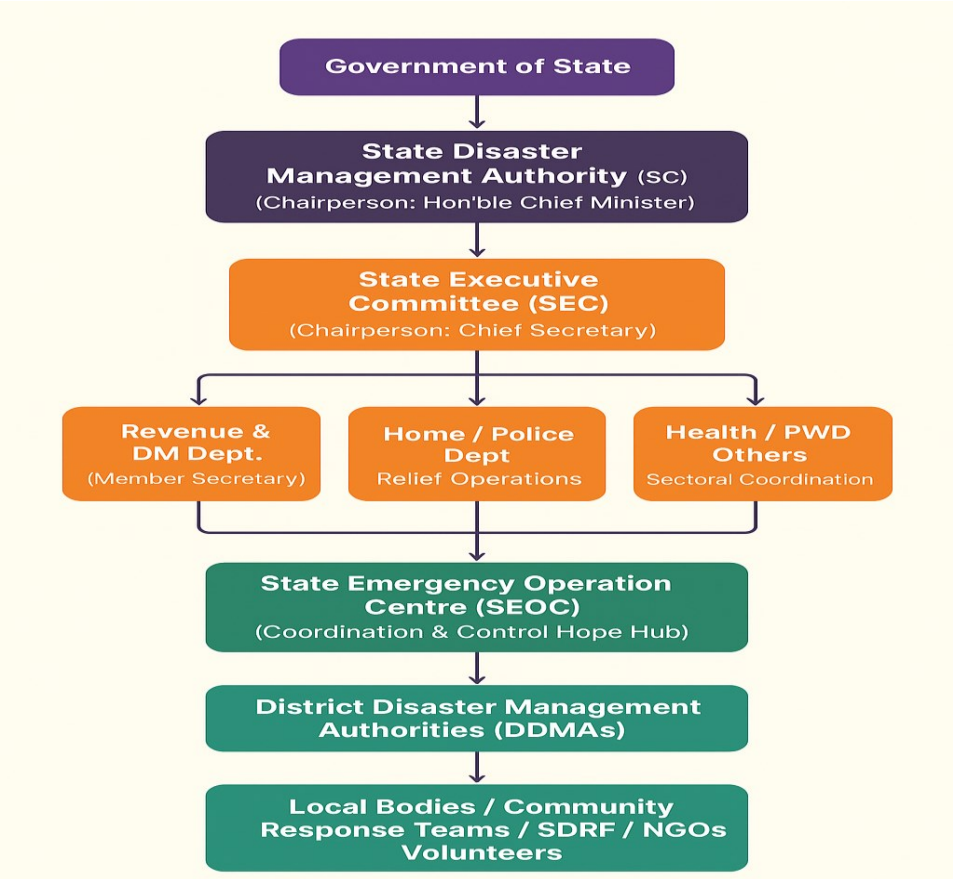

सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMA) और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्यव्यापी आपदा प्रबंधन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करती है।राज्य कार्यकारी समिति समय–समय पर राज्य में आयोजित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, जन–जागरूकता कार्यक्रमों, और जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की समीक्षा करती है और आवश्यक नीतिगत सुधारों का सुझाव देती है।

3.2.3– आपदा प्रतिक्रिया बल–

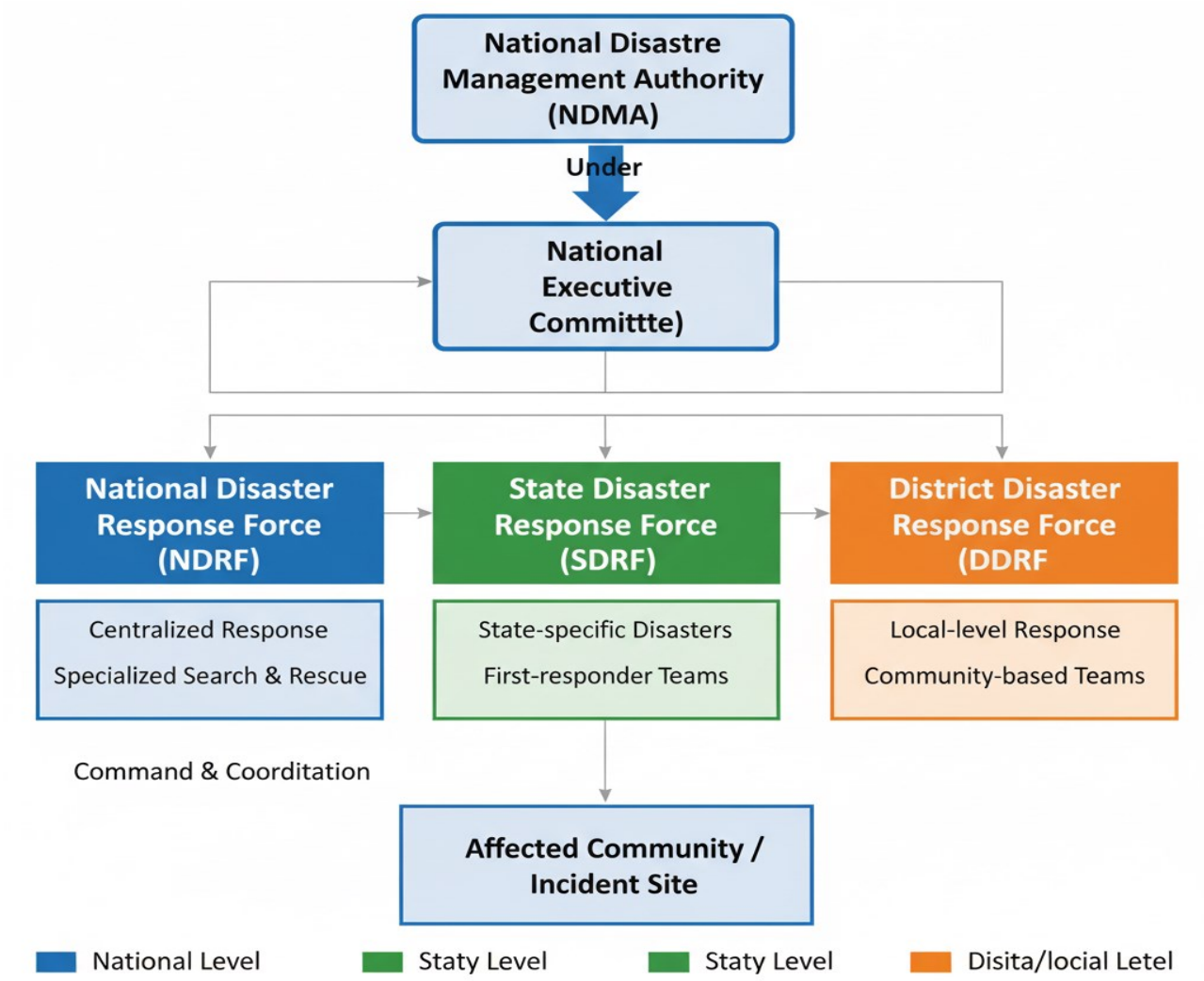

आपदा प्रतिक्रिया बल (Disaster Response Force – NDRF/ SDRF / DDRF)

- **राष्ट्रीय स्तर – राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल** (NDRF)
- **गठन वर्ष–** 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत
- **नियंत्रण–**गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)
- **मुख्यालय–** नई दिल्ली
- **संरचना–** कुल 12 बटालियन (विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB से ली गई)।
  - ➢ प्रत्येक बटालियन में लगभग 1,149 जवान।
  - ➢ विशेष प्रशिक्षण कृ भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं से निपटने हेतु।

मुख्य कार्य–

- राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की आपदाओं में खोज और बचाव कार्य।
- राज्य बलों (SDRF) को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- मॉक ड्रिल, जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ।
- **राज्य स्तर– राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)**

- **गठन–** राज्य सरकारों द्वारा, NDRF के मॉडल पर।
- **नियंत्रण–** राज्य का गृह या आपदा प्रबंधन विभाग।
- **मुख्य उद्देश्य–** राज्य में आपदा के समय प्रारंभिक प्रतिक्रिया और राहत कार्य करना।
- **संरचना–**राज्य के संवेदनशील जिलों में SDRF की यूनिटें तैनात।
- स्थानीय भूगोल (पर्वतीय, नदीय, मैदानी) के अनुसार विशेष प्रशिक्षण।

कार्य–

- खोज, बचाव और राहत कार्य।
- राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष (SEOC) के साथ समन्वय।
- DDRF और जिला प्रशासन को प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन देना।

जिला स्तर– जिला आपदा प्रतिक्रिया बल (DDRF)

- **गठन–** जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार।
- **नियंत्रण–** जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate / DDMA के अध्यक्ष)।
- **संरचना–** पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, और स्वयंसेवक (Apda Mitra, NCC, NYKS आदि) से मिलकर।
- स्थानीय युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे प्रारंभिक प्रतिक्रिया दे सकें।

मुख्य कार्य–

- आपदा के पहले राहत एवं बचाव कार्यों में तत्काल प्रतिक्रिया।
- SDRF या NDRF के पहुँचने से पहले घटनास्थल पर प्रारंभिक नियंत्रण।
- प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी और राहत शिविर प्रबंधन।
- ग्राम स्तर पर आपदा जागरूकता अभियान एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।

3.2.4– राज्य संकट प्रबंधन समूह (एससीएमजी)–राज्य संकट प्रबंधन समूह (SCMG) एक उच्च–स्तरीय समन्वयक निकाय है, जिसे राज्य स्तर पर आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने, संसाधनों के कुशल उपयोग और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित किया जाता है। यह समूह राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों–तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response), राहत (Relief), पुनर्वास (Rehabilitation) और पुनर्निर्माण (Reconstruction)–में सहयोग प्रदान करता है।

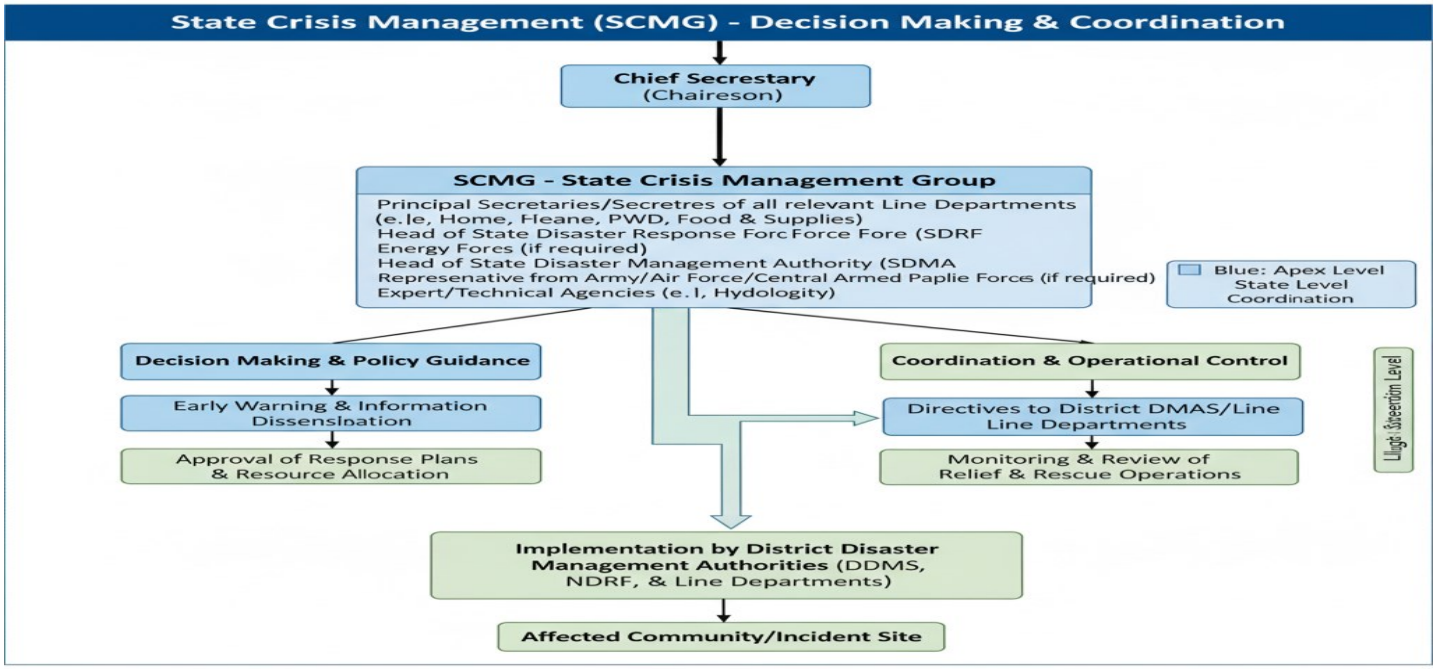

मुख्य संरचना (Composition)–

1. मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव–अध्यक्ष
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के सदस्य सचिव
3. गृह विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, ग्रामीण विकास, और सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

4. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग/आपदा प्रबंधन सचिवालय के प्रतिनिधि
5. आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों, NDRF / SDRF, और प्रमुख तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि

मुख्य कार्य (Key Functions)–

- आपदा प्रतिक्रिया का संचालन (Disaster Response Coordination)–आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना।
- राज्य के सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और दिशा–निर्देश देना।

1. **संसाधन प्रबंधन** (Resource Management)–
   - आपदा से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों–मानवबल, उपकरण, वित्तीय सहायता, और परिवहन कृ का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
   - आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों की मांग केंद्र या अन्य राज्यों से करना।

2. **सूचना और संचार प्रणाली (Information-Communication)–**
   - राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र (State EOC) से निरंतर संपर्क बनाए रखना।
   - मीडिया और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जनता को सटीक जानकारी प्रदान करना।

3. **नीति निर्माण और मूल्यांकन (Policy & Evaluation)–**
   - आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें देना।
   - राहत कार्यों और पुनर्वास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

4. **कार्य प्रणाली (Mode of Operation)–**
   - यह समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित करता है, और आपदा के समय दैनिक आधार पर बैठकें कर सकता है।
   - समूह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को अपनी रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करता है।
   - राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (State EOC) SCMG के निर्देशन में कार्य करता है।

3.2.5– राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष/उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) और राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष (SEOC) राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ (Backbone) माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है – राज्य में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित सूचना संचार, समन्वित प्रतिक्रिया, राहत कार्यों का संचालन, संसाधनों की उपलब्धता, तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना।

मुख्य संरचना (Composition)–

1. मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव–अध्यक्ष
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के सदस्य सचिव
3. गृह विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, ग्रामीण विकास, और सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
4. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग/आपदा प्रबंधन सचिवालय के प्रतिनिधि
5. आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों, NDRF / SDRF, और प्रमुख तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि

मुख्य कार्य (Key Functions)–

1. **आपदा प्रतिक्रिया का संचालन (Disaster Response Coordination)–**
   - आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना।
   - राज्य के सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
   - राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और दिशा–निर्देश देना।
2. **संसाधन प्रबंधन (Resource Management)–**
   - आपदा से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों–मानवबल, उपकरण, वित्तीय सहायता, और परिवहन–का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों की मांग केंद्र या अन्य राज्यों से करना।

3. **सूचना और संचार प्रणाली (Information–Communication)–**
   - राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र (State EOC) से निरंतर संपर्क बनाए रखना।
   - मीडिया और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जनता को सटीक जानकारी प्रदान करना।

4. **नीति निर्माण और मूल्यांकन (Policy& Evaluation)–**
   - आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें देना।
   - राहत कार्यों और पुनर्वास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

5. **कार्य प्रणाली (Mode of Operation)–**
   - यह समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित करता है, और आपदा के समय दैनिक आधार पर बैठकें कर सकता है।
   - समूह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को अपनी रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करता है।
   - राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (State EOC) SCMG के निर्देशन में कार्य करता है।

3.3– जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना–जनपद में संभावित आपदाओं के शमन,जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है।जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को संपादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन कियागया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गतअध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलैक्ट्रट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है ।

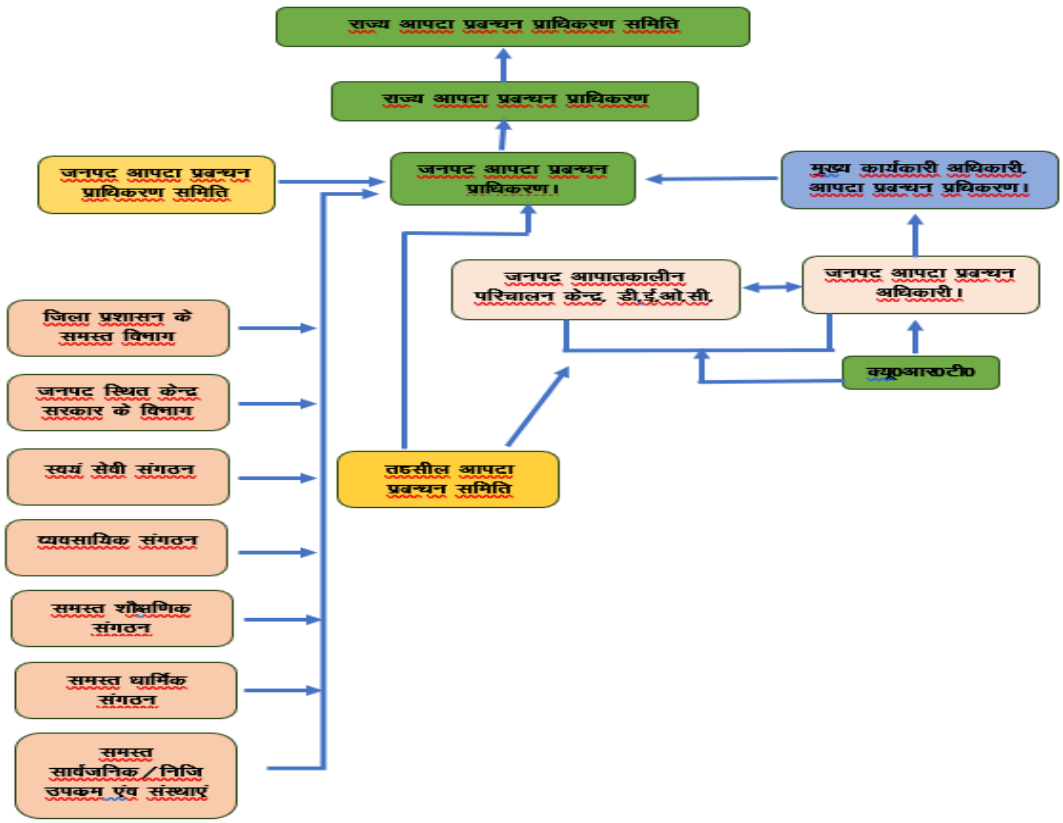

जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व–आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नप्रकार अधिसूचित है–

तालिका–3.4

क्र.सं	पदनाम		फोन नं0		
			कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	01376–232092	232233	9412078080
2	जिला पंचायत अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	01376–		
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	01376–232162	232399	9411114544
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	01376–232603	232322	942018088
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट सदस्य एवं मुख्य अधीशासी अधिकारी		01376–233992		9456141333
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	01376–232093		9720658690
7	अधीशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0	सदस्य	01376–233312	233317	8171972219

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्वः–

I. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
II. जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अध्यतन रखना।
III. जनपद मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
IV. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
V. जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
VI. जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
VII. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
VIII. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
IX. जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
X. किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
XI. आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्विलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
XII. जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
XIII. आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
XIV. जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
XV. यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
XVI. जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
XVII. जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
XVIII. जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
XIX. ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

XX. राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।

XXI. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।

XXII. जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।

XXIII. संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।

XXIV. जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विधालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अधतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।

XXV. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद टिहरी गढ़वाल की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया गया है।

तालिका–3.5

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

Table 3.2: Teshil-level disaster management arrangements

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति,संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

I. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।

II. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।

III. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।

IV. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।

V. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।

VI. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

VII. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।

VIII. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।

IX. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
X. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
XI. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.1.5– संकट प्रबन्धन समुह–

उत्तराखण्ड शासन गृह विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–405/XX(2)/232/सुरक्षा/2009 दिनांक–03.03.2010 के द्वारा जनपद में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नियंत्रित न हो सकने वाली असामान्य स्थितियों का सामना करने तथा त्वरित व प्रभावी प्रतिवाद सुनिश्चित कर नियन्त्रण पाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्न संकट प्रबन्धन समूह गठितः–

तालिका–3.6

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य
6	अधि0अभि0 लोनिवि	सदस्य
7	अधि0अभि0 सिंचाई	सदस्य
8	परिवहन विभाग के जनपद में नियत प्रभारी अधिकारी	सदस्य
9	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य सचिव
10	प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय सैन्य बल/अर्द्ध सैनिक बल	सदस्य
11	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
12	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

Table 3.3: District Hazard Safety Unit

आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)–जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुॅच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT)का निम्नप्रकार से गठन किया जाता हैः–
तहसीलस्तरीय (क्यू0आर0टी0)

नोडल –	उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
सहायक नोडल अधिकारी –	तहसीलदार टिहरी गढ़वाल।
सदस्य–	पुलिस उपाधीक्षक टिहरी गढ़वाल
सदस्य–	खण्ड विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
सदस्य–	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल
सदस्य–	पूर्ति निरीक्षक, टिहरी गढ़वाल

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0 / उ0प्रा0वि0 / जू0हा0 / इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह / महिला मं0 दल / यु0मं0 दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए0एन0एम0 / आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि / भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

Table 3.8: Village level Disaster Management Committee

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में **तत्काल प्रभाव** से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

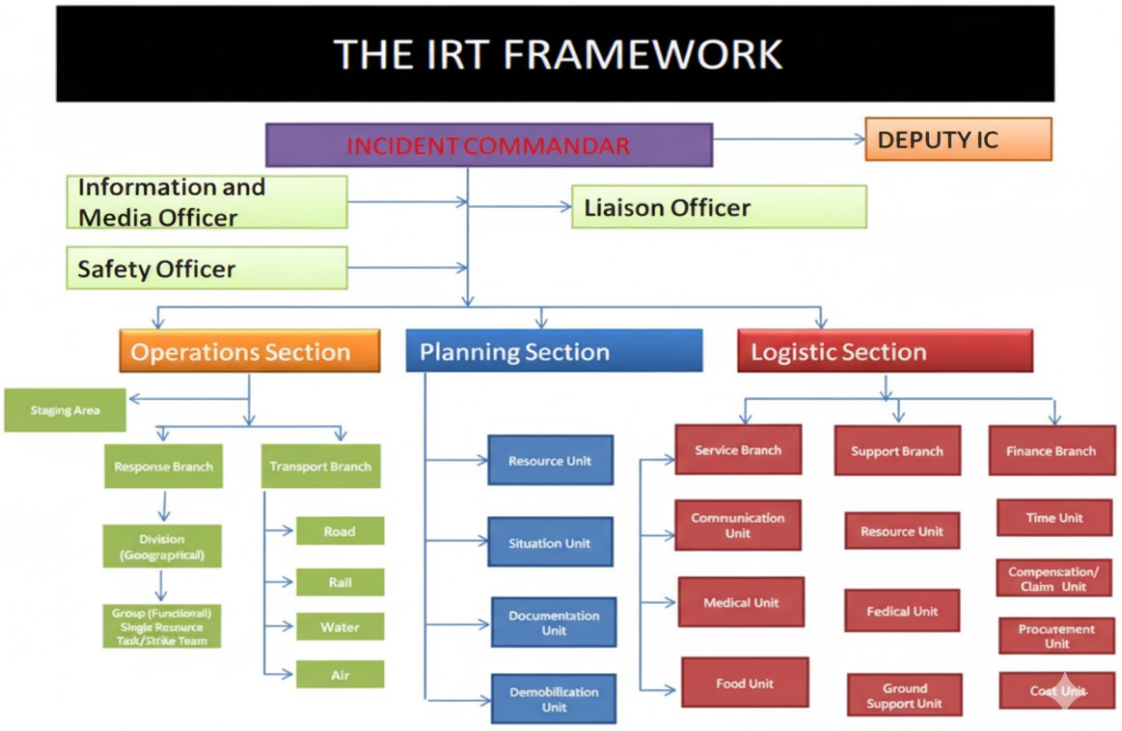

3.3.1– जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)–जनपद में संभावित आपदाओं के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों को सम्पन्न करने हेतु इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया गया है। अतः किसी आपदा के घटित होने पर सम्बन्धित तहसील एवं जनपद स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम क्रियाशील किया जाएगा।

3.3.2– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएँ–

1–पृष्ठभूमि एवं स्थापना (Background & Establishment)

टिहरी गढ़वाल जनपद भौगोलिक दृष्टि से राज्य का सबसे संवेदनशील और आपदा–प्रवण क्षेत्र है – जहाँ भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, सड़क अवरोध, जंगल की आग और चारधाम मार्ग की आपात स्थितियाँ बार–बार घटित होती हैं।इन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय, समन्वय, और राहत कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) की स्थापना की गई।

स्थापना वर्ष– इलगभग वर्ष 2008–09 के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में SEOC के अनुरूप DEOC की स्थापना के आदेश के तहत।

स्थान–

- कलेक्ट्रेट भवन, टिहरी गढ़वाल, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के समीप।
- भवन पूर्णतः सुरक्षित, भूकंप प्रतिरोधी एवं संचार–समर्थ संरचना से युक्त।

नियंत्रण एवं संचालन–

- **जिलाधिकारी (District Magistrate)–** प्रमुख नियंत्रक अधिकारी।
- **जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)–** नोडल अधिकारी व प्रभारी।
- 24×7 संचालनरू चौबीसों घंटे प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा निरंतर संचालन।

2– उद्देश्य एवं कार्य (Objectives & Functions)

DEOC का लक्ष्य है–

"आपदा की स्थिति में सूचना, निर्णय और कार्यान्वयन की पूरी श्रृंखला को एक केंद्रीकृत, समन्वित और त्वरित प्रणाली में परिवर्तित करना।"

मुख्य कार्यः

आपदा पूर्व (Pre-Disaster)–

- जोखिम क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील मानचित्र तैयार करना।
- सभी विभागों से संसाधन सूची (Resource Inventory) एकत्र कर डिजिटल रूप में संग्रहित करना।
- मौसम चेतावनियाँ, अलर्ट और एडवाइजरी जारी करना।
- मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- SDRF/DDRF एवं विभागीय नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय बैठकें।

आपदा के दौरान (During Disaster)–

- आपदा की सूचना का त्वरित प्राप्ति, सत्यापन और विश्लेषण।
- स्थिति रिपोर्ट (Situation Report/ SitRep) तैयार कर जिलाधिकारी व राज्य नियंत्रण कक्ष को भेजना।
- राहत एवं बचाव कार्यों के लिए SDRF/DDRF, पुलिस, स्वास्थ्य और PWD आदि को सक्रिय करना।
- मीडिया, प्रशासन और जनता के बीच समुचित सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना।
- संचार नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में VHF/Wireless के माध्यम से संपर्क बनाए रखना।

आपदा के बाद (Post-Disaster)–

- क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित करना।
- पुनर्वास कार्यों की मॉनिटरिंग और समन्वय।
- सीखे गए सबक (Lessons Learnt) का दस्तावेज़ीकरण और आगामी सुधार योजना बनाना।

3–संगठनात्मक संरचना (Organizational Setup of DEOC, Uttarkashi)

पदनाम	भूमिका / दायित्व
जिलाधिकारी (DM)	Incident Commander / Overall Incharge
मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	Planning & Coordination Support
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	DEOC In-charge / Information Management
Nodal Officers (विभागीय)	विभाग–वार स्थिति एवं संसाधन जानकारी
संचार प्रभारी (Communication Officer)	सूचना, Wireless, IP, Internet संचार नियंत्रण
डेटा विश्लेषक (Data Analyst)	रिपोर्टिंग, GIS मैपिंग एवं Dashboard अद्यतन
ऑपरेटर (Operators)	कॉल रिसेप्शन, एंट्री, लॉग रखरखाव
SDRF / DDRF टीम समन्वयक	राहत दलों की सूचना व कार्य समन्वय
वाहन एवं लॉजिस्टिक प्रभारी	रेस्क्यू / राहत वाहन संचालन, संसाधन आपूर्ति

4–उपलब्ध प्रमुख सुविधाएँ (Infrastructure & Facilities at DEOC] Uttarkashi)

क्र.सं.	सुविधा का नाम	उपयोगिता
1	24×7 Control Room	आपदा सूचना प्राप्ति व प्रतिक्रिया हेतु सतत कार्यरत।
2	VHF Wireless Network	सभी तहसीलों, थानों, SDRF / DDRF से सीधे संपर्क हेतु।
3	Satellite Phone / IP Phone	संचार विफल होने पर वैकल्पिक साधन।
4	GIS Mapping–Digital Dashboard	संवेदनशील क्षेत्र, राहत शिविर, मार्गों की स्थिति का दृश्यांकन।
5	Video Conferencing Facility	SEOC / SDMA से प्रत्यक्ष समन्वय हेतु।
6	CCTV / IP Surveillance System	चारधाम मार्ग, भीड़–नियंत्रण स्थलों की लाइव निगरानी।
7	Automatic Weather–River Level Monitoring	मौसम एवं जलस्तर अलर्ट हेतु।
8	Automatic Weather–River Level Monitoring	मौसम एवं जलस्तर अलर्ट हेतु।
9	Power Backup (DG Set / Solar)	24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति।
10	Resource Inventory–Relief Store List	मानव संसाधन, वाहन, मेडिकल सामग्री व उपकरणों का डिजिटल डाटा।
11	Public Information Display / Alert System	आम नागरिकों हेतु सूचना प्रसारण।

5– जिला टिहरी गढ़वाल में आपातकालीन संचार नेटवर्क (Emergency Communication Network)

DEOC टिहरी का नेटवर्क सभी तहसीलों, ब्लॉकों, SDRF, DDRF, पुलिस, और स्वास्थ्य विभागों से एकीकृत (Integrated Communication Grid) के रूप में जुड़ा हुआ है।

संचार चौनल–

- IP Based System
- VHF / HF Wireless
- Internet–Email Alerts
- SMS Gateway / WhatsApp Official Group
- Satellite Communication (In case of network collapse)

6– संसाधन एवं प्रतिक्रिया तंत्र (Response Resources–Mechanism)

प्रमुख तैनात बल–

- SDRF Team– Ghansali, Koti Coloney, Dhalwala, Byashi: जिला आपातकालीन केंद्र से सीधा समन्वय।
- स्थानीय प्रशिक्षित दल जो प्रारंभिक राहत कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया देता है।
- Fire Service, Health, Police, PWD, Jal Sansthan, Electricity–NGOs का समन्वित योगदान।

वाहन एवं उपकरण–

- Search & Rescue वाहन
- Ambulance
- Inflatable Boat, Rope Rescue Kits,Stretchers, Life Jackets, Fire Equipment
- Drone Camera (Monitoring हेतु)

7. चारधाम यात्रा एवं विशेष आपदा निगरानी (Special Monitoring for CharDham–Seasonal Hazards)

DEOC टिहरी गढ़वाल हर वर्ष चारधाम यात्रा सीजन (मई से अक्टूबर) में विशेष नियंत्रण कक्ष के रूप में भी कार्य करता है–

- यात्रा मार्गों की CCTV निगरानी
- यात्रियों की सुरक्षा सूचना
- मौसम व मार्ग स्थिति रिपोर्ट जारी करना

8– जिला में सहायक सुविधाएँ (Supporting Facilities in District)

1. तहसील स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष (Tehsil Level EOCs)
2. स्वास्थ्य विभाग का 108 आपात सेवा नेटवर्क।
3. फायर सर्विस स्टेशन– टिहरी।
4. NGO और स्वयंसेवी संगठन– रेडक्रॉस, आपदा मित्र।

9– तकनीकी एवं डिजिटल सशक्तिकरण (Technological Empowerment)

- GIS आधारित लाइव डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली।

10– निष्कर्ष (Conclusion)

जनपद टिहरी गढ़वाल का आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC), जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और सूचना समन्वय प्रणाली का हृदय (Heart ofDisaster Response System) है। यह केंद्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन, संपत्ति, और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय आधार भी है।

3.3.3–जनपद में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

वनाग्नि धटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी, समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
4	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

Table 3.9: District Level Forest Fire Control Committee

इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
3	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
4	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
5	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

Table 3.10: Block Level Forest Fire Control Committee

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

3.2.2 वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन–वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

I. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
II. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
III. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
IV. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
V. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठकका आयोजन भी किया जायेगा।

3.3.4– आपदा सुरक्षा इकाई–

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालयादेश संख्या 5045/XIV–168 (2004) दिनांक 04.09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Hazard Safety Unit) का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, उत्तरकाशी	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	सदस्य
6	भूतत्व एवं खनिकर्म अधिकारी, उत्तरकाशी	सदस्य

3.3.5– आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)–जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुॅच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

3.3.6– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.1.7– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति,संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

I. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
II. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
III. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
IV. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
V. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
VI. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
VII. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
VIII. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
IX. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
X. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
XI. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.1.8– तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल–जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT)का निम्नप्रकार से गठन किया जाता हैः–

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0 एवं सिंचाई	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.1.9– ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं0 दल/यु0मं0 दल	सदस्य
5	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
6	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
7	ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्ती	सदस्य
8	ग्राम प्रहरी	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

अध्याय–04

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Prevention and Mitigation Measures)

4.1– आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य–आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क)(I)में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतुवर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:–

- आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना
- आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का क्षमतावृद्धि
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश
- प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया, पुनःस्थापन,पुनर्निर्माण हेतु पूर्व तैयारीकार्यों को बढावा देना ।

4.2 पर्यावरणीय संवेदनशीलता, (भूस्खलन और सड़क अवरूद्ध, त्वरित बाढ़/जल भराव, भूकंप, वनाग्नि, बाढ़, बादल फटना, सड़क दुर्घटनाएँ, हिमपात)–जनपद टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील (Sensitive) है क्योंकि यह संपूर्ण रूप से हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है।यह क्षेत्र मुख्यतः भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, जंगल की आग, हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है।जनपद का अधिकांश भाग नदियों, घाटियों, तीव्र ढालों और भूस्खलन–प्रवण मार्गों से होकर गुजरता है, जिससे यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक जोखिमग्रस्त (High Risk Zone) बन जाता है।

4.2– खतरे के लिए विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय–

- राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीनव्यवस्था–आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास एंव अघतन करना।
- विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के आपदा जोखिम मानकों के अनुरूप विकसित करना।
- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभागीय योजनाओं का खतरों के परिप्रेक्ष्य मे जिले के संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तथा समय सीमा तय करना।
- विभागीय योजनाओं के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मॉनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुंनिष्चित करवाना।

4.2.1– संरचनात्मक उपायों–जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

4.2.2– गैर संरचनात्मक उपायों–के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों/सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना,आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

4.3– राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (Departmental Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभीशासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्योंको विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान तथा कार्ययोजना।

- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानवसंसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतुप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- अन्यविभागों/संस्थाओं आदि से आपदाप्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

4.4 राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना–NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जनपद प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सालयों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
मुख्यचिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत समस्तचिकित्सायों के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबन्धित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु अवगतकराना।

4.5 सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण–आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति स्थानीय नागरिक ही होता है। इसलिए समुदाय को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना आपदा प्रबंधन की सबसे प्रभावी रणनीति मानी जाती है। टिहरी गढ़वाल जैसे पर्वतीय और भौगोलिक रूप से संवेदनशील जनपद में सामुदायिक भागीदारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख आधार है। स्थानीय समुदायों को आपदा मित्र योजना, ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), एनएसएस, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इन कार्यक्रमों के तहत लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव, आपातकालीन संचार, और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। स्कूलों में आपदा शिक्षा, मॉक ड्रिल और सुरक्षा क्लब के माध्यम से बच्चों में भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के सहयोग से टिहरी गढ़वाल जिले में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राम स्तर की आपदा प्रतिक्रिया योजनाएँ, और स्थानीय चेतावनी प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं। SDRF, Redcross, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग द्वारा विशेष रूप से खोज एवं बचाव, पर्वतीय राहत और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन प्रयासों से स्थानीय नागरिकों में आत्मनिर्भरता और त्वरित प्रतिक्रिया की भावना विकसित हुई है, जिससे आपदा के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होती है। सामुदायिक भागीदारी से न केवल आपदा जोखिम कम होता है, बल्कि यह एक स्थायी और लचीली (तमेपसपमदज) समाज व्यवस्था की नींव रखती है। जब प्रत्येक नागरिक, संस्था और पंचायत आपदा तैयारी का सक्रिय भाग बनती है, तो टिहरी गढ़वाल जैसे संवेदनशील जिले को "आपदा–सहिष्णु जिला" के रूप में विकसित करना संभव हो जाता है।

4.6 समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

Guideline for School Disaster Preparedness

- ***School Disaster Management Plan***

1. Formation of School Disaster Management Committee
   Members: CRC, Trustee, Principal, Vice principal, BEO, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, students, and other Departmental officers.
2. Orientation program for SDMC, School teachers & Students.
3. Formation of School Disaster Management Teams
   Detail of Teams:
   (a) Early warning & Communication
   (b) Search & Rescue
   (c) First Aid
   (d) Evacuation Team
   (e) Awareness Generation Team

Members: Trustee, Principal, Vice principal, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, One or Two students.

4. Mapping Exercises:
   (a) Hazard, Risk & Vulnerability mapping of school
   (b) Resource mapping of school
   (c) Evacuation mapping of school
5. Resources availability in school
6. Emergency contact details
7. Training for SDMTs
8. Awareness Generation related activities:
   (a) Drawing competition & exhibitions on disasters
   (b) Essay competition
   (c) Vorkuta sprdha (Speech)
   (d) Debate
   (e) Rally
   (f) Play/Street play
   (g) Do's & Don'ts painting about Earthquake, Flood, Road Accident, Fire, Industrial Accident etc. on main wall of school
   (h) Do's & Don'ts speaking by students in morning/ Noon pray of school.
9. Mock Drill

4.6.1– विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना–

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	सूची	हॉ/नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ीयॉ आने–जाने में बाधा रहित हैं ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है ?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ीयॉ हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं ?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्राकर की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है ?		

4.7 समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निशमन एवं निकासी योजना (Fire Exit and Evacuation Plan)–जिला विकास प्राधिकरण में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गतजिले के समस्त व्यवसायिक भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का फायर निकासी योजना बनाया जाना तथा इस

योजना अनुसार निश्चित समयावधि मे पूर्व तैयारी एवं समय–समय पर माक ड्रिल का कराया जाना सुनिश्चित किया जाना।

4.8 निति और शासन–आपदा प्रबंधन में नीति और शासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिशा, संसाधन, और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है जिससे आपदाओं के प्रति समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 में ''आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act, 2005)'' लागू किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थाओं की स्थापना की गई– जैसे ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)'', ''राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)'' और ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)''।उत्तराखण्ड राज्य में ''उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA)'' आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)'' गठित है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया की दिशा में कार्य करता है। शासन स्तर पर आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है ताकि हर विभाग– जैसे लोक निर्माण, जल संस्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि आदि कृ अपने–अपने क्षेत्र में आपदा–संवेदनशील योजनाओं को प्राथमिकता दे सके।

नीति निर्माण के अंतर्गत राज्य सरकार ने ''राज्य आपदा प्रबंधन नीति'', ''राज्य कार्ययोजना (State Disaster Management Plan),और ''जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)'' जैसी रणनीतिक योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आपदा जोखिमों की पहचान करना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, और त्वरित राहत एवं पुनर्वास प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है।शासन स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, और त्वरित निर्णय–प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ''ई–गवर्नेंस'', ''आईटी–आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम'', और ''स्मार्ट कंट्रोल रूम्स'' जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय निकायों– ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों और सामुदायिक संगठनों–को भी नीतिगत प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।इस प्रकार, उत्तराखण्ड में नीति और शासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन को एक ''संवेदनशील, सहभागी और सतत विकास'' की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है, जहाँ सरकार और जनता मिलकर "आपदा सुरक्षित समाज" के निर्माण की दिशा में कार्यरत हैं।

अध्याय–5

तैयारी के उपाय (Preparedness Measures)

5.1 तैयारी उपायों का उद्देश्य–

1. **जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन (Risk Identification and Assessment):**
   - संभावित आपदाओं (भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आग, हिमस्खलन आदि) के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
   - जनसंख्या, संपत्ति, और संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना।
2. **संगठनात्मक ढाँचा विकसित करना (Institutional Framework Development):**
   - जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित करना।
   - नियंत्रण कक्ष (EOC/DEOC) को सशक्त करना और त्वरित संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (Training and Capacity Building):**
   - आपदा मित्र, स्वयंसेवक, राजस्व कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, SDRF/NDRF आदि का नियमित प्रशिक्षण।
   - स्कूलों, कॉलेजों, और समुदायों में Mock Drill कराकर व्यावहारिक अभ्यास।
4. **प्रारंभिक चेतावनी एवं संचार प्रणाली (Early Warning and Communication):**
   - मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग आदि से समय पर सूचना प्राप्त करना।
   - सूचना का तेज और सटीक प्रसारण जिला प्रशासन से जनता तक सुनिश्चित करना।
5. **आपातकालीन योजना तैयार करना (Preparation of Emergency Plans):**
   - District Disaster Management Plan (DDMP), Village Disaster Management Plan (VDMP) तैयार करना।
   - Response, Relief और Recovery की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।
6. **महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना (Resource Inventory & Stockpiling):**
   - रेस्क्यू उपकरण, दवाइयाँ, टॉर्च, रस्सी, नाव, ट्रक, JCB, जनरेटर आदि की सूची तैयार रखना।
   - आवश्यक वस्तुओं का पूर्व–भंडारण (Pre-positioning) संवेदनशील स्थानों पर करना।
7. **जनजागरूकता एवं समुदाय की भागीदारी (Public Awareness–Community Participation):**
   - पोस्टर, रैली, वर्कशॉप, आपदा मित्र अभियान, विद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से जन–जागरूकता।
   - ग्राम स्तर पर "आपदा उत्तरदायी समूह" (Disaster Response Group) का गठन।
8. **अभ्यास एवं परीक्षण (Rehearsal and Mock Drill):**
   - नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित कर सभी विभागों की तत्परता जाँचना।
   - Gap Analysis के माध्यम से प्रणाली की कमजोरियाँ पहचानकर सुधार।
9. **अंतर–विभागीय समन्वय (Inter & Departmental Coordination):**
   - सभी विभागों के बीच संपर्क, सूचना और संसाधन साझा करने की व्यवस्था।
   - EOC के माध्यम से नियंत्रण और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
10. **स्वास्थ्य एवं आपात चिकित्सा तैयारी (Health & Emergency Preparedness):**
    - अस्पतालों में Disaster Ward, Blood Bank और Ambulance System तैयार रखना।
    - Rapid Response Medical Teams की तैनाती और सूची अद्यतन रखना।

तैयारी का उद्देश्य केवल उपकरण जुटाना नहीं, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील, प्रशिक्षित और संगठित समाज व्यवस्था बनाना है जो हर परिस्थिति में संयम और क्षमता के साथ प्रतिक्रिया दे सके।

5.2 जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची–

यह सूची जिला स्तर पर आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारियों का एक मानक मार्गदर्शक (Standard Guideline) है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा आने से पहले सभी विभाग, संस्थाएँ और समुदाय अपनी भूमिकाओं, संसाधनों और संचार तंत्र के साथ तैयार हों।

(A) प्रशासनिक तैयारी (Administrative Preparedness)

तालिका–5.1

क्र.	कार्य का विवरण	उत्तरदायी विभाग/अधिकारी	स्थिति / टिप्पणियाँ
1	जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) का 24×7 संचालन	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	सक्रिय / समीक्षा शेष
2	नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर सक्रिय एवं प्रचारित	सूचना विभाग / DEOC	
3	आपदा नियंत्रण योजना का अद्यतन (DDMP/VDMP)	जिला प्रशासन / DDMO	
4	विभागीय संपर्क सूची का सत्यापन एवं अपडेट	समस्त विभागाध्यक्ष	
5	रात्रि आपातकालीन ड्यूटी चार्ट तैयार	उप जिलाधिकारी (SDM)	
6	सभी राजस्व क्षेत्रीय अधिकारियों को तैनाती निर्देश	ADM/SDM	

(B) स्वास्थ्य विभाग की तैयारी (Health Department Preparedness)

तालिका–5.2

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	जिला अस्पताल एवं CHC/PHC में आपदा वार्ड की व्यवस्था	मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)	
2	आपात दवाइयों एवं जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त भंडारण	CMO / Pharmacist	
3	Ambulance एवं Mobile Medical Unit की तत्परता	CMO / 108 सेवा	
4	Rapid Response Medical Team का गठन	CMO	
5	Blood Bank एवं Oxygen Cylinder की उपलब्धता की जाँच	Medical Superintendent	

(C) पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था (Police & Security Preparedness)

तालिका–5.3

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	पुलिस नियंत्रण कक्ष का 24 घंटे संचालन	SP / CO	
2	आपदा प्रभावित क्षेत्र हेतु विशेष गश्ती दल	SHO Concerned	
3	यातायात नियंत्रण एवं मार्ग अवरोध हटाने की तैयारी	Traffic Police	
4	भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस बल की योजना	SP / SDM	
5	SDRF/NDRF को सूचना प्रेषण प्रणाली	DEOC / Police Control Room	

(D) लोक निर्माण विभाग (PWD) की तैयारी

तालिका–5.4

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	संवेदनशील मार्गों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट	अधिशासी अभियंता (PWD)	
2	वैकल्पिक मार्गों की पहचान एवं चिन्हांकन	PWD / BRO	
3	मलबा हटाने हेतु JCB /Loader की उपलब्धता	Executive Engineer	
4	पुल, सड़क एवं भवनों की संरचनात्मक स्थिति की जाँच	AE / JE	
5	जनपद मुख्यालय से रिमोट एरिया के सम्पर्क मार्ग सुनिश्चित	PWD / RWD	

(E)विधुत विभाग (Electricity Department)

तालिका–5.6

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	सभी फीडर एवं ट्रांसफार्मर का निरीक्षण	अधिशासी अभियंता (UPCL)	
2	बैकअप जनरेटर की कार्यशीलता जाँच	Electrical Engineer	
3	आपदा के समय प्राथमिकता आपूर्ति हेतु योजना	UPCL	
4	Control Room से समन्वय हेतु 24 घंटे ऑपरेटर	UPCL	

(E)विधुत विभाग (Electricity Department)

तालिका–5.7

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	सभी फीडर एवं ट्रांसफार्मर का निरीक्षण	अधिशासी अभियंता (UPCL)	
2	बैकअप जनरेटर की कार्यशीलता जाँच	Electrical Engineer	
3	आपदा के समय प्राथमिकता आपूर्ति हेतु योजना	UPCL	
4	Control Room से समन्वय हेतु 24 घंटे ऑपरेटर	UPCL	

(F) जल संस्थान एवं जल निगम (Water Supply Department)

तालिका–5.8

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	पेयजल स्रोतों एवं पाइपलाइन की जाँच	Jal Sansthan / Nigam	
2	जलाशयों की क्षमता एवं शुद्धता परीक्षण	AE (Water)	
3	वैकल्पिक जलापूर्ति स्रोतों की पहचान	Jal Sansthan	
4	पानी के टैंकर / स्टोरेज टैंक तैयार रखना	Jal Nigam/Jal sasthan	

(G) अग्निशमन एवं नागरिक सुरक्षा (Fire -Civil Defence)

तालिका–5.9

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	Fire Tender एवं उपकरण की जाँच	Chief Fire Officer	
2	Critical स्थलों का निरीक्षण (Petrol Pump, Hospital आदि)	Fire Department	
3	Rescue Equipment (Hydraulic Cutter, Rope, Extinguisher) का परीक्षण	Fire Unit Incharge	
4	Fire Station से संपर्क व्यवस्था एवं वायरलेस सेट की कार्यशीलता	Fire Officer	

(H) आपूर्ति, परिवहन एवं खाद्य विभाग–

तालिका–5.10

क्र.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	खाद्यान्न, केरोसिन, गैस का पर्याप्त भंडारण	DSO / Supply Officer	
2	आपात परिवहन हेतु वाहन सूची तैयार	Transport Officer	
3	LPG Agency / Petrol Pump से समन्वय	Supply Department	

(I) सामुदायिक तैयारी एवं स्वयंसेवी संगठन–

1 ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति सक्रिय करना ग्राम पंचायत / VDO
2 आपदा मित्र, NCC, NSS, रेडक्रॉस स्वयंसेवकों की तैनाती सूची DDMO / NGO
3 Mock Drill का आयोजन एवं रिपोर्ट तैयार करना DDMO / SDM
4 समुदाय को आपातकालीन नंबरों की जानकारी देना PRD / NGO

(J) संचार व्यवस्था (Communication & Information System)

तालिका–5.11

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	वायरलेस सेट एवं सैटेलाइट फोन की कार्यशीलता जाँच	DEOC / Police	
2	इंटरनेट / फोन नेटवर्क का वैकल्पिक प्रबंध	BSNL / NIC	
3	Control Room से सूचना का प्रसारण प्रणाली परीक्षण	Information Officer	

(K)समीक्षा एवं रिर्पोटिग प्रणाली–

तालिका–5.12

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	सभी विभागों से साप्ताहिक तैयारी रिपोर्ट प्राप्त करना	DDMO / ADM	
2	समीक्षा बैठक आयोजित कर सुधार बिंदु दर्ज करना	DM / SDM	
3	Gap Analysis एवं Best Practices संकलित करना	DEOC	

निष्कर्षः–

जिला सामान्य तैयारी जाँच सूची प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि सभी विभाग आपदा के प्रति सजग, समन्वित और कार्यात्मक हैं। यह Zero Hour Preparednessकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5.3 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) परिचय (Introduction):

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (**SEOC**) राज्य स्तर पर आपदा की स्थिति में निगरानी, समन्वय, सूचना प्रसारण और राहत कार्यों के नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया है। यह केंद्र उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**USDMA**) के अधीन कार्य करता है और राज्य सचिवालय, देहरादून में स्थित है। **SEOC** का उद्देश्य राज्य में आपदा की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना, तथा जिला स्तर पर DEOC को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य (Objectives):

1. राज्य में आपदा की स्थिति की निरंतर निगरानी करना।
2. प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning) प्राप्त कर उसे संबंधित जिलों को प्रेषित करना।
3. राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में अंतर–विभागीय समन्वय स्थापित करना।
4. सभी जिलों से प्राप्त स्थिति रिपोर्टों (Situation Reports) का विश्लेषण करना।
5. राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र (NEOC) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

स्थान (Location):–

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC)
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में स्थित है।
यह केंद्र 24×7 कार्यरत है और आधुनिक संचार प्रणाली से सुसज्जित है।

संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure):

तालिका–5.13

क्रमांक	पदनाम	भूमिका/दायित्व
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	राज्य आपदा प्रबंधन संचालन समिति के अध्यक्ष, नीति निर्माण एवं निर्णय।
2	राहत आयुक्त/सचिव (आपदा प्रबंधन)	राज्य स्तर पर राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की देखरेख।
3	अपर राहत आयुक्त	संचालनात्मक कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
4	SEOC प्रभारी अधिकारी	केंद्र के दैनिक संचालन एवं रिपोर्टिंग का दायित्व।
5	ड्यूटी ऑफिसर (24×7)	जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराना।
6	आईटी/संचार अधिकारी	संचार व्यवस्था, डाटा प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थन।
7	सहायक कर्मचारी /डाटा एंट्री ऑपरेटर	अभिलेख, रिपोर्ट, कॉल लॉग का संधारण।

मुख्य कार्य (Key Functions):

1. आपदा पूर्व चेतावनी प्राप्त कर जिलों तक प्रसारित करना।
2. स्थिति की समीक्षा एवं राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी।
3. जिला एवं विभागीय EOC के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।
4. सभी राहत एवं बचाव एजेंसियों के कार्यों का समन्वय।
5. मीडिया एवं जनसंपर्क के माध्यम से सत्यापित सूचना का प्रसारण।
6. आपदा के बाद क्षति आकलन एवं रिपोर्टिंग।
7. सभी गतिविधियों का अभिलेखीकरण (Documentation)।

प्रौद्योगिकीय संरचना (Technological Infrastructure):

- 24×7 कॉल सेंटर और टोल–फ्री नंबर (1070)
- Video Conferencing System
- GIS आधारित Decision Support System (DSS)

- Real-Time Early Warning System
- Satellite Communication (SATCOM)
- HF/VHF Wireless Network
- Integrated Disaster Management Information System (IDMIS)

रिपोर्टिंग एवं संचार प्रणाली (Reporting & Communication Flow):

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC)
↓
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC)
↓
राज्य राहत आयुक्त / मुख्य सचिव / USDMA
↓
राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र (NEOC), नई दिल्ली

- प्रत्येक जिला अपने DEOC के माध्यम से प्रतिदिन Situation Report (SITREP) भेजता है।
- आपदा की स्थिति में Hourly Updates भी SEOC को भेजी जाती हैं।
- SEOC से प्राप्त जानकारी राज्य सरकार, मीडिया एवं जनसामान्य तक प्रसारित की जाती है।

संचालन के चरण (Operational Phases):

तालिका–5.14

चरण	गतिविधि
आपदा पूर्व (Pre-Disaster)	स्थिति की निगरानी, चेतावनी जारी करना, Mock Drill, संसाधन सूची अपडेट।
आपदा के दौरान (During Disaster)	राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय, स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
आपदा उपरांत (Post-Disaster)	क्षति आकलन, राहत वितरण, रिपोर्टिंग एवं समीक्षा।

निष्कर्ष (Conclusion):

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली का मुख्य नियंत्रण बिंदु (Command Centre) है।

यह राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है।

इसकी सक्रियता और तत्परता राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता (Disaster Response Capacity) को सशक्त बनाती है।

5.4 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC)

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (District Emergency Operation Centre - DEOC) जनपद स्तर पर आपदा की स्थिति में निगरानी, नियंत्रण, समन्वय एवं सूचना के आदान–प्रदान का प्रमुख नोडल केंद्र है। यह केंद्र 24×7 कार्यरत रहता है तथा आपात स्थिति के दौरान विभिन्न विभागों के मध्य त्वरित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है।

5.4.1 स्थान एवं संरचना

- **स्थान:** कलेक्ट्रेट परिसर के समीप
- **नोडल अधिकारी:** जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल
- **संचालन प्रभारी:** जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी / DEOC प्रभारी
- **सहायक कर्मी:** कंप्यूटर ऑपरेटर, कॉल अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैसेंजर आदि

5.4.2 प्रमुख दायित्व एवं कार्य

1. आपदा की सूचना प्राप्त करना, उसका सत्यापन करना एवं उच्च स्तर पर (SEOC /राज्य सरकार) प्रेषित करना।
2. राहत एवं बचाव कार्यों हेतु संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से त्वरित समन्वय स्थापित करना।
3. राहत सामग्री, जनशक्ति, वाहनों तथा उपकरणों की उपलब्धता की अद्यतन सूची तैयार रखना।
4. घटना स्थल से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण कर निर्णय हेतु जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना।
5. मीडिया तथा जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा प्रमाणित सूचना का प्रसारण सुनिश्चित करना।

6. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को नियमित स्थिति रिपोर्ट (Situation Report – SITREP) भेजना।
7. आपदा के दौरान Incident Response System (IRS) के अंतर्गत सभी क्रियाओं की मॉनिटरिंग करना।

5.4.3उपलब्ध सुविधाएँ एवं उपकरण-

तालिका–5.15

क्रम	सुविधा/उपकरण	विवरण
1	24×7 नियंत्रण कक्ष	आपात स्थिति में सतत कार्यशील
2	संचार साधन	VHF सेट, सैटेलाइट फोन, वायरलेस, टेलीफोन, इंटरनेट
3	ऊर्जा बैकअप	UPS
4	डेटा प्रबंधन प्रणाली	कंप्यूटर, GIS आधारित संसाधन डेटाबेस, लॉगबुक
5	निगरानी प्रणाली	CCTV आधारित निगरानी एवं मॉनिटरिंग
6	मानचित्र एवं दस्तावेज	जनपद मानचित्र, आपदा जोखिम मानचित्र, संपर्क सूची आदि

5.4.4 कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure – SOP)–

1. **आपदा सूचना प्राप्ति:**
   सूचना मिलते ही DEOC तुरन्त अलर्ट मोड में लाया जाता है।
2. **सूचना प्रसारण:**
   संबंधित विभागों (SDRF,पुलिस, स्वास्थ्य,PWD, बिजली, जल संस्थान, आदि) को सूचना प्रसारित की जाती है।
3. **समन्वय एवं नियंत्रण:**
   राहत एवं बचाव दलों को निर्देश प्रदान कर त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।
4. **सूचना अद्यतन:**
   प्रत्येक क्रियाविधि की सूचना क्म्ब् लॉगबुक एवं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दर्ज की जाती है।
5. **रिपोर्टिंग:**
   प्रतिघंटा या आवश्यकता अनुसार स्थिति रिपोर्ट (SITREP) राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को प्रेषित की जाती है।

5.4.5 समन्वय एजेंसियाँ–

DEOC निम्नलिखित विभागों एवं एजेंसियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखता हैरू

- जिला पुलिस
- स्वास्थ्य विभाग
- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- विद्युत विभाग
- जल संस्थान एवं जल निगम
- शिक्षा विभाग
- SDRF / NDRF/ अग्निशमन विभाग
- परिवहन एवं संचार विभाग
- नगर निकाय एवं ग्राम पंचायतें

5.4.6 रिकॉर्ड संधारण–

DEOC में निम्न अभिलेख सदैव अद्यतन रखे जाते हैं –

1. संपर्क निर्देशिका (Control Room Directory)
2. संसाधन सूची (Inventory Register)
3. आपदा लॉगबुक (Incident Log Book)
4. दैनिक रिपोर्ट (Daily Report Register)
5. आपदा स्थिति रिपोर्ट (SITREP)

- ❖ Phone: + 91 -0 1376 - 233433, 234793, 1077 (Toll free),
- ❖ Mobile.: + 917500337269 (Idea)
- ❖ Mobile.: + 917252887587 (Vodafone)

- Mobile.: + 917310913129 (Airtel}
- Mail Id: deoctehrigarhwal@gmail.com

5.5 स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ–

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों—तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास—में स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी एजेंसियों का समन्वित प्रयास ही त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करता है।

5.5.1 स्थानीय प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होती है।

इसकी मुख्य जिम्मेदारी राहत, बचाव, पुनर्वास एवं सामान्य स्थिति बहाली तक सभी गतिविधियों का समन्वय करना है।

मुख्य दायित्व:

1. प्रभावित क्षेत्र का त्वरित आकलन कर राहत एवं बचाव दलों की तैनाती करना।
2. राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, PWD आदि विभागों के समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. आश्रय स्थलों (Relief Camps) की स्थापना एवं भोजन, जल, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
4. राहत सामग्री एवं संसाधनों के वितरण की निगरानी करना।
5. ग्राम पंचायतों, नगर निकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ना।
6. आपदा के दौरान संचार प्रणाली को सक्रिय एवं पारदर्शी बनाए रखना।
7. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को नियमित स्थिति रिपोर्ट भेजना।

5.5.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (State Disaster Response Force & SDRF)

SDRF राज्य स्तर पर गठित एक विशेषीकृत बल है, जिसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम देना है।

SDRF की भूमिका:

1. भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आगजनी, भवन ध्वंस, सड़क दुर्घटनाओं आदि में राहत एवं बचाव कार्य।
2. जिला प्रशासन के अनुरोध पर त्वरित तैनाती।
3. प्रशिक्षित गोताखोर, पर्वतारोही, और चिकित्सा कर्मियों के साथ विशेष ऑपरेशन संचालित करना।
4. सामुदायिक प्रशिक्षण (Apda Mitra / Mock Drills) में सहयोग देना।
5. आधुनिक उपकरणों जैसे दृ हाइड्रॉलिक कटर, स्ट्रेचर, लाइफ जैकेट, मोटर बोट, रेस्क्यू रोप्स, संचार यंत्र आदि का उपयोग।

5.5.3 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force & NDRF)–

NDRF, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधीन कार्यरत एक विशेष बल है। यह बल आपदा की स्थिति में राज्य एवं जिला प्रशासन को तकनीकी एवं मानवीय सहायता प्रदान करता है।

NDRF की भूमिका:

1. बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्यों में तैनाती।
2. रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (CBRN) आपदाओं में विशेषज्ञ सहायता।
3. SDRF एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहयोग देना।

उत्तराखण्ड हेतु NDRF तैनाती विवरण:

- बटालियनरू NDRF 15वीं बटालियन
- स्थानरू गदरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
- **नोडल एजेंसी:**NDMA, भारत सरकार
- **तैनाती**: राज्य सरकार / SEOC के अनुरोध पर जिला प्रशासन को सहायता हेतु भेजी जाती है।

5.5.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण–

1. SDRF एवं NDRF द्वारा नियमित मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2. Apda Mitra, NSS, NCC, होमगार्ड एवं स्कूली विद्यार्थियों को आपदा प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. DEOC द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर सभी विभागों को भेजा जाता है।

5.6 आपदा प्रतिकिया में शामिल हितधारकों की पहचान–

आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों, संस्थानों, संगठनों, स्वयंसेवी समूहों तथा समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक होती है। हितधारकों की सटीक पहचान एवं उनकी भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण आपदा प्रबंधन प्रणाली की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.6.1प्रमुख हितधारक (Key Stakeholders)-

तालिका–5.17

क्रम	हितधारक/विभाग	प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारी
1	जिलाधिकारी (District Magistrate)	Incident Commander के रूप में समग्र नियंत्रण एवं समन्वय, राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी।
2	पुलिस विभाग	कानून–व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, लापता व्यक्तियों की खोज।
3	राजस्व विभाग	क्षति आकलन, राहत सामग्री वितरण, पुनर्वास कार्य, मृतकों के परिजनों को अनुदान।
4	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा, महामारी नियंत्रण।
5	लोक निर्माण विभाग (PWD)	सड़कों, पुलों एवं भवनों की क्षति का आकलन एवं पुनर्निर्माण कार्य।
6	जल संस्थान / जल निगम	पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत।
7	विद्युत विभाग (UPCL)	विद्युत आपूर्ति की बहाली, तारों एवं ट्रांसफार्मरों की मरम्मत।
8	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था।
9	SDRF / NDRF / अग्निशमन विभाग	राहत एवं बचाव कार्य, फंसे हुए लोगों की निकासी, खोज अभियान।
10	शिक्षा विभाग	विद्यालयों को अस्थायी राहत शिविर / नियंत्रण केंद्र के रूप में उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में जागरूकता।
11	परिवहन विभाग	राहत सामग्री एवं कर्मियों का आवागमन, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था।
12	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	मीडिया समन्वय, सही सूचना का प्रसारण, अफवाह नियंत्रण।
13	वन विभाग	पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन / वनाग्नि नियंत्रण में सहयोग।
14	पशुपालन विभाग	पशुधन की सुरक्षा, पशु चिकित्सा एवं चारे की व्यवस्था।
15	जल संसाधन / सिंचाई विभाग	तटबंधों की निगरानी, नदी जलस्तर की सूचना।
16	स्वयंसेवी संगठन (NGOs / CBOs)	राहत वितरण, समुदाय सहायता, जनजागरूकता अभियान।
17	Apda Mitra स्वयंसेवक	प्रारंभिक सूचना संप्रेषण, सामुदायिक रेस्क्यू, फील्ड समर्थन।
18	NCC / NSS / स्काउट / गाइड / होमगार्ड	राहत शिविर संचालन, जनसहयोग, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना।
19	मीडिया संस्थान	सत्यापित सूचना का प्रसार, जनजागरूकता एवं संचार सहयोग।
20	सामुदायिक प्रतिनिधि / PRI सदस्य	ग्राम स्तर पर राहत कार्यों में सहयोग एवं सूचना संप्रेषण।

5.6.2 हितधारकों की भूमिका का समन्वय–

1. DEOC सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच सूचना व संसाधन समन्वय का केंद्र होता है।
2. Incident Response System (IRS) के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अधिकारी को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
3. SDRF / NDRF तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन लॉजिस्टिक एवं समन्वय समर्थन देता है।
4. NGOs / Apda Mitra / PRI प्रतिनिधि समुदाय स्तर पर कार्य करते हुए राहत कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाते हैं।

5.6.3 सामुदायिक सहभागिता

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) एवं वार्ड आपदा प्रबंधन समिति (WDMC) स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहती हैं।
- Apda Mitra स्वयंसेवक एवं महिला मंगल दल / युवक मंगल दल प्रथम प्रतिक्रिया दल के रूप में कार्य करते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, प्रारंभिक उपचार (First Aid) एवं रेस्क्यू प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।

5.7 विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response)–

आपदा के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने तथा प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने हेतु सुनियोजित विस्थापन (Evacuation) एवं प्रभावी प्रतिक्रिया (Response) आवश्यक होती है।इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं सामुदायिक संगठनों की समन्वित भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.7.1 उद्देश्य

1. प्रभावित अथवा संभावित जोखिम क्षेत्र से लोगों का सुरक्षित विस्थापन सुनिश्चित करना।

2. राहत एवं बचाव दलों की त्वरित तैनाती द्वारा मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा।
3. राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ (भोजन, जल, स्वास्थ्य, आश्रय) उपलब्ध कराना।
4. आपदा के बाद सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली।

5.7.2 विस्थापन (Evacuation) प्रक्रिया

(क) पूर्व–तैयारी चरण (Pre-Disaster Stage)

1. जोखिम क्षेत्रों (Risk Zones) की पहचान एवं नक्शे पर चिह्नांकन।
2. सुरक्षित स्थलों (Safe Shelters) का चयन एवं सूची तैयार करना।
3. ग्राम एवं वार्ड स्तर पर Evacuation Route Maps तैयार कराना।
4. स्थानीय जनता, Apda Mitra स्वयंसेवक, PRI एवं NGO को विस्थापन योजना से अवगत कराना।
5. नियमित मॉक ड्रिल आयोजित कर व्यवहारिक अभ्यास कराना।

(ख) आपदा के समय (During Disaster)

1. DEOC द्वारा प्रभावित क्षेत्र में त्वरित सूचना प्रसारित की जाती है।
2. पुलिस, SDRF एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है।
3. विशेष ध्यान–बच्चों, वृद्धों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों की प्राथमिक निकासी।
4. वाहनों, नौकाओं, स्ट्रेचरों एवं अन्य परिवहन साधनों की व्यवस्था।
5. सुरक्षित मार्गों पर यातायात एवं भीड़ प्रबंधन हेतु पुलिस की तैनाती।

(ग) आपदा के बाद (Post-Evacuation Stage)

1. राहत शिविरों में आवास, पेयजल, भोजन, चिकित्सीय सहायता एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. विस्थापित लोगों की गणना एवं पंजीकरण।
3. परिवार से बिछड़े व्यक्तियों की पहचान एवं पुनर्मिलन प्रक्रिया।
4. प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी एवं क्षति आकलन प्रारंभ करना।

5.7.3 प्रतिक्रिया (Response) प्रक्रिया–

(क) प्राथमिक सूचना एवं अलर्ट तंत्र:

- DEOC द्वारा प्राप्त सूचना पर तत्काल संबंधित विभागों एवं जनता को चेतावनी जारी की जाती है।
- वायरलेस, सायरन, मोबाइल SMS, व्हाट्सएप ग्रुप, एवं माइकिंग के माध्यम से चेतावनी प्रसारित की जाती है।

(ख)त्वरित कार्रवाई (Immediate Response):

1. SDRF/NDRF एवं स्थानीय रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर रवाना किया जाता है।
2. घायलों को प्राथमिक उपचार एवं एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल भेजा जाता है।
3. प्रभावित क्षेत्र में पुलिस, फायर सर्विस एवं प्रशासन द्वारा समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन।
4. विद्युत आपूर्ति, संचार एवं यातायात व्यवस्था की बहाली हेतु संबंधित विभाग सक्रिय।

(ग) समन्वय एवं नियंत्रण:

- सभी गतिविधियों का नियंत्रण जिलाधिकारी (Incident Commander) द्वारा DEOC के माध्यम से किया जाता है।
- राहत एवं बचाव की प्रत्येक सूचना लॉगबुक एवं डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाती है।
- SEOC को स्थिति रिपोर्ट (SITREP) नियमित रूप से भेजी जाती है।

5.7.4 विशेष प्रावधान – संवेदनशील समूहों हेतु

1. वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए पृथक सहायता केंद्र एवं वाहन की व्यवस्था।
2. राहत शिविरों में प्राथमिक चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3. सुरक्षित जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

5.7.5 सामुदायिक सहयोग एवं प्रशिक्षण

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, युवक/महिला मंगल दल एवं Apda Mitra स्वयंसेवक स्थानीय स्तर पर विस्थापन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- SDRF एवं जिला प्रशासन द्वारा वर्ष में न्यूनतम दो सामुदायिक Evacuation Drills आयोजित की जाती हैं।

5.8 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन

आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की विशिष्ट टीमों का गठन किया जाता है। प्रत्येक टीम को एक निश्चित कार्य, क्षेत्र और अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ताकि कार्यों का त्वरित और समन्वित निष्पादन हो सके।

5.8.1 उद्देश्य

1. राहत एवं बचाव कार्यों को व्यवस्थित एवं चरणबद्ध ढंग से संचालित करना।
2. प्रत्येक टीम को उसकी भूमिका, दायित्व एवं रिपोर्टिंग प्रणाली से अवगत कराना।

3. कार्यों में दोहराव या भ्रम से बचना और जिम्मेदारी तय करना।

5.8.2 टीमों का वर्गीकरण–

निम्नलिखित प्रमुख टीमों का गठन जिला स्तर पर किया जाता है:

तालिका–5.18

क्रम	टीम का नाम	प्रमुख अधिकारी	प्रमुख कार्य / दायित्व
1	चेतावनी एवं सूचना प्रसारण टीम	जिला सूचना अधिकारी /DEOC प्रभारी	चेतावनी संदेश, मीडिया समन्वय, सूचना का त्वरित प्रसारण।
2	खोज एवं बचाव दल	SDRF/ पुलिस / फायर सर्विस प्रभारी	फंसे हुए व्यक्तियों की खोज, निकासी, प्राथमिक उपचार।
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दल	मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)	घायलों की चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा।
4	राहत सामग्री वितरण टीम	जिला आपूर्ति अधिकारी / तहसीलदार	राहत सामग्री का वितरण, स्टॉक पंजीकरण, पारदर्शी वितरण प्रणाली।
5	भोजन एवं पेयजल व्यवस्था टीम	जल संस्थान / जल निगम / खाद्य विभाग	भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी टीम	NIC प्रभारी / दूरसंचार विभाग	DEOC संचार व्यवस्था, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, VHF संचालन।
7	यातायात एवं परिवहन टीम	ARTO / पुलिस विभाग	राहत सामग्री, रेस्क्यू टीमों व संसाधनों का आवागमन।
8	विद्युत एवं ऊर्जा पुनर्बहाली टीम	अधिशासी अभियंता, UPCL	विद्युत आपूर्ति बहाल करना, क्षति ग्रस्त लाइनों की मरम्मत।
9	पुनर्वास एवं क्षति आकलन टीम	SDM / राजस्व अधिकारी	जनहानि एवं संपत्ति क्षति का सर्वेक्षण, पुनर्वास रिपोर्ट तैयार करना।
10	स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन टीम	EO नगर पालिका / ग्राम पंचायत सचिव	राहत शिविरों व प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था टीम	पुलिस अधीक्षक / कोतवाल	भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी।
12	सामुदायिक सहभागिता एवं जनजागरूकता टीम	DPRO / NGO / Apda Mitra	सामुदायिक सहयोग, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं राहत शिविरों में जनसंपर्क।
13	मीडिया समन्वय टीम	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया ब्रीफिंग, सत्यापित सूचना का प्रकाशन एवं अफवाह नियंत्रण।
14	पशु चिकित्सा एवं पशुधन सुरक्षा टीम	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पशुओं की सुरक्षा, दवाई, चारा एवं पशु शिविरों की स्थापना।
15	महिला एवं बाल संरक्षण टीम	DSWO / ICDS अधिकारी	राहत शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल।

5.8.3 रिपोर्टिंग प्रणाली (Reporting Mechanism)

1. सभी टीम प्रभारी अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट DEOC को प्रेषित करेंगे।
2. DEOC सभी रिपोर्टों का संकलन कर जिलाधिकारी (Incident Commander) को प्रस्तुत करेगा।
3. प्रत्येक टीम का दैनिक लॉग एवं स्थिति रिपोर्ट (SITREP) DEOC में संधारित किया जाएगा।

5.8.4 टीम गठन के सिद्धांत–

1. प्रत्येक टीम में संबंधित विभागों के प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल होंगे।
2. टीमों को वर्ष में कम से कम दो बार प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल में सम्मिलित किया जाएगा।
3. टीमों की अद्यतन सूची (नाम, मोबाइल नंबर, पदनाम) DEOC में रखी जाएगी।
4. आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त या वैकल्पिक टीमों का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

5.8.5 टिहरी गढ़वाल जनपद हेतु विशेष प्रावधान

- पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में अलग से ब्लॉक / तहसील स्तर पर माइक्रो रेस्पॉन्स टीम्स गठित की जाएंगी।
- SDRF / पुलिस / राजस्व / स्वास्थ्य / PWD के समन्वय से संयुक्त राहत दल (Joint Response Teams) कार्य करेंगे।

- ग्राम आपदा प्रबंधन समितियाँ(VDMCs) एवं Apda Mitra स्वयंसेवक इन टीमों को सामुदायिक स्तर पर सहयोग प्रदान करेंगे।

5.9 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना

5.9.1 परिचय (Introduction)–

आपदा की स्थिति में Incident Response System (IRS) एक मानकीकृत प्रणाली है, जो आपदा प्रतिक्रिया कार्यों को सुव्यवस्थित, समन्वित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विकसित की गई है। यह प्रणाली भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा NDMA द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। IRS का उद्देश्य विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना है।

5.9.2 IRS के प्रमुख घटक (Major Components of IRS)–

1. Incident Commander (IC) –
   - आपदा प्रतिक्रिया का सर्वोच्च अधिकारी होता है।
   - जिलाधिकारी (District Magistrate) को आमतौर पर Incident Commander नामित किया जाता है।
   - यह व्यक्ति संपूर्ण राहत, बचाव एवं पुनर्वास गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है।
2. **Operations Section (कार्यान्वयन प्रभाग) –**
   - इस सेक्शन का प्रमुख Operations Section Chief (OSC) होता है।
   - कार्यान्वयन स्तर पर रेस्क्यू, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, और सप्लाई से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित करता है।
   - पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, स्वास्थ्य, परिवहन आदि विभाग इस सेक्शन से संबद्ध रहते हैं।
3. **Planning Section (योजना प्रभाग) –**
   - प्रमुख अधिकारी:Planning Section Chief (PSC)
   - जिम्मेदारी: डेटा एकत्र करना, स्थिति का आकलन, संसाधनों की उपलब्धता, और कार्ययोजना (Incident Action Plan & IAP) तैयार करना।
   - इसमें राजस्व विभाग, NIC, सूचना विभाग, भू–अभिलेख, और तकनीकी इकाइयाँ शामिल रहती हैं।
4. **Logistics Section (सुविधा एवं संसाधन प्रभाग) –**
   - प्रमुख अधिकारी:Logistics Section Chief (LSC)
   - जिम्मेदारी: राहत सामग्री, वाहन, उपकरण, संचार साधन, और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
   - इसमें परिवहन, पेयजल, विद्युत, PWD, और आपूर्ति विभाग सम्मिलित होते हैं।
5. **Finance–Administration Section (वित्त एवं प्रशासन प्रभाग) –**
   - प्रमुख अधिकारी: Finance Section Chief (FSC)
   - जिम्मेदारी: व्यय का लेखा–जोखा, खरीद प्रक्रिया, भुगतान, और प्रशासनिक सहायता।
   - इसमें कोषागार, लेखा, वित्त एवं योजना विभाग सम्मिलित होते हैं।

5.9.3 IRS के मुख्य उद्देश्य (Objectives of IRS Implementation)–

1. आपदा प्रतिक्रिया को एकीकृत कमांड के तहत संचालित करना।
2. संसाधनों का सर्वोत्तम एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना।
3. विभागीय समन्वय एवं संचार में एकरूपता लाना।
4. जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण और उत्तरदायित्व तय करना।
5. मॉक ड्रिल एवं वास्तविक आपदा में त्वरित, संगठित प्रतिक्रिया देना।

5.9.4 टिहरी गढ़वाल जनपद में IRS संरचना (IRS Structure in Uttarkashi District)–

तालिका–5.19

स्तर	पदनाम	अधिकारी / विभाग	भूमिका
1	Incident Commander (IC)	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	संपूर्ण आपदा प्रतिक्रिया का नेतृत्व
2	Deputy Incident Commander	मुख्य विकास अधिकारी / ADM	Incident Commander का सहयोग
3	Operations Section Chief (OSC)	पुलिस अधीक्षक / SDM	रेस्क्यू, राहत और फील्ड ऑपरेशन की कमान
4	Planning Section Chief (PSC)	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) /	डेटा संकलन, सिचुएशन रिपोर्ट, IAP तैयार करना

		NIC अधिकारी	
5	Logistics Section Chief (LSC)	अधिशासी अभियंता, PWD / जल संस्थान / परिवहन अधिकारी	संसाधन, वाहन, संचार एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराना
6	Finance Section Chief (FSC)	कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी	वित्तीय सहायता, भुगतान एवं रिकॉर्ड संधारण
7	Public Information Officer (PIO)	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया समन्वय एवं सूचना प्रसारण
8	Safety Officer (SO)	फायर सर्विस / SDRF अधिकारी	रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा एवं जोखिम मूल्यांकन
9	Liaison Officer (LO)	DPRO / NGO समन्वयक	बाहरी एजेंसियों और एनजीओ से समन्वय

5.9.5 IRS की कार्यप्रणाली (Operational Flow)-

1. DEOC से सूचना प्राप्त होते ही Incident Commander सक्रिय हो जाएगा।
2. Incident Response Plan व IRP) तैयार किया जाएगा।
3. संबंधित सेक्शन प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी।
4. संसाधनों की तैनाती, राहत दलों की प्रस्थान सूची और रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया जाएगा।
5. DEOC सभी सेक्शन से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर State DEOC को अग्रेषित करेगा।

5.9.6 प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल (Training–Mock Drills)

· सभी IRS पदाधिकारियों को NDMA /SDMA /DDMA Tehri द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
· वार्षिक मॉक ड्रिल में IRS प्रणाली की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
· Apda Mitra एवं स्थानीय स्वयंसेवकों को भी IRS प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया मजबूत हो सके।

5.9.7 समीक्षा एवं अद्यतन (Review–Updation)-

· IRS की संरचना एवं जिम्मेदार अधिकारियों की सूची प्रत्येक वर्ष अद्यतन की जाएगी।
· जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसकी अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

5.10 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

आपदा की स्थिति में स्थानीय संसाधन सीमित होने पर राज्य केंद्रीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संस्थानों, एनजीओ, और सामुदायिक संगठनों से शीघ्र एवं संगठित सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों से समन्वितए पारदर्शी एवं प्रभावी सहायता तंत्र स्थापित करना है।

5.10.2 सहायता प्राप्ति की प्रक्रिया (Asistance Coordination Proces)-

1. प्राथमिक मूल्यांकन (Preliminary Asesment):
- घटना के तुरंत बाद DEOC द्वारा क्षति एवं आवश्यकताओं का प्रारंभिक आकलन (Rapid Asesment Report) तैयार किया जाता है।
- रिपोर्ट जिलाधिकारी (Incident Commander) को भेजी जाती है।

2. अनुरोध की स्वीकृति (Approval fo Request):
- जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की समीक्षा की जाती है।
- यदि संसाधन अपर्याप्त हों तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को सहायता हेतु अनुरोध प्रेषित किया जाता है।

3. राज्य से सहायता का अनुरोध (Request to State Government):
- अनुरोध फॉर्मेट–SEOC/IRS/REQ–1 में भेजा जाता है।
- इसमें आवश्यक संसाधनों की श्रेणी संख्याए उपयोग का उद्देश्य और तैनाती स्थान स्पष्ट रूप से अंकित होता है।

4. केंद्र एवं अन्य बाहरी एजेंसियों से सहायता (Asistance from Central or External Agencies):
- यदि राज्य स्तर पर भी संसाधन सीमित हों तो SEOCके माध्यम से NDMA, MHA(Crisis ManagementCell), NDRF, रक्षा मंत्रालय या अन्य एजेंसियों से सहायता मांगी जाती है।
- विशेष परिस्थितियों में सेनाए ITBP, BSF, CISF, BRO, GREF आदि बलों की तैनाती की जाती है।

5. संचार एवं समन्वय (Communication and Coordination):
- सभी सहायता अनुरोध DEOC→SEOC→ संबंधित एजेंसी के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- DEOC प्रत्येक अनुरोध की स्थिति रिपोर्ट (Request Tracking Report) रखता है।

6. सहायता प्राप्त होने पर कार्यवाही (Action upon Receipt fo Asistance):

- संसाधनों दलों के आगमन पर उन्हें Incident Commander द्वारा उचित सेक्शन (Operations /Logistics) को सौंपा जाता है।
- उनकी गतिविधियों का समन्वय संबंधित सेक्शन प्रमुखों द्वारा किया जाता है।

7. वापसी एवं प्रतिवेदन (Demobilization and Reporting):

- कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक बाहरी एजेंसी को समीक्षा बैठक में आमंत्रित किया जाता है।
- उनकी सेवाओं का विवरण DEOC के Post-Incident Report में दर्ज किया जाता है।

5.10.3 सहयोगी एजेंसियों की सूची (List of Supporting Agencies)–

तालिका–5.20

क्रम	एजेंसी / संगठन	सहायता का प्रकार	समन्वय विभाग
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)	खोज एवं बचाव कार्य	पुलिस विभाग / DDMA
2	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)	विशेष तकनीकी रेस्क्यू एवं मेडिकल सहायता	SEOC / NDMA
3	भारतीय सेना / ITBP / BRO	पुल निर्माण, राहत परिवहन, दूरस्थ पहुँच	गृह मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय
4	भारतीय वायुसेना	हवाई निकासी, राहत सामग्री का हवाई वितरण	राज्य सरकार / रक्षा मंत्रालय
5	भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)	आपातकालीन संचार सुविधा, VHF नेटवर्क समर्थन	NIC / संचार विभाग
6	PWD, Jal Sansthan, UPCL	सड़क, पेयजल, विद्युत पुनर्बहाली	जिला प्रशासन
7	स्वास्थ्य विभाग / CMO Office	एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, राहत शिविर स्वास्थ्य सुविधा	स्वास्थ्य विभाग
8	NGOs / रेडक्रॉस / आपदा मित्र / NCC / NSS	राहत शिविर प्रबंधन, जनजागरूकता, वितरण कार्य	DPRO / DDMA
9	UN Agencies /Private Sector / PSU	लॉजिस्टिक, दान, CSR सहायता	जिला प्रशासन / SEOC
10	मीडिया संस्थान (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक)	सूचना प्रसारण, जनजागरूकता	सूचना विभाग (DIO)

5.10.4 टिहरी गढ़वाल जिले में विशेष प्रावधान(Special Provisions for District Tehri Garhwal)

1. आपदा मित्र स्वयंसेवक को राहत शिविर संचालन और स्थानीय संचार सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
3. BRO और PWD को दूरस्थ सड़कों की त्वरित बहाली के लिए रेडी रिस्पॉन्स टीम के रूप में रखा गया है।
4. हेलीकॉप्टर सेवा (Heli Service) हेतु समन्वय DEOC– SEOC – Civil Aviation Department के माध्यम से किया जाएगा।

5.10.5 रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग (Reporting and Monitoring)–

- सभी प्राप्त सहायता की जानकारी Resource Tracking Sheet (Form DEOC/RES/05) में दर्ज की जाएगी।
- प्रत्येक एजेंसी की भागीदारी की समीक्षा DDMA बैठक में की जाएगी।
- DEOC मासिक आधार पर सहायता संबंधी विवरण SEOC को प्रेषित करेगा।

5.10.6 निष्कर्ष (Conclusion)–

इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों की सहायता को समयबद्ध, समन्वित और जवाबदेह तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रणाली टिहरी गढ़वाल जनपद के आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक सक्षम, पारदर्शी और टिकाऊ बनाती है।

5.11 लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन–

आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपकरण, मशीनरी, वाहन, संचार साधन, और भंडारित सामग्री (Stock / Inventory) कितनी अच्छी स्थिति में और कितनी शीघ्र उपलब्ध हैं। इस खंड का उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक संसाधनों की नियमित जाँच, रखरखाव, सत्यापन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया को स्थापित करना है।**5.11.2 प्रमुख घटक (Major Components of Logistics System)**

1. **वाहन एवं परिवहन साधन** (Transport Vehicles and Means)
   - राहत सामग्री, रेस्क्यू टीमों और मेडिकल यूनिटों के आवागमन हेतु।
   - जैसे: ट्रक, जीप, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर, हेली सेवा, नौकाएं आदि।
2. **आपदा उपकरण** (Disaster Response Equipment)
   - रेस्क्यू, कटिंग, लिफ्टिंग, फायरफाइटिंग, कम्युनिकेशन और मेडिकल किट्स।
   - जैसे: हाइड्रोलिक कटर, फायर सिलिंडर, स्ट्रेचर, रेस्क्यू रोप, सर्च लाइट आदि।
3. भंडारित राहत सामग्री (Relief Stock / Inventory)
   - टेंट, ट्रॉली, कंबल, तिरपाल, दवाइयाँ, फूड पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर आदि।
   - सभी सामग्रियाँ DEOC एवं ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखी जाती हैं।
4. संचार उपकरण (Communication Equipment)
   - VHF सेट, वायरलेस, मोबाइल सेट, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट डोंगल आदि।
5. **तकनीकी उपकरण** (Technical Equipment)
   - DG सेट, GPS, ड्रोन, CCTV मॉनिटरिंग यूनिट, डेटा लॉगर आदि।

5.11.3 निरीक्षण एवं जाँच प्रक्रिया (Inspection and Verification Process)

तालिका–5.21

क्रम	कार्य विवरण	जिम्मेदार अधिकारी / विभाग	आवृत्ति (Frequency)
1	सभी आपदा उपकरणों की भौतिक जाँच	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) / तहसीलदार	त्रैमासिक
2	वाहनों एवं परिवहन साधनों की फिटनेस रिपोर्ट	ARTO / PWD / SDRF	प्रत्येक 6 माह में
3	राहत सामग्री के स्टॉक की गणना एवं सत्यापन	आपूर्ति विभाग / गोदाम प्रभारी	अर्धवार्षिक
4	संचार उपकरणों की कार्यप्रणाली की जाँच	NIC / पुलिस वायरलेस शाखा	मासिक
5	विद्युत जनरेटर, DG सेट एवं बैकअप की जांच	विद्युत विभाग / DEOC	मासिक
6	फायर फाइटिंग उपकरणों का परीक्षण	फायर सर्विस विभाग	मासिक
7	दवाइयों एवं मेडिकल किट की वैधता जाँच	CMO कार्यालय	मासिक
8	क्षतिग्रस्त या अप्रयुक्त उपकरणों का तिस्थापन	संबंधित विभाग	आवश्यकता अनुसार

5.11.4 भंडार अभिलेख प्रणाली (Inventory Record System)

1. प्रत्येक विभाग अपने भंडार रजिस्टर (जवबा त्मदपेजमत) में निम्न जानकारी दर्ज करेगारू
   - वस्तु का नाम
   - मात्रा
   - प्राप्ति की तिथि
   - स्थिति (सक्रिय / निष्क्रिय)
   - उपयोग की आवृत्ति
   - अंतिम निरीक्षण की तिथि
2. DEOC में सभी विभागों का संयुक्त डिजिटल इन्वेंटरी रजिस्टर रखा जाएगा।

3. DEOC द्वारा रिसोर्स मैपिंग पोर्टल पर सभी उपकरणों और भंडार की अद्यतन जानकारी अपलोड की जाएगी।
4. उपकरणों की जाँच के बाद सत्यापन रिपोर्ट (Verification Report Form DEOC/LOG/11) तैयार की जाएगी।

5.11.5 टिहरी गढ़वाल जनपद हेतु विशेष प्रावधान (Special Provisions for District Uttarkashi)

1. पर्वतीय क्षेत्रों के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर लोडिंग पॉइंट, राफ्टिंग बोट स्टेशन, और मोबाइल रेस्क्यू यूनिट्स को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है।
2. सभी Apda Mitra किट्स की वार्षिक जाँच DDMA / प्रशिक्षक दल द्वारा की जाएगी।

5.11.6 रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग (Reporting and Monitoring)

1. निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही DEOC को भेजी जाएगी।
2. जिन उपकरणों की स्थिति असंतोषजनक पाई जाती है, उन्हें तत्काल रिपेयर / रिप्लेसमेंट हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।

5.11.7 निष्कर्ष (Conclusion)

लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की समय–समय पर जाँच एवं परीक्षण आपदा प्रतिक्रिया की तत्परता का मूल आधार है। इस प्रक्रिया से टिहरी गढ़वाल जनपद में संसाधनों की विश्वसनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया (Prompt and Coordinated Response) दी जा सके।

5.12 चेतावनी प्रणाली का परीक्षण (Testing of Early Warning System)

पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System & EWS) आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से आपदा की संभावित स्थिति की सूचना समय रहते संबंधित विभागों, समुदायों तथा नागरिकों तक पहुँचाई जाती है। इस प्रणाली का नियमित परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी संचार माध्यम, उपकरण और प्रक्रिया वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य करें।

मुख्य उद्देश्य (Objectives):

पूर्व चेतावनी प्रणाली के परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सभी संचार उपकरणों (वायरलेस, सैटेलाइट फोन, VHF सेट, मोबाइल अलर्ट सिस्टम, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि) की कार्यक्षमता की जाँच करना।
2. आपदा सूचना का जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक त्वरित प्रसारण सुनिश्चित करना।
3. विभागों के बीच संचार चौनलों की पारस्परिक समन्वय क्षमता का परीक्षण करना।
4. चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासनिक प्रतिक्रिया और जन–सहभागिता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
5. संभावित त्रुटियों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।

परीक्षण की प्रक्रिया (Testing Procedure):

1. मासिक परीक्षण (Monthly Testing):

प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) द्वारा सभी उपलब्ध चेतावनी उपकरणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें वायरलेस सेट, सायरन सिस्टम, सैटेलाइट फोन, और दूरसंचार साधनों की कार्यप्रणाली की जांच शामिल है।

2. अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल (Half-Yearly Mock Drill):

वर्ष में दो बार (पूर्व मानसून और उत्तर मानसून अवधि में) जिला स्तर पर एक समग्र मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिसमें संचार तंत्र, सूचना प्रवाह, प्रतिक्रिया टीमों और राहत तंत्र की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है।

3. ग्राम स्तर पर परीक्षण (Community Level Testing):

ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य, आपदा मित्र, ASHA, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन मिलकर स्थानीय सायरन, माइक या ढोल बजाकर चेतावनी संकेत प्रणाली का परीक्षण करते हैं।

4. रिकॉर्ड संधारण (Record Keeping):

प्रत्येक परीक्षण की तिथि, समय, परिणाम, प्राप्त प्रतिक्रियाएं एवं किसी भी तकनीकी खराबी का विवरण DEOC में एक रजिस्टर (Warning System Test Log Book) में दर्ज किया जाता है।

5. सुधारात्मक कार्यवाही (Corrective Action):

यदि किसी परीक्षण के दौरान किसी उपकरण, संचार माध्यम या प्रक्रिया में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित विभाग (जैसे–दूरसंचार, पुलिस, SDRF,विद्युत, राजस्व, सूचना विभाग आदि) द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और रिपोर्ट DEOC को भेजी जाती है।

संपर्क एवं संलग्न विभाग (Involved Departments):–

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)– समग्र समन्वय व निगरानी।
- राजस्व एवं पुलिस विभाग – स्थानीय स्तर पर सूचना प्रसार एवं प्रतिक्रिया नियंत्रण।
- दूरसंचार विभाग / NIC तकनीकी संचार प्रणाली की जाँच और रखरखाव।
- SDRF / अग्निशमन विभाग – आपात सूचना प्राप्त होने पर त्वरित प्रतिक्रिया।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPRO)– जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा चेतावनी सूचना का प्रसार।
- विद्युत विभाग (UPCL) – आपातकाल में पावर बैकअप व बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय – समुदाय तक चेतावनी सूचना पहुँचाना।

समन्वय और निगरानी (Coordination and Monitoring):–

पूर्व चेतावनी प्रणाली के परीक्षण की निगरानी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) द्वारा की जाती है। संपूर्ण रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को मासिक एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है, जिससे राज्य स्तर पर चेतावनी तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion):–

पूर्व चेतावनी प्रणाली का नियमित परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के समय सूचना का प्रवाह तेज, सटीक और विश्वसनीय हो। इससे प्रशासनिक तैयारियों में मजबूती आती है और समुदायों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है। सिस्टम की सतत जाँच और सुधार से टिहरी गढ़वाल जनपद में आपदा प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम किया जा सकता है और जन–धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

5.13 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) का परीक्षण–

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (District Emergency Operation Centre—DEOC) आपदा प्रबंधन व्यवस्था का मुख्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र है।

यह केंद्र आपदा की स्थिति में सूचना संग्रह, विश्लेषण, निर्णय, समन्वय एवं राहत कार्यों की निगरानी का प्रमुख माध्यम होता है।

इसलिए DEOC की कार्यप्रणाली, तकनीकी संसाधनों और संचार उपकरणों का नियमित परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी आपदा के समय यह केंद्र पूर्णतः सक्रिय और कार्यक्षमता स्थिति में रहे।

मुख्य उद्देश्य (Objectives):

1. यह सुनिश्चित करना कि DEOC के सभी संचार साधन (वायरलेस, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट, VHF, मोबाइल नेटवर्क आदि) सुचारु रूप से कार्य कर रहे हों।
2. विद्युत आपूर्ति, बैकअप सिस्टम (जनरेटर, UPS आदि) और सर्वर उपकरणों की तकनीकी स्थिति की जाँच करना।
3. सॉफ्टवेयर, डेटा प्रबंधन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग और ळैप आधारित मैपिंग सिस्टम की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना।
4. कर्मचारियों की तत्परता, ड्यूटी चार्ट, और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन करना।
5. किसी भी तकनीकी या संचालनात्मक त्रुटि की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

परीक्षण प्रक्रिया (Testing Procedure):

1. दैनिक परीक्षण (Daily Check):

प्रत्येक कार्य दिवस में DEOC प्रभारी द्वारा वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम, CCTV मॉनिटरिंग और पावर सप्लाई की सामान्य कार्यप्रणाली की जाँच की जाती है।

2. साप्ताहिक निरीक्षण (Weekly Inspection):

सप्ताह में एक बार DEOC के सभी उपकरणों, अलार्म सिस्टम, जनरेटर, UPS, सायरन, और रिकॉर्डिंग सिस्टम का संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है।

3. मासिक तकनीकी परीक्षण (Monthly Technical Testing):

महीने में एक बार तकनीकी टीम द्वारा संपूर्ण प्रणाली का परीक्षण किया जाता है जिसमें सर्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा बैकअप और GIS प्लेटफॉर्म की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

4. अर्धवार्षिक कार्यप्रणाली मूल्यांकन (Half-Yearly Functional Evaluation):

वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल के माध्यम से DEOC की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें सूचना प्राप्ति से लेकर आदेश निर्गमन, फील्ड टीम समन्वय और रिपोर्टिंग प्रक्रिया तक सभी चरणों का अभ्यास किया जाता है।

5. रिकॉर्ड संधारण (Record Maintenance):

सभी परीक्षणों का विवरण DEOC की "System Inspection Register" में तिथि, समय, निरीक्षक का नाम, स्थिति एवं टिप्पणियों सहित दर्ज किया जाता है।

6. सुधारात्मक कार्यवाही (Corrective Action):

परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों या तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग (IT, विद्युत, संचार, SDRF, राजस्व आदि) को भेजी जाती है, ताकि समय पर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्न विभाग एवं दायित्व (Involved Departments and Responsibilities):

तालिका–5.22

विभाग / संस्था	प्रमुख दायित्व
DDMA / DEOC कार्यालय	समग्र परीक्षण की योजना, निगरानी और अभिलेख संधारण
NIC / IT विभाग	नेटवर्क, सर्वर और डाटा प्रबंधन प्रणाली की जाँच
विद्युत विभाग (UPCL)	पावर सप्लाई और बैकअप सिस्टम की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना
दूरसंचार विभाग	वायरलेस, सैटेलाइट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का परीक्षण
SDRF / पुलिस विभाग	सूचना प्राप्ति और त्वरित प्रतिक्रिया की जाँच
राजस्व विभाग	प्रशासनिक समन्वय और रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण

निगरानी एवं रिपोर्टिंग (Monitoring and Reporting):

DEOC के परीक्षण की नियमित निगरानी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) द्वारा की जाती है। प्रत्येक माह की रिपोर्ट जिलाधिकारी / अध्यक्ष, DDMA टिहरी गढ़वाल को प्रस्तुत की जाती है।

राज्य स्तर पर SEOC (State Emergency Operation Centre) को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाती है ताकि राज्य स्तरीय मूल्यांकन और तकनीकी सहायता प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion):

DEOC के नियमित परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में संचार, समन्वय और प्रतिक्रिया प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य करे।

यह प्रक्रिया जिला प्रशासन की तत्परता को मजबूत बनाती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य समय पर प्रारंभ किए जा सकें और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

5.14 मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण–

टिहरी गढ़वाल जनपद की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ वर्ष भर विभिन्न मौसमी आपदाएँ कृ जैसे भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि, हिमपात, शीतलहर, ओलावृष्टि, और पर्वतीय मार्गों में अवरोध कृ घटित होती रहती हैं। इन परिस्थितियों से निपटने हेतु जनपद में निर्मित सुरक्षा ढाँचे (protective structures) एवं सुविधाएँ (पदतिंजतनबजनतमे) जैसे तटबंध, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज चौनल, पुल, सड़कों की ढलान सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था, बर्फ पिघलने की प्रणाली आदि का नियमित परीक्षण आवश्यक है, ताकि समय रहते मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जा सके।

मुख्य उद्देश्य (Objectives):

1. मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु बनाए गए सभी सुरक्षा ढाँचों की तकनीकी स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. नदियों एवं नालों में बने तटबंधों, गेबियन वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स आदि की मजबूती की जाँच करना।
3. वर्षा ऋतु से पूर्व जल निकासी, नालों की सफाई, एवं ढलानों की सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों, आश्रय स्थलों एवं सामुदायिक भवनों की उपयोगिता और सुरक्षा की जाँच करना।
5. संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों (Risk Zones) की पहचान कर संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार कार्यों हेतु निर्देशित करना।

परीक्षण प्रक्रिया (Inspection Procedure):

1. पूर्व–मानसून निरीक्षण (Pre-Monsoon Inspection):

मई–जून माह में सभी प्रमुख विभाग (PWD, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, नगर निकाय, आदि) द्वारा संयुक्त रूप से भूस्खलन संभावित स्थलों, सड़कों, पुलों और नालों का निरीक्षण किया जाता है।

2. मॉनसून अवधि में निगरानी (Monitoring During Monsoon):

जुलाई से सितंबर तक संवेदनशील स्थलों की साप्ताहिक निगरानी की जाती है।

किसी भी ढाँचे में दरार, कटाव या जलजमाव की स्थिति मिलने पर तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

3. हिमपात एवं शीतकालीन समीक्षा (Winter Review):

उच्च हिमालयी क्षेत्रों (जैसे हर्षिल, नेलांग, मोरी, बड़कोट क्षेत्र) में बर्फ हटाने की व्यवस्था, सड़क किनारे गार्डरेल्स और संकेत पट्टिकाओं की स्थिति की जाँच की जाती है।

4. भवनों एवं शरण स्थलों का परीक्षण (Building and Shelter Safety Inspection):

विद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों एवं राहत शिविर स्थलों की संरचनात्मक सुरक्षा (structural safety) की जाँच की जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जा सके।

5. अभिलेख संधारण (Record Maintenance):

सभी निरीक्षणों का विवरण विभागीय निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जाता है।
रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रस्तुत की जाती है तथा DEOC में डिजिटल अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जाती है।

संलग्न विभाग एवं उनकी भूमिकाएँ (Involved Departments and Roles):

तालिका–5.23

विभाग / संस्था	प्रमुख दायित्व
लोक निर्माण विभाग (PWD)	सड़कों, पुलों और ढलानों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण
सिंचाई विभाग	तटबंध, नाले और जल निकासी चौनलों की जाँच
जल संस्थान / पेयजल विभाग	जल निकासी और पाइपलाइन नेटवर्क की समीक्षा
नगर पालिका / ग्राम पंचायतें	स्थानीय सफाई, जल निकासी और अस्थायी आश्रय स्थलों की तैयारी
DDMA / DEOC	निरीक्षणों का समन्वय, रिपोर्ट संकलन और फॉलो–अप
राजस्व एवं SDRF विभाग	जोखिम क्षेत्रों की निगरानी एवं आपातकालीन कार्रवाई

रिपोर्टिंग एवं फॉलो–अप (Reporting and Follow&up):

- प्रत्येक निरीक्षण के बाद संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट DEOC, टिहरी को भेजी जाती है।
- DDMA इन रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक समीक्षा बैठक (Annual Preparedness Review) आयोजित करता है।
- अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में त्वरित मरम्मत कार्यों हेतु राज्य आपातकालीन निधि (State Disaster Response Fund – SDRF) से धन आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

मौसमी आपदाओं से पूर्व सुरक्षा ढाँचों और सुविधाओं की नियमित जाँच जनपद की आपदा–तैयारी को सुदृढ़ बनाती है। इससे न केवल अवसंरचना को क्षति से बचाया जा सकता है, बल्कि मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। नियमित निरीक्षण, समय पर मरम्मत और विभागीय समन्वय के माध्यम से टिहरी गढ़वाल जनपद को "आपदा–प्रतिरोधी जिला (Disaster Resilient District)" बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

5.15 जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान–

परिचय–

आपदा के समय प्रारंभिक "स्वर्णिम घण्टे" (Golden Hours) जीवन–रक्षा एवं राहत कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्षणों में यदि प्रशिक्षित एवं सुसंगठित टीम तुरंत कार्य आरंभ करे, तो जन–हानि व संपत्ति–हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (RRTs) का गठन किया गया है। ये टीमें भूकंप, भूस्खलन, बादल–फटना, बाढ़, अग्निकांड, सड़क दुर्घटनाओं आदि सभी प्रकार की आपदाओं में तत्काल कार्यवाही करती हैं।

मुख्य उद्देश्य

1. किसी भी आपदा की स्थिति में न्यूनतम समय में प्रभावी प्रारंभिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
2. मानव–जीवन की रक्षा, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था करना।
3. संचार, मार्ग एवं बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की बहाली में त्वरित कार्यवाही करना।
4. विभागों के बीच समन्वय और नेतृत्व व्यवस्था (IRS Structure) को सक्रिय बनाए रखना।
5. राहत कार्यों के दौरान सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

टीमों की पहचान एवं वर्गीकरण

(क) प्राथमिक प्रतिक्रिया टीमें (First Responder Teams)

ये टीमें घटना–स्थल पर सर्वप्रथम पहुँचती हैं और प्राथमिक राहत, खोज–बचाव, तथा सूचना संप्रेषण का कार्य करती हैं। मुख्य विभाग: पुलिस, अग्निशमन, SDRF/NDRF, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग।

(ख) सहायक प्रतिक्रिया टीमें (Support Teams)

ये टीमें प्राथमिक टीमों को तकनीकी, सामग्री एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती हैं।

मुख्य विभागरू विद्युत, जल संस्थान, शिक्षा, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व।

(ग) सामुदायिक प्रतिक्रिया टीमें (Community Based Response Teams)

ग्राम, वार्ड या ब्लॉक स्तर पर गठित ये टीमें स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक सहायता, निकासी (Evacuation) एवं सूचना प्रसारण में सहायक होती हैं। मुख्य इकाइयाँ: आपदा मित्र, स्वयंसेवक, एनएसएस/एनसीसी छात्र, ग्राम प्रहरी, महिला मंगल दल।

विभागवार त्वरित प्रतिक्रिया टीमें–

तालिका–5.24

क्र.सं.	विभाग / संस्था	टीम प्रकार	मुख्य कार्य / उत्तरदायित्व
1	पुलिस विभाग	सुरक्षा एवं निकासी टीम	भीड़ नियंत्रण, मार्ग सुरक्षा, लोगों की निकासी में सहयोग
2	अग्निशमन विभाग	अग्निशमन टीम	आगजनी या ढही भवनों में बचाव कार्य
3	स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सीय सहायता टीम	प्राथमिक उपचार, घायलों का स्थल पर उपचार एवं अस्पताल भेजना
4	लोक निर्माण विभाग (PWD)	मार्ग बहाली टीम	सड़कों की सफाई, भूस्खलन हटाना, आवागमन पुनर्स्थापित करना
5	विद्युत विभाग	विद्युत पुनर्स्थापन टीम	बिजली लाइन मरम्मत, सुरक्षा जाँच, वितरण पुनः सक्रिय करना
6	जल संस्थान	जलापूर्ति टीम	पेयजल व्यवस्था सुधारना, स्रोतों की सफाई
7	राजस्व विभाग	राहत वितरण टीम	क्षति आकलन, राहत सामग्री वितरण
8	SDRF / NDRF	विशेष बचाव दल	ऊँचाई या खतरे वाले क्षेत्रों में तकनीकी बचाव
9	शिक्षा विभाग	छात्र सुरक्षा टीम	विद्यालयों में निकासी अभ्यास एवं बच्चों की सुरक्षा
10	पंचायत / नगर निकाय	सामुदायिक सहयोग टीम	स्थानीय संसाधनों की सक्रियता एवं लॉजिस्टिक सहयोग

प्रशिक्षण एवं अभ्यास–

- प्रत्येक टीम सदस्य को आपदा प्रतिक्रिया, पहली सहायता, खोज एवं बचाव का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित कर प्रतिक्रिया तैयारी का मूल्यांकन किया जाता है।
- प्रशिक्षण डाटा और संपर्क सूची (DEOC द्वारा) प्रत्येक छः महीने में अपडेट की जाती है।

संचार तंत्र (SOP for Communication)

- सभी टीमों का DEOC से VHF, वायरलेस या मोबाइल नेटवर्क द्वारा सीधा संपर्क रखा जाता है।
- प्रत्येक टीम में एक नोडल अधिकारी (Team Leader) नामित किया गया है जो DEOC को तत्काल रिपोर्ट करता है।
- आपदा के समय सभी टीमें IRS संरचना के अनुसार Incident Commander(जिलाधिकारी) के अधीन कार्य करती हैं।

निगरानी एवं समीक्षा

- प्रत्येक टीम की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें उपकरणों, जनशक्ति एवं संसाधनों की समीक्षा की जाती है।
- DEOC के द्वारा सभी टीमों का वार्षिक ऑडिट किया जाता है ताकि तत्परता स्थिति सुनिश्चित रहे।
- किसी घटना के बाद After Action Review (AAR) के माध्यम से टीमों के कार्य का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

निष्कर्ष

त्वरित प्रतिक्रिया टीमें जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की रीढ़ हैं। इनके निरंतर प्रशिक्षण, सामान्य अभ्यास और समन्वित कार्यवाही से जनपद टिहरी गढ़वाल आपदा के किसी भी रूप का सामना त्वरित तथा प्रभावी रूप से कर सकता है।

5.16 गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय–

परिचय–

आपदा प्रबंधन केवल सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह साझा सामाजिक उत्तरदायित्व (Collective Social Responsibility) है। जनपद टिहरी गढ़वाल जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयंसेवी समूहों, धार्मिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों तथा सामुदायिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएँ राहत, बचाव, पुनर्वास, जन–जागरूकता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं।

मुख्य उद्देश्य

- गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों की क्षमताओं का उपयोग कर आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना।
- राहत, बचाव, पुनर्वास और जागरूकता अभियानों में सरकारी तंत्र के साथ सहयोगी ढांचा (Collaborative Framework) तैयार करना।
- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर त्वरित सहायता, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र और मनो–सामाजिक समर्थन उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, और जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

NGOs एवं हितधारकों की भूमिका (Roles of Non&Governmental & Other Stakeholders)

तालिका–5.25

क्र.सं.	संस्था / संगठन का प्रकार	मुख्य कार्य / भूमिका
1	स्थानीय NGOs	राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता, अस्थायी शिविर प्रबंधन, जल एवं स्वच्छता व्यवस्था
2	अंतरराष्ट्रीय NGOs / एजेंसियाँ (UNDP,Red Cross, UNICEF आदि)	तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण, आपदा–पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास कार्यक्रम
3	धार्मिक / सामाजिक संस्थाएँ	भोजन, वस्त्र एवं आश्रय व्यवस्था में सहायताय जन–मनौवैज्ञानिक परामर्श
4	शैक्षणिक संस्थान (NIM, ITI, GIC आदि)	स्वयंसेवक प्रशिक्षण, जन–जागरूकता अभियान, युवा सहभागिता
5	औद्योगिक / निजी क्षेत्र (CSR के माध्यम से)	वित्तीय सहायता, आपदा उपकरण, सामग्री आपूर्ति, राहत शिविरों को सहायता
6	महिला समूह / स्वयं सहायता समूह (SHGs)	स्थानीय स्तर पर महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, पोषण, मनोवैज्ञानिक सहयोग
7	आपदा मित्र / स्वयंसेवक नेटवर्क	प्राथमिक प्रतिक्रिया, सूचना प्रसारण, निकासी में सहयोग

समन्वय प्रणाली (Coordination Mechanism)

- जिला प्रशासन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों का एक समन्वय तंत्र (NGO Coordination Network) स्थापित किया गया है, जो DEOC के माध्यम से संचालित होता है।
- प्रत्येक छळ्ट को नोडल विभाग या अधिकारी आवंटित किया गया है ताकि राहत वितरण में दोहराव या विलंब न हो।
- आपदा के समय सभी NGOs को DEOC द्वारा जारी सिंगल कमांड और रिपोर्टिंग सिस्टम (Unified Command System) के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य है।
- जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष "NGO समन्वय बैठक" आयोजित की जाती है जिसमें योजनाएँ, संसाधन एवं तैयारी पर चर्चा की जाती है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (Capacity Building - Training)

- टिहरी गढ़वाल द्वारा NGOs, स्वयंसेवकों एवं आपदा मित्रों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- प्रशिक्षण विषयों में—प्राथमिक उपचार, खोज–बचाव, मनोवैज्ञानिक सहयोग, राहत शिविर संचालन, और संचार प्रणाली का उपयोग शामिल है।
- प्रशिक्षण के पश्चात् सभी प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और ID कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि DEOC से उन्हें पहचानकर बुलाया जा सके।
- NGOs को अपने स्वयंसेवकों की सूची, संसाधनों और उपकरणों की जानकारी हर छः महीने में DDMA को उपलब्ध करानी होती है।

सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली–

- आपदा की स्थिति में प्रत्येक NGO को अपने गतिविधि क्षेत्र की दैनिक प्रगति रिपोर्ट (Daily SituationReport) DEOC को भेजनी होती है।
- DEOC द्वारा इन रिपोर्टों को संकलित कर SEOC (राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र) को प्रेषित किया जाता है।
- NGOs द्वारा की गई सहायता, वितरण और जन–सेवाओं का रिकॉर्ड पारदर्शिता हेतु DEOC पोर्टल पर अपडेट किया जाता है।

निष्कर्ष–

गैर–सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से जनपद टिहरी गढ़वाल की आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सशक्त एवं सहभागी बनती है। इनके सहयोग से प्रशासनिक प्रतिक्रिया और सामुदायिक सहायता के बीच एक प्रभावी समन्वय स्थापित होता है, जो टिहरी गढ़वाल को एक Resilient District (लचीला जिला) बनने की दिशा में अग्रसर करता है।

5.17 हानि प्रबंधन (Mass Casualty Management)–

आपदा की स्थिति में अचानक बड़ी संख्या में घायल या मृत व्यक्ति सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, SDRF, और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर त्वरित, समन्वित एवं संवेदनशील कार्रवाई करनी होती है। जनपद टिहरी गढ़वाल जैसे पर्वतीय एवं संवेदनशील क्षेत्र में, भूकंप, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाएँ, बादल फटना, भवन ढहना एवं बस हादसे जैसी घटनाओं में "Mass Casualty" की संभावना रहती है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा हानि प्रबंधन प्रणाली (Mass Casualty Management System–MCMS) को सुदृढ़ किया गया है, जिससे आपदा के समय चिकित्सा सहायता, निकासी और मृतकों की पहचान शीघ्र हो सके।

मुख्य उद्देश्य

- बड़ी संख्या में घायलों एवं मृतकों के कुशल प्रबंधन हेतु समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- राहत एवं बचाव दलों को प्रशिक्षित कर 'ळवसकमद भ्वनत' के भीतर जीवन रक्षा सुनिश्चित करना।
- अस्पतालों, एम्बुलेंस नेटवर्क एवं रक्त बैंकों की पूर्व तैयारी को बनाए रखना।
- मृतकों की पहचान, परिजनों को सूचना एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- घटनास्थल पर ट्रायेज सिस्टम (Triage System) लागू करना ताकि प्राथमिकता के आधार पर उपचार हो सके।

कार्रवाई की संरचना (Action Framework)

(1) त्वरित सूचना एवं सक्रियण

- जैसे ही बड़ी दुर्घटना या आपदा की सूचना मिलती है, DEOC तुरंत जिला अस्पताल, CHC, PHC और निजी अस्पतालों को सतर्क करता है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा "Mass Casualty Alert" जारी किया जाता है।
- Ambulance Command System(108 सेवा) को सक्रिय कर नजदीकी टीमों को घटनास्थल की ओर भेजा जाता है।

(2) घटनास्थल पर त्वरित चिकित्सा व्यवस्था

- SDRF/NDRFएवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर घटनास्थल पर मेडिकल ट्रायेज जोन स्थापित किया जाता है। घायलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है –
- लाल टैग (Critical) त्वरित शल्य चिकित्सा या ICU की आवश्यकता।
- पीला टैग (Moderate) सामान्य चिकित्सा सहायता आवश्यक।
- हरा टैग (Minor) प्राथमिक उपचार के बाद भेजा जा सकता है।
- काला टैग (Deceased): मृत व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक अलग क्षेत्र में ले जाया जाता है।

(3) चिकित्सा संस्थानों की तैयारी

- जिला अस्पताल, CHC, PHC, और निजी अस्पतालों में आपदा के समय आपातकालीन वार्ड (Emergency Ward) सक्रिय किए जाते हैं।
- अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था, दवाओं का स्टॉक, सर्जिकल किट, एवं प्लास्टिक बॉडी बैग्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- रक्त बैंक / ब्लड डोनर नेटवर्क सक्रिय किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाती है।
- अस्पताल प्रशासन द्वारा घायलों की सूची और स्थिति रिपोर्ट DEOC को हर 2 घंटे में भेजी जाती है।

(4) निकासी एवं परिवहन व्यवस्था

- 108 एम्बुलेंस सेवा, SDRF वाहन, पुलिस वाहन, और स्थानीय परिवहन साधनों को एकीकृत कर Evacuation Plan सक्रिय किया जाता है।
- सड़क बाधित होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर निकासी (Air Evacuation) की व्यवस्था SDRF / भारतीय वायुसेना के सहयोग से की जाती है।
- DEOC के नियंत्रण में Medical Coordination Cell कार्य करता है, जो सभी परिवहन और अस्पताल आवंटन का रिकॉर्ड रखता है।

(5) मृतकों का प्रबंधन (Dead Body Management)

- मृतकों की पहचान हेतु पुलिस, राजस्व विभाग, और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम कार्य करती है।
- फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, वस्त्र आदि के आधार पर पहचान प्रक्रिया की जाती है।
- पहचान होने पर परिजनों को सूचना देकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है।
- यदि पहचान न हो सके तो पोस्टमार्टम एवं DNA सैंपल लेकर रिकॉर्ड DEOC को सौंपा जाता है।

(6) मनो–सामाजिक सहयोग (Psychosocial Support)

- आपदा के बाद प्रभावित परिवारों एवं बचाव कर्मियों के मानसिक तनाव कम करने हेतु काउंसलिंग टीम भेजी जाती है।
- इसमें सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, तथा छळे की सहायता ली जाती है।

सहभागी विभाग / संस्थाएँ–

तालिका–5.25

क्र.सं.	विभाग / संस्था	भूमिका / उत्तरदायित्व
1	स्वास्थ्य विभाग	Mass Casualty Response योजना का संचालन
2	पुलिस विभाग	पहचान, पोस्टमार्टम, रिकॉर्ड संधारण
3	SDRF / NDRF	घायलों को निकालना, ट्रायेज क्षेत्र की स्थापना
4	DEOC (DDMA)	समन्वय, सूचना एवं लॉजिस्टिक सहायता
5	परिवहन विभाग	एम्बुलेंस और वाहन व्यवस्था
6	रेड क्रॉस / NGOs	प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, रक्तदान एवं सहायता
7	स्थानीय प्रशासन	अस्थायी शिविर, मृतकों के परिवार को सहयोग

संसाधन एवं तैयारी (Preparedness Measures)

- जिला अस्पताल और प्रमुखCHCमें Mass Casualty Handling Kits उपलब्ध रखे जाते हैं।
- प्रत्येक चिकित्सालय में आपातकालीन संपर्क सूची, रक्त समूह सूची और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता रिपोर्ट रखी जाती है।
- मासिक मॉक ड्रिल्स द्वारा अस्पतालों की प्रतिक्रिया समय का परीक्षण किया जाता है।
- वाहनों, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार सामग्री, और शव प्रबंधन बैग्स की गिनती DEOC के रिकॉर्ड में रखी जाती है।

निष्कर्ष

Mass Casualty Management किसी भी आपदा की स्थिति में जीवन रक्षा का केंद्रीय तंत्र है। जिला टिहरी गढ़वाल में प्रशासनिक, चिकित्सीय और स्वयंसेवी तंत्र के समन्वित प्रयासों से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित, मानवीय और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

5.18 राहत, भोजन और पानी–

किसी भी आपदा के बाद प्रभावित जनसमुदाय के लिए राहत (Relief), भोजन (Food Supply) तथा पेयजल (Drinking Water) की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

जनपद टिहरी गढ़वाल जैसे पर्वतीय जिले में, भूकंप, भूस्खलन, बादल–फटना, बाढ़, सड़क अवरोध या भारी हिमपात की स्थिति में गाँवों का संपर्क टूट सकता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और राहत कार्यों का व्यवस्थित प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता बन जाता है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक सशक्त राहत वितरण एवं जल–भोजन आपूर्ति प्रबंधन तंत्र विकसित किया है, जो DEOC (District Emergency Operation Center) के नियंत्रण में कार्य करता है।

मुख्य उद्देश्य

- प्रभावित व्यक्तियों को समय पर भोजन, स्वच्छ पानी और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना।
- अस्थायी राहत शिविरों (Relief Camps) का संचालन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखना।
- राहत सामग्री के समान वितरण, पारदर्शिता और निगरानी को सुनिश्चित करना।
- भोजन एवं पानी की गुणवत्ता, मात्रा और आपूर्ति श्रृंखला का नियमित परीक्षण करना।
- स्थानीय समुदाय, NGOs और स्वयंसेवकों के सहयोग से राहत कार्यों का क्रियान्वयन।

(।) राहत व्यवस्था (Relief Management)

1. राहत सामग्री का भंडारण एवं उपलब्धता

- जनपद में सभी तहसीलों, ब्लॉकों एवं प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पूर्व से राहत सामग्री का भंडारण (Pre-Positioning) किया जाता है।

इन भंडारों में शामिल वस्तुएँ हैं —

- टेंट, तिरपाल, कंबल, चादरें, चप्पलें, सोलर लालटेन
- प्राथमिक चिकित्सा किट, स्वच्छता किट, आवश्यक औषधियाँ
- शिशु आहार एवं महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सामग्री
- भंडारण केंद्रों की सूची क्म्ब् द्वारा अद्यतन रखी जाती है।

2. राहत शिविरों की स्थापना–

- राहत शिविरों का चयन पूर्व–चिह्नित सुरक्षित स्थलों (विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंचायत घर आदि) पर किया जाता है।
- प्रत्येक शिविर में निम्नलिखित सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं कृ
- स्वच्छ पेयजल एवं भोजन
- अस्थायी शौचालय
- प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सा सहायता केंद्र

- बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था
- प्रत्येक राहत शिविर में एक शिविर प्रभारी (Camp In-Charge)नामित किया जाता है जो DEOC को दैनिक रिपोर्ट देता है।

(ठ) भोजन व्यवस्था (Food Management)

1. भोजन आपूर्ति एवं वितरण

- राहत शिविरों में भोजन आपूर्ति का दायित्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और रेड क्रॉस / स्थानीय NGOs के सहयोग से निभाया जाता है।
- प्रशासनिक आदेशानुसार भोजन वितरण में प्राथमिकता दी जाती है—
    - बच्चे एवं गर्भवती महिलाएँ
    - वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्ति
    - गंभीर रूप से प्रभावित परिवार
    - भोजन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु लॉगबुक एवं वितरण पंजी रखा जाता है।

2. भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता–

- भोजन तैयार करते समय स्वच्छ जल, स्वच्छ रसोई और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।
- नाशवान वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज या शीघ्र वितरण प्रणाली लागू की जाती है।

(C) पेयजल व्यवस्था (Water Supply Management)

1. पेयजल आपूर्ति

- पेयजल आपूर्ति का दायित्व जल संस्थान / पेयजल निगम के अधीन रहता है।
- राहत शिविरों में टैंकर, हैंडपंप, या जलशुद्धिकरण यंत्र (Water Purifiers / RO Units) की व्यवस्था की जाती है।
- जल स्रोतों की सुरक्षा हेतु क्लोरीनेशन एवं पानी की गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है।

2. जल गुणवत्ता निगरानी

- स्वास्थ्य विभाग एवं जल संस्थान के संयुक्त दल द्वारा नियमित रूप से जल नमूने एकत्र किए जाते हैं।
- Portable Water Testing Kitsका उपयोग कर क्लोरीन स्तर और पीने योग्य मानक (IS 10500) की पुष्टि की जाती है।

(D) निगरानी एवं समन्वय (Monitoring & Coordination)

तालिका–5.26

क्र.सं.	विभाग / संस्था	उत्तरदायित्व
1	जिला प्रशासन / DEOC	राहत वितरण का समग्र समन्वय
2	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	राशन, खाद्यान्न और स्च्ळ आपूर्ति
3	जल संस्थान / पेयजल निगम	पेयजल व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण
4	स्वास्थ्य विभाग	जल जनित रोगों की रोकथाम, स्वच्छता निगरानी
5	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों की सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
6	रेड क्रॉस / NGOs	भोजन वितरण, राहत सामग्री और स्वयंसेवक सहयोग
7	पुलिस विभाग	शिविरों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना

(E) पारदर्शिता एवं रिपोर्टिंग प्रणाली

- सभी राहत शिविरों से दैनिक रिपोर्ट (Relief Status Report) DEOCको प्रेषित की जाती है।
- रिपोर्ट में भोजन–पानी की उपलब्धता, लाभार्थियों की संख्या, शिकायतें और आवश्यकताएँ दर्ज की जाती हैं।
- DDMA द्वारा राहत कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन (Relief Audit) किया जाता है ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

(F) सामुदायिक सहभागिता

- स्थानीय स्वयंसेवक, महिला मंगल दल, युवा मंडल और आपदा मित्र राहत कार्यों में सक्रिय सहयोग देते हैं।
- ग्राम स्तर पर स्थानीय राहत समिति गठित की जाती है जो भोजन और पानी की वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता रखती है।

निष्कर्ष–

राहत, भोजन एवं पानी आपदा प्रतिक्रिया का सबसे संवेदनशील और आवश्यक भाग है। जनपद टिहरी गढ़वाल में DEOC के नेतृत्व में विभिन्न विभागों, NGOs और समुदायों के समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा या बिना पानी के न रहे और सभी को समय पर सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्याप्त राहत सहायता प्राप्त हो सके।

5.19 आश्रय/चिकित्सा/राहत शिविर–

आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएँ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की रीढ़ होती हैं। किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के उपरांत प्रभावित जनसंख्या को त्वरित चिकित्सा सहायता, रोग नियंत्रण एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आपातकालीन स्वास्थ्य एवं राहत शिविरों की स्थापना की जाती है।

(A) उद्देश्य (Objectives):

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में घायल, बीमार एवं मानसिक रूप से आहत व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम, जलजनित बीमारियों के नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना।
- गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, वृद्धजनों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था करना।
- प्राथमिक उपचार से लेकर आवश्यकतानुसार रेफरल अस्पतालों तक मरीजों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना।
- आपदा के पश्चात दीर्घकालिक स्वास्थ्य निगरानी एवं पुनर्वास योजनाओं को लागू करना।
- समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक संतुलन के प्रति जागरूकता फैलाना।

(B) जिम्मेदार विभाग एवं सहयोगी एजेंसियाँ (Responsible Departments -Agencies):–

तालिका–5.27

विभाग/एजेंसी	भूमिका /कार्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)	स्वास्थ्य सेवाओं की समन्वय एवं निगरानी
जिला अस्पताल / CHC / PHC	प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों की तैनाती, दवा वितरण
SDRF / NDRF / रेडक्रॉस सोसाइटी	प्राथमिक उपचार, बचाव दलों के लिए मेडिकल सहायता
आयुष विभाग	वैकल्पिक औषधि एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श
नगर निकाय / जल संस्थान	स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था
एनजीओ / स्वयंसेवी संगठन	जनजागरूकता, राहत सामग्री वितरण एवं सहयोगी चिकित्सा सहायता

(C) प्रमुख कार्यवाही (Major Actions):–

1. **चिकित्सा दलों की तैनातीरू**
   - प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जाए।
   - 24×7 कार्यरत आपातकालीन चिकित्सा सहायता टीम गठित हो।
2. **आपातकालीन शिविर की स्थापनारू**
   - सुरक्षित एवं सुलभ स्थान पर अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए जाएँ।
   - प्रत्येक शिविर में प्राथमिक उपचार किट, दवा भंडार, पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो।
3. **औषधि एवं उपकरण प्रबंधनरू**
   - एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार सामग्री एवं रक्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
   - दवाओं का स्टॉक जिला औषधि भंडार में पूर्व से रखा जाए।
4. **रोग नियंत्रण एवं स्वच्छतारू**
   - जलजनित और संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु क्लोरीन टैबलेट वितरण।
   - प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
5. **मानसिक स्वास्थ्य सहायता (Psychosocial Support):**
   - आपदा से प्रभावित परिवारों को काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन और सहायता सेवा उपलब्ध कराई जाए।
   - महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष सहायता केंद्र स्थापित हों।
6. **रोग निगरानी प्रणाली (Disease Surveillance):**

- IDSP (Integrated Disease Surveillance Program) के अंतर्गत बीमारियों की रिपोर्टिंग प्रणाली सक्रिय की जाए।
- किसी भी संक्रामक रोग की जानकारी तत्काल DEOC को भेजी जाए।

7. स्वास्थ्य शिविर का प्रलेखन:

- प्रत्येक शिविर का नाम, स्थान, अवधि, चिकित्सक दल, मरीजों की संख्या, उपचार प्रकार आदि का विवरण दैनिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाए।
- समस्त डेटा DEOC को भेजा जाए और राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया जाए।

8. जनजागरूकता गतिविधियाँ:

- समुदाय को स्वच्छता, जल शुद्धिकरण, पोषण एवं रोग–निवारण के प्रति शिक्षित किया जाए।
- स्थानीय आँगनबाड़ी, आशा एवं ANM कार्यकर्ताओं को सामुदायिक शिक्षा में शामिल किया जाए।

(D) आवश्यक संसाधन (Required Resources):–

- एम्बुलेंस एवं मोबाइल मेडिकल वैन
- आवश्यक दवाइयाँ, वैक्सीन, क्लोरीन टैबलेट
- प्राथमिक उपचार किट एवं फर्स्ट–एड बॉक्स
- चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ
- जनरेटर, टेंट, प्रकाश व्यवस्था
- भोजन एवं पेयजल की सुविधा

(E) निगरानी एवं रिपोर्टिंग (Monitoring–Reporting):–

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन शिविर की स्थिति रिपोर्ट तैयार कर DEOC को भेजी जाएगी।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिविरों का फील्ड निरीक्षण किया जाएगा।
- सभी रिपोर्ट राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष (SEOC) को अग्रेषित की जाएँगी।

5.20 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन, सैटेलाईट फोन हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर)

आपदा की स्थिति में सूचना का त्वरित संचार ही प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों की कुंजी होता है। सूचना के संप्रेषण में विलंब होने पर हानि की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। इस कारण जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों को एकीकृत कर "प्रारंभिक चेतावनी एवं आपात संचार प्रणाली (Emergency Alert System)" विकसित की गई है, जिससे समय रहते जनसमुदाय, विभागों एवं राहत बलों तक सूचना पहुँच सके।

(I) उद्देश्य (Objectives):–

1. आपदा संभावित क्षेत्रों में समयपूर्व चेतावनी (Early Warning) प्रदान करना।
2. संचार प्रणाली के माध्यम से विभागों, पुलिस, स्वास्थ्य, फायर एवं SDRF/NDRF तक तत्काल सूचना पहुँचाना।
3. दूरस्थ/पर्वतीय क्षेत्रों में वैकल्पिक संचार व्यवस्था (Satellite / VHF) सक्रिय रखना।
4. आपदा के दौरान जनता को हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।
5. राज्य एवं राष्ट्रीय आपात सूचना तंत्र के साथ डेटा एकीकरण (Integration) सुनिश्चित करना।

5.21 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी

आपदा के समय दिव्यांगजन सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों में आते हैं। अतः उनके लिए विशेष तैयारी, सहायता तंत्र एवं पुनर्वास की व्यवस्थाएँ जिला आपदा प्रबंधन योजना का अभिन्न अंग हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल में इस दिशा में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं –

डेटा बेस का संकलन:

- प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी श्रेणीवार (दृ ष्टि, श्रवण, शारीरिक, मानसिक आदि) सूची तैयार की गई है।
- यह जानकारी DEOC और तहसील आपदा प्रबंधन कार्यालय में अद्यतन रखी जाती है।

सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण:

- दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार एवं संचार साधनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- Apda Mitra ,oa Anganwadi/ASHAकार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि वे आपदा के दौरान दिव्यांगजनों की सहायता कर सकें।

निकासी एवं राहत केंद्रों में विशेष व्यवस्था:

- राहत शिविरों में रैम्प, रेलिंग, व्हीलचेयर, ब्रेल संकेतक एवं श्रवण सहायता उपकरण की व्यवस्था की जाती है।
- शौचालय एवं विश्राम स्थल दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं।
- पूर्व चेतावनी संचार व्यवस्था (Early Warning Accessibility):
- SMS, कॉल अलर्ट, लाउडस्पीकर एवं स्थानीय स्वयंसेवकों के माध्यम से सुलभ संचार व्यवस्था की जाती है ताकि दिव्यांगजनों तक जानकारी समय पर पहुँचे।

मानसिक एवं सामाजिक सहयोग:

- आपदा के बाद दिव्यांगजनों को परामर्श (Counselling) एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक सहारा दिया जाता है।
- सहायक उपकरणों की आपूर्ति–
- जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि उपकरण पुनः उपलब्ध कराए जाते हैं।

रोजगार एवं पुनर्स्थापन:

- पुनर्वास के चरण में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण (Skill Development) एवं स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाता है।

स्थायी पुनर्वास:

- आवासीय पुनर्वास योजनाओं में दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- ग्राम स्तर पर "सुलभ आपदा प्रबंधन समिति" का गठन किया गया है ताकि उनकी सुरक्षा और पुनर्स्थापन सुनिश्चित हो सके।

संलग्न विभाग / संस्थाएँ (Associated Departments–Agencies):

तालिका–5.28

क्र	विभाग / संस्था	उत्तरदायित्व
1	समाज कल्याण विभाग	दिव्यांगजनों की पहचान, सहायता उपकरण वितरण
2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	राहत एवं पुनर्वास समन्वय
3	स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा सहायता एवं फिजियोथेरेपी
4	शिक्षा विभाग / Samagra Shiksha	विशेष विद्यालय एवं मनोवैज्ञानिक सहायता
5	NGOs / CBOs	सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

- ASHA ,व Apda Mitra Volunteers के माध्यम से door–to–door sensitization
- Accessible Emergency Shelters की पहचान एवं सुधार।
- Mock Drills में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

5.22 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन को त्वरित राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के लिए विभिन्न राज्य, केंद्र, सैन्य एवं गैर–सरकारी एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राहत कार्यों में समन्वय, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करना है।

•स्थिति का आकलन (Situation Assessment):

• आपदा घटित होते ही DEOC (District Emergency Operation Centre) से घटना की जानकारी संकलित की जाती है।

- क्षेत्रीय अधिकारी (SDM / Tehsildar / Incident Commander) द्वारा त्वरित प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Damage Report) तैयार की जाती है।
- **सहायता की आवश्यकता निर्धारण (Requirement Identification):**
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा संसाधन की उपलब्धता व आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है।
- आवश्यकता अनुसार बाहरी सहायता की श्रेणी (मानव संसाधन, उपकरण, चिकित्सा, संचार, परिवहन, इत्यादि) निर्धारित की जाती है।

तालिका–5.29

क्र	सहायता का प्रकार	संबंधित एजेंसी / विभाग	प्रक्रिया / माध्यम
1	राहत व बचाव बल (Rescue & Relief Forces)	SDRF / NDRF / सेना	DEOC से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SEOC) को औपचारिक अनुरोध
2	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता	स्वास्थ्य विभाग / रेडक्रॉस /NGOs	जिला चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र जारी
3	संचार एवं तकनीकी सहायता	BSNL, NIC, Police Radio	जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा त्वरित समन्वय
4	भोजन, पानी एवं आवश्यक वस्तुएँ	खाद्य आपूर्ति विभाग / नागरिक आपूर्ति निगम	जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से
5	सड़क, पुल एवं बिजली बहाली कार्य	PWD, UJVNL, Jal Sansthan, Power Dept	संबंधित विभागों के माध्यम से पुनःस्थापन अनुरोध
6	स्वयंसेवी संस्थाएँ / NGOs	रेडक्रॉस, अपदा मित्र, NSS, NCC	समन्वय बैठक एवं क्म्ब् से निर्देशानुसार तैनाती

- DEOC टिहरी गढ़वाल सभी एजेंसियों के बीच मुख्य समन्वय केंद्र(Nodal Point) के रूप में कार्य करता है।
- SEOC, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं NGOs के साथ 24×7 संपर्क व्यवस्था बनाए रखी जाती है।
- Incident Response System(IRS) के अंतर्गत Incident Commander द्वारा सभी अनुरोधों को अनुमोदित किया जाता है।
- राहत शिविरों एवं फील्ड यूनिट्स के माध्यम से प्राप्त सहायता की निगरानी, वितरण एवं रिपोर्टिंग की जाती है
- प्राप्त सहायता का लेखा–जोखा (Record Keeping) एवं प्रलेखन (Documentation) किया जाता है।
- सभी सहयोगी एजेंसियों को धन्यवाद पत्र एवं Feedback Reportप्रेषित की जाती है।
- उपयोग की गई सामग्रियों की ऑडिट एवं समीक्षा रिपोर्ट DDMA को सौंपी जाती है।
- अनुभव के आधार पर सहयोगी एजेंसियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाता है।

प्रमुख सहयोगी एजेंसियाँ (Key Supporting Agencies):

तालिका–5.30

क्र	एजेंसी / संगठन	भूमिका
1	SDRF / NDRF /Army	राहत एवं बचाव कार्य
2	Health–Medical Department	प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा प्रबंधन
3	PWD / Jal Sansthan / Electricity Dept-	आधारभूत संरचना की बहाली
4	Social Welfare / NGOs / Red Cross	राहत सामग्री वितरण
5	Apda Mitra Volunteers	सामुदायिक सहायता एवं सूचना संचार
6	SEOC / DDMA	नीति समन्वय एवं प्रशासनिक आदेश

- SEOCऔर DDMA के बीच रियल–टाइम डेटा साझा प्रणाली (Real-time Coordination) लागू।
- SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग और NGOs के साथ पूर्व–सहमति MOU व्यवस्था।
- हर वर्ष Mock Drill के माध्यम से Inter–Agency Coordination Mechanism का परीक्षण।

5.23– संचार तंत्र– (दूरसंचार सेवा, रेडियो और टेलीविजन इंटरनेट और सोशल मीडिया)

आपदा की स्थिति में सूचना का त्वरित और सटीक संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। संचार तंत्र (Communication Network) जिला आपदा प्रबंधन की रीढ़ के समान है, क्योंकि इसके माध्यम से राहत, बचाव, समन्वय और पूर्व चेतावनी (Early Warning) प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित होती है।

मुख्य सेवा प्रदाता:

- जनपद में प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता हैं BSNL, Jio, Airtel, VI आदि।
- दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में BSNL के टॉवर एवं VSAT आधारित संचार उपलब्ध हैं।
- आपात संचार नेटवर्क (Emergency Communication Network):
- जिला नियंत्रण कक्ष (DEOC) में Hotline–Dedicated Landline(01374–233433/234793/1077) उपलब्ध है।
- SEOC एवं राज्य सरकार से Video Conference Link स्थापित है।
- Critical Areas esa Wireless Set Communication के माध्यम से संपर्क बनाए रखा जाता है।

Satellite Communication(SATCOM):

जिलाधिकारी महोदय, डीईओसी टिहरी, उपजिलाधिकारी कार्यालय धनोल्टी, उपजिलाधिकारी कार्यालय घनसाली में 02, उपजिलाधिकारी कार्यालय नरेन्द्रनगर, तहसील कार्यालय बालगंगा, तहसील कार्यालय नैनबाग, तहसील कार्यालय जाखणीधार व पावकीदेवी जैसे क्षेत्रों में आपात स्थिति हेतु SATCOM Units (ISRO आधारित) की स्थापना की गई है।

- टिहरी गढ़वाल केंद्र द्वारा आपातकालीन सूचना एवं मौसम चेतावनी का प्रसारण किया जाता है।
- News Channels को DEOC द्वारा नियमित अपडेट भेजे जाते हैं।
- स्थानीय स्तर पर Community Radio Network(FM 90-8 MHz) का उपयोग जनजागरूकता एवं चेतावनी संदेशों के लिए किया जाता है।
- सभी प्रमुख Internet Service Providers(BSNL, Jio Fiber, Airtel) जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर सक्रिय हैं।
- District EOC Portal, DDMA Website एवं NIC Email Network से रिपोर्टिंग और डेटा साझाकरण किया जाता है।
- आपदा के समय GoogleForm /Online Incident Report System का प्रयोग किया जाता है।
- जनपद प्रशासन द्वारा आधिकारिक Social media के माध्यम से चेतावनी, राहत सूचना और आवश्यक अपडेट साझा किए जाते हैं।
- "Apda Mitra WhatsApp Groups",के माध्यम से ground–level information sharing किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन (Training and Management):

- सभी संचार ऑपरेटरों, पुलिस वायरलेस कर्मियों एवं DEOC स्टाफ को समय–समय पर Communication Protocol–Message Logging का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- Mock Drill के दौरान Two–Way Radio Communication–Mobile Backup Systems का परीक्षण किया जाता है।
- आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है।

आपदा के दौरान संचार का प्रयोग (Use of Communication During Disaster):

तालिका–5.30

संचार माध्यम	उपयोग / उद्देश्य	नियंत्रण केंद्र
मोबाइल नेटवर्क	सूचना प्रसारण एवं राहत समन्वय	DEOC, Police Control Room
रेडियो	जन–जागरूकता एवं चेतावनी	AIR / FM स्टेशन
टेलीविजन	राज्यस्तरीय अपडेट	News Channels
इंटरनेट	रिपोर्टिंग व डेटा साझा करना	NIC/DDMA Portal
सोशल मीडिया	त्वरित सूचना व सामुदायिक संवाद	DEOC / DM Office
सैटेलाइट फोन	नेटवर्क विफलता के समय आपात संचार	SEOC / DM Office
पुलिस वायरलेस	प्रशासनिक संचार	SP Office / DEOC

अधिकतम उपयोग (Best Practices):

- सभी तहसीलों में Backup Wireless Communication System कार्यरत।
- DEOC WhatsApp Broadcast System के माध्यम से सभी विभागों तक त्वरित सूचना पहुँचाना।
- Early Warning Message Format(EWMF) के तहत SMSAlerts का मानकीकरण।
- Community Radio Programmes द्वारा जनजागरूकता प्रसारण।

अध्याय 6

क्षमता विकास एंव प्रशिक्षण

(Capacity Building and training Measures)

6.1 प्रशिक्षण और क्षमत निर्माण दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य–

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारियों, स्थानीय निकायों तथा समुदाय को आपदाओं की रोकथाम, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्तर कृ जिला, विकासखण्ड और ग्राम—पर कार्यरत व्यक्ति को अपनी भूमिका, जिम्मेदारियाँ और आपदा के समय की प्राथमिक कार्यप्रणाली की पूर्ण जानकारी हो।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाएगारू

1.आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं नीतियों की समझ
2.आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रक्रिया (Response Mechanism)
3.प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव (Search and Rescue) प्रशिक्षण
4.आपदा के बाद पुनर्वास एवं राहत वितरण प्रक्रिया
5.जोखिम मूल्यांकन, चेतावनी प्रणाली, और संचार नेटवर्क की जानकारी
6.समुदाय की भागीदारी और जनजागरूकता का संवर्धन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाएगी कि यह न केवल सरकारी कर्मियों तक सीमित रहे, बल्कि विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, और Apda Mitra जैसे स्वयंसेवकों को भी सम्मिलित करे।

6.1.1 सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण–

आपदा प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों कृ तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response), पुनर्वास (Recovery) एवं शमन (Mitigation) में दक्ष बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

1.आपदा प्रबंधन के सिद्धांत एवं कानूनी ढांचा–आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की जानकारी।
2.आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System – IRS) का अभ्यास एवं भूमिका निर्धारण।
3.विभागीय भूमिका एवं समन्वय तंत्र – आपदा की स्थिति में विभागों के बीच प्रभावी तालमेल।
4.जोखिम पहचान एवं न्यूनीकरण उपाय – विभागीय योजनाओं में जोखिम घटाने के उपायों का समावेश।
5.आपातकालीन संचार एवं सूचना प्रसार प्रणाली का संचालन।
6.राहत एवं पुनर्वास कार्यों का समन्वय – संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA), NIDM (National Institute of Disaster Management), एवं DDMA के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला, विकासखण्ड और तहसील स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी कृ जैसे SDM, BDO, SHO, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, राजस्व, वन, पशुपालन, और परिवहन विभागों के अधिकारी — शामिल किए जाएंगे। सभी प्रशिक्षित अधिकारियों का डेटाबेस जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) में संधारित किया जाएगा, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

6.1.2 सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियां–

आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला समुदाय स्वयं होता है।इसलिए ग्राम स्तर पर लोगों की क्षमता बढ़ाने, जागरूकता फैलाने तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण और गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान हो कि आपदा की स्थिति में क्या करना है, कहाँ संपर्क करना है, और अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है। सामुदायिक स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियाँ की जाएँगी–

1. ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह (SHG), और Apda Mitra को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण।
2. विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों को "School Safety Programme" के अंतर्गत आपदा सुरक्षा अभ्यास (Mock Drill) का प्रशिक्षण।
3. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन टीमों (CBDMT) का गठन एवं उनका सशक्तिकरण।

4. जनजागरूकता रैली, कार्यशाला, पोस्टर, पंपलेट एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से सूचना प्रसार।
5. स्थानीय संसाधनों की सूची (Resource Mapping) तैयार करना — जैसे प्राथमिक उपचार किट, रस्सियाँ, ट्रॉली, पानी के स्रोत आदि।
6. आपातकालीन चेतावनी प्रणाली की जानकारी और उसका उपयोग सिखाना।
7. महिला एवं युवा समूहों को सशक्त बनाना ताकि वे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इन सभी गतिविधियों की निगरानी संबंधित विकासखण्ड अधिकारी (BDO) द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रेषित की जाएगी।

6.2 प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर–

आपदा प्रबंधन में निरंतरता और तैयारियों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर (Annual Calendar) तैयार किया जाएगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला, विकासखण्ड और ग्राम स्तर पर प्रत्येक विभाग, संस्था और समुदाय को वर्ष भर में नियमित रूप से प्रशिक्षण, अभ्यास (Mock Drill), और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

यह कैलेंडर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा सभी संबंधित विभागों, विद्यालयों, अस्पतालों, और स्थानीय निकायों के समन्वय से तैयार किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न जनपद स्तरीय अधिकारीयों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास–

जनपद में आपदा प्रबंधन पूर्व–तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण के कार्य, राहत एवं बचाव कार्य तथा आपदा पुनःस्थापन के कार्यों को संपन्न करने तथा जनपद आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने में जनपद के आपदा प्रबंधन हितधारकों जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी, स्वयं सेवी संगठन आदि का प्रशिक्षण जिला, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है–

जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रम वार्षिक कैलेंडर–

तालिका–6.1

क्र0सं0	विषय	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
बुनियादी प्रशिक्षणएवं कार्यशाला					
1	**आपदा प्रबंधन बुनियादी प्रशिक्षण**	जिला सभागार	जिला प्रशासन एवं केंद्र शासन के जिले में स्थित विभागों के नोडल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य	एक दिवसीय	सुविधानुसार
2	**आपदा प्रबंधन कार्यशाला**		स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि आदि		नवम्बर द्वितीय सप्ताह
3	**इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (IRS)**		जनपद IRS दल	दो दिवसीय	अप्रैल

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम– **तालिका–6.2**

क्र0 सं0	विषय	प्रशिक्षण संचालित करने वाला विभाग	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
1	इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (IRS)	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।/ ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति	तहसील मुख्यालय	तहसील मुख्यालय IRS दल	दो दिवसीय	सुविधानुसार
2	बाढ़ खोज एवं बचाव तकनीक	एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	तहसील मुख्यालय	आपदा मित्र एंव स्थानीय खोज एवं बचाव दल	एक दिवसीय	सुविधानुसार
3	प्राथमिक उपचार	रेड क्रॉस/ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	आपदा संभावित क्षेत्र	स्थानीय दल एवं वॉलंटियर	एक दिवसीय	सुविधानुसार
4	अग्नि दुर्घटना से बचाव	फॉयर सर्विस/वन विभाग।	जिला मुख्यालय	जिला होम गार्ड बल/नगर पालिक/ पुलिस विभाग/वन विभाग	एक दिवसीय	सुविधानुसार
5	भूकंप रोधी निर्माण तकनीक	लोक निर्माण विभाग	जिला मुख्यालय	भवन एवं ब्रिज निर्माण एजेंसी	दो दिवसीय	सुविधानुसार

प्रमुख बिंदु:

- कैलेंडर में निर्धारित सभी प्रशिक्षण और कार्यक्रमों की रिपोर्ट DDMA को भेजी जाएगी।
- प्रत्येक कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सीखे गए अनुभवों और सुधार के बिंदुओं को संकलित किया जाएगा।
- यह कैलेंडर हर वर्ष जनवरी माह में अद्यतन (update) किया जाएगा।

6.3 मॉक ड्रिल का आयोजन एवं आपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा–

आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए नियमित मॉक ड्रिल (Mock Drill) का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। मॉक ड्रिल से विभिन्न विभागों, संस्थाओं, और समुदायों की तैयारियों का परीक्षण होता है तथा उनकी प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है।मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित विभाग, स्कूल, अस्पताल, और स्थानीय संस्थाएँ अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समय पर और प्रभावी ढंग से निभा सकें।

मॉकड्रिल हेतु अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा–जनपद के संभावित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा की जाने वाली आपेक्षित कार्यवाही निम्ननुसार होगी।

तालिका–6.3

बाढ़			अग्नि दुर्घटना		
क्र0 सं0	दल	अपेक्षित कार्यवाही	क्र0 सं0	दल	अपेक्षित कार्यवाही
1	चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल	जन सामान्य को उचित एवं प्रभावशाली रूप से चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।	1	स्थानीय दल	100, 101 एवं 1077 पर सूचित करने का प्रदर्शन
2	चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	चिकित्सा कैंप तथा इसमे आवश्यक उपचार, दवाई व अन्य सामाग्री का प्रदर्शन। घायलो का चिन्हिकरण, पंजीयनएवं चिकित्सीय परिवहन सहायता का प्रदर्शन।	2	वाटर सप्लाई टास्क फोर्स	फायर नियंत्रण हेतु जल की स्थानीय स्तर पर अबाधित आपूर्ती का प्रदर्शन।
3	सिविल डिफेन्स टास्क फोर्स	आपदाग्रस्त क्षेत्र मे काम कर रही सभी एजेंसियो के मध्य समन्वय स्थापित कर राहत, बचाव, मलबा हटाना, चिकित्सा आदि के स्थापन मे सहयोग का प्रदर्शन।	3	खोज एवं बचाव टास्क फोर्स	आपदा में फसें लोगों के सुरक्षित निष्क्रमण का प्रदर्शन

4	पशु चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे पशु चिकित्सा राहत हेतु मेडिकल जांच केंद्र, रिलीफ कैंप,पंजीयन,चिकित्सीय परिवहन सहायता एवं समुचित उपचार, दवाई आदि उपलब्ध कराने का प्रदर्शन।	4	चिकित्सा राहत व्यवस्था	प्रभावित लोगों को सही तकनीक का प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक चिकित्सा तथा गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजने का प्रदर्शन
5	रोगी परिवहन व्यवस्था स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे घायलो एवं अति घायलो का नजदीक अस्पतालो, कैंपो एवं अन्य मुख्य चिकित्सीय संस्थानो तक परिवहन का प्रदर्शन।	5	पॉवर सप्लाई व्यवस्था स्ट्राइक फोर्स	पॉवर सप्लाई व्यवस्था बंद तथा चालू करने का प्रदर्शन

तालिका–6.4

भूकंप		
क्र0सं0	**दल**	**अपेक्षित कार्यवाही**
1	**चेतावनी प्रसारण तहसील स्तरीय स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
3	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।
4	**चिकित्सा प्रबंधन**	अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करना एवं घायलो कात्वरित इलाज का प्रदर्शन। सीपीआर का प्रदर्शन। बेंडेजिंग की विधियाँ।
5	**अग्नि शमन**	अग्नि शमन का प्रदर्शन
6	**मलबा निष्कर्मण**	मलबा हटाने का प्रदर्शन
7	**कानून व्यवस्था**	कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशों का प्रदर्शन
8	**चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
9	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
10	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।

(क) मॉक ड्रिल के उद्देश्य:

1. जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
2. विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार तंत्र की समीक्षा करना।
3. स्थानीय स्तर पर संसाधनों, उपकरणों, और मानवबल की तत्परता का मूल्यांकन।
4. समुदाय को आपदा प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं से परिचित कराना।
5. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक अनुभव (hands&on experience) प्रदान करना।

(ख) मॉक ड्रिल के आयोजन की प्रक्रिया:

1. पूर्व योजना (Pre-Planning):

- DDMA द्वारा वार्षिक ड्रिल कैलेंडर के अनुसार तिथि और स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
- सभी संबंधित विभागों को पहले से सूचना दी जाएगी।
- ड्रिल से पहले जंइसम–जवच म•मतबपेम आयोजित की जाएगी ताकि सभी की भूमिकाएँ स्पष्ट हों।

2. ड्रिल का संचालन (Execution):

- ड्रिल निर्धारित परिदृश्य (जैसे भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, भूस्खलन आदि) के अनुसार की जाएगी।
- सभी संबंधित विभाग (पुलिस, स्वास्थ्य, फायर, SDRF, शिक्षा, राजस्व आदि) अपनी भूमिका निभाएंगे।
- समय, प्रतिक्रिया, संचार, और संसाधनों के उपयोग का परीक्षण किया जाएगा।

3. ड्रिल के बाद की कार्यवाही (Post-Drill Actions):

- सभी प्रतिभागी विभागों से प्रतिक्रिया रिपोर्ट (Feedback Report) प्राप्त की जाएगी।
- कमियों और सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं की पहचान की जाएगी।
- एक समीक्षा बैठक (Evaluation Meeting) आयोजित की जाएगी।
- एक विस्तृत After Action Report (AAR) तैयार की जाएगी और DDMA को प्रेषित की जाएगी।

4. समीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही:

- समीक्षा के दौरान प्राप्त सुझावों को आगामी प्रशिक्षण एवं योजना निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा।
- संबंधित विभागों को उनके सुधारात्मक कार्यों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.4 जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण–

जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक निरन्तर की जाती जनपद में आई0आर0एस0 का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। विभागीय समन्वय के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर समय–समय पर आपदा मॉक अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है,

(मॉक अभ्यास सम्बन्धी तालिका)Annexure–5) में संलग्न है।)

जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास में प्राप्त सुझाव–

1. उपलब्ध संसाधनों की सूची तथा रख–रखाव अपडेट रखा जाना आवश्यक है।
2. आपदा के समय वाहनों को उचित स्थान पर पार्किंग करने की व्यवस्था चिन्हित किया जाना।
3. पुलिस वायरलेस सिस्टम में अलग–अलग चैनल आवंटित होने चाहिए।
4. इन्सीडेट कमाण्डर द्वारा की गयी मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. टास्क फोर्स के डिस्पेच में कम से कम समय लगना चाहिये।
6. राहत–बचाव कार्यो में पूर्व से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये।

भूकम्प मॉक अभ्यास से प्राप्त अनुभव–

1– जनपद में उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता, सुद्दृढिकरण तथा रख–रखाव का अनुभव तथा उक्त संसाधनों के सफल संचालन/उपयोग का अनुभव का प्राप्त होना।
2– सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढा है एवं टीम भावना का विकास हुआ है।
3– भूकम्प के समय सफल राहत–बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इंसीडेन्ट रिस्पॉन्ससिस्टम (आई0आर0एस0) अनुरूप नामित अधिकारियों एवं समन्व्यक अधिकारियों को अपने कर्त्वयो का स्पष्ट ज्ञान होना।
4–आई0टी0बी0पी0 का मुख्य बल के रूप में कार्य किया जाना।

6.5 आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न जनपद स्तरीय अधिकारीयों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता वृद्धि

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) टिहरी गढ़वाल द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारियों और स्थानीय समुदाय को आपदा पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में दक्ष बनाना तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में Incident Response System (IRS), Emergency Operation Centre (EOC) Management, GIS आधारित योजना निर्माण, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तथा Community–Based DisasterManagement (CBDM) जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।वर्ष 2025 में "Community–Based Disaster Management (CBDM) Phase-II, प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुआ है, जो वर्तमान में विकासखंड स्तर पर क्रमशः संचालित हो रहा है।
इस कार्यक्रम में विकासखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, आशा बहुएँ, एवं अन्य स्थानीय कार्मिक सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्राम एवं समुदाय स्तर पर आपदा प्रबंधन की प्राथमिक क्षमता (First Response Capacity) को सशक्त बनाना तथा स्थानीय जनजागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ावा देना है।

(क) प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रमुख लाभ (Major Outcomes):

1. अधिकारियों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन दक्षता में निरंतर सुधार।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा बहुओं की सहभागिता से समुदाय स्तर पर जागरूकता और तैयारी में वृद्धि।
3. विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर स्थानीय संसाधनों के उपयोग की समझ में सुधार।
4. प्रशिक्षण के परिणामों को ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जारी।
5. आपदा पूर्व चेतावनी एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए स्थानीय समन्वय नेटवर्क मजबूत हुआ।

6.6 जनपद में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में से प्राप्त अनुभव प्राप्त सुझाव–

जिला टिहरी गढ़वाल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिलों में सक्रिय भागीदारी की गई है। इन अभ्यासों का उद्देश्य आपदा की वास्तविक स्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, SDRF, NDRF, अग्निशमन, एवं अन्य विभागों के बीच समन्वय एवं तत्परता की जाँच करना रहा। इन मॉक ड्रिलों से अनेक महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव (Practical Learnings) प्राप्त हुए, जिन्होंने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMP) को सुदृढ़ करने में सहायक भूमिका निभाई है।

(ख) मॉक ड्रिल से प्राप्त प्रमुख अनुभव (Major Learnings):

1. इन्सिडेंट कमांड सिस्टम (ICS) की भूमिका स्पष्ट हुई और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ व्यावहारिक रूप से समझ में आईं।
2. विभागीय संचार चौनलों (Wireless, WhatsApp, VHF, Ham Radio) की उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया।
3. फील्ड स्तर पर Search–Rescueटीमों की तैनाती समय में सुधार हुआ।
4. स्थानीय प्रशासन एवं समुदाय के मध्य बेहतर समन्वय विकसित हुआ।
5. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपात चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार हेतु SOPपुनर्परिभाषित की गई।
6. ग्राम स्तर पर चेतावनी प्रसारण एवं निकासी अभ्यासों को नियमित रूप से करने की आवश्यकता पहचानी गई।

(ग) सुझाव (Recommendations):

1. सभी विभागों के लिए अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल (Bi-Annual Mock Drills) अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएँ।
2. प्रत्येक मॉक ड्रिल के पश्चात After Action Report (AAR) तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम स्तर पर Community Mock Drillsका आयोजन कर जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।
4. मॉक ड्रिल के दौरान पाई गई कमियों को विभागीय Preparedness Plansमें सम्मिलित किया जाए।
5. SDRFऔर NDRF द्वारा स्थानीय कर्मियों कोSearch, Rescue व Evacuation तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए।

अध्याय–7

प्रतिक्रिया एंव राहत उपाय (Response and Relief Measures)

7.1 राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य–

आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य प्रभावित जनजीवन की सुरक्षा, हानि की न्यूनता तथा सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करना है।प्रतिक्रिया एवं राहत कार्यों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- प्रभावित जनसंख्या को तात्कालिक राहत एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करना।
- आवश्यक सेवाओं (बिजली, जल, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य आदि) की शीघ्र पुनर्बहाली सुनिश्चित करना।

7.2 प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs)

आपदा के तुरंत उपरांत जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभिक आकलन दल (Rapid Assessment Teams) गठित किए जाते हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में जाकर –

- जनहानि एवं पशुहानि,
- बुनियादी ढाँचों (सड़क, पुल, जलापूर्ति, विद्युत आदि) की क्षति,
- राहत एवं पुनर्वास की तात्कालिक आवश्यकताओं का आकलन करते हैं।
- संग्रहित सूचना को एकीकृत प्रारूप में संकलित कर जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को प्रेषित किया जाता है।

7.2.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs)

7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart)– प्रतिक्रिया प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट पूर्व निर्धारित SOPके अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें चेतावनी प्राप्ति से लेकर राहत वितरण तक की समस्त क्रियाओं की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से अंकित रहती हैं।

प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart):

आपदा घटित होना (Disaster Occurrence)

↓

सूचना प्राप्ति (Information Received)
ग्राम स्तर / वार्ड स्तर / संस्थान / नागरिक द्वारा

↓

त्वरित सूचना संप्रेषण (Immediate Information Transmission)
तहसील स्तर पर राजस्व उपनिरीक्षक / पटवारी / थाना / बीट अधिकारी द्वारा

↓

तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (TDMA)
घटना की पुष्टि एवं प्राथमिक आंकलन
प्रारंभिक राहत टीम की तैनाती

↓

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
जिलाधिकारी को रिपोर्ट
संबंधित विभागों को सतर्क किया जाता है

↓

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) सक्रिय

Incident Commanderनियुक्त
नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र सक्रिय

⬇

विभागीय प्रतिक्रिया (Departmental Response)
स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, PWD, Jal Sansthan, विद्युत विभाग आदि

⬇

राहत, बचाव एवं चिकित्सा कार्य प्रारंभ
NDRF / SDRF / QRTटीमों की तैनाती

⬇

त्वरित मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग
क्षति आंकलन, राहत आवश्यकताएँ

⬇

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सूचना
यदि स्थिति जिला सीमा से अधिक हो

7.1.3 चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert)– आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।जनपद में संभावित आपदाओं के तत्पर प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों को योजना अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा ढॉचागत व्यवस्था सुदृढ किया जाएगा। जिसके तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (A) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की योजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22 (2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्रविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार जनपद में आपताकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग, उत्तराखण्ड जल विधुत निगम, एवं सी0डब्लू0सी0 से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा।

मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वट्सएप के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

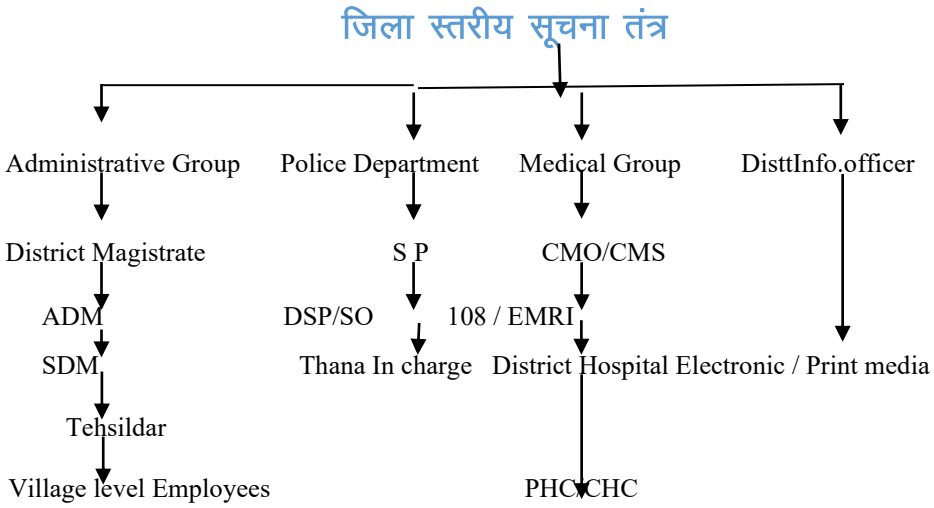

- मौसम विभाग, CWC, IMD, NIDM तथा SDRF से प्राप्त सूचनाएँ तत्काल संबंधित विभागों एवं समुदायों तक प्रेषित की जाती हैं।
- ग्राम स्तर तक चेतावनी प्रसारण हेतु SMS, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है।
- चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात निगरानी दल एवं आपदा प्रतिक्रिया बलों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है।

7.1.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक

आपदा या चेतावनी की स्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह (DCMG) की आपात बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। इस समूह का दायित्व राहत, बचाव एवं संसाधन वितरण की समन्वित रणनीति बनाना होता है। सभी प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी इस बैठक में भाग लेते हैं, तथा निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

7.1.5 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण– आपदा की स्थिति में जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को 24×7 संचालन हेतु सक्रिय किया जाता है। EOC सूचना के आदान–प्रदान, स्थिति मूल्यांकन, विभागीय समन्वय, मीडिया प्रबंधन एवं राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी का केंद्रीय बिंदु होता है। यह केंद्र जिला नियंत्रण कक्षों, तहसीलों, ब्लॉकों एवं राज्य EOC के साथ समन्वय बनाए रखता है।

7.1.6 संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization)– आपदा की स्थिति में सभी विभागों के उपलब्ध संसाधनों (वाहन, मानव संसाधन, उपकरण, राहत सामग्री, चिकित्सा दल आदि) को शीघ्र संचालित किया जाता है।

- जिला प्रशासन प्रत्येक विभाग से अद्यतन संसाधन सूची (Resource Inventory)प्राप्त करता है।
- SDRF, NDRF एवं अन्य एजेंसियों की सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त की जाती है।
- सभी राहत सामग्री का भंडारण एवं वितरण पूर्व निर्धारित लॉजिस्टिक प्लान के अनुसार किया जाता है।

7.1.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance)

भारी आपदाओं की स्थिति में राज्य मुख्यालय, सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF, NGOs एवं अन्य सहायता एजेंसियों से सहयोग प्राप्त किया जाता है।बाहरी सहायता के समन्वय हेतु एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7.1.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल (Psycho -Social Care of Affected Population)– आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक, सामाजिक एवं सामुदायिक सहयोग प्रदान करना राहत प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

- प्रशिक्षित काउंसलर, समाजसेवी संस्थाएँ एवं स्वयंसेवी संगठन इस कार्य में सम्मिलित किए जाते हैं।
- महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए विशेष परामर्श एवं पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

7.1.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report)

आपदा की घटना के 24 से 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट में जनहानि, क्षति, राहत आवश्यकताएँ, तथा प्रारंभिक अनुशंसाएँ सम्मिलित होती हैं।

7.1.10 मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार (Media Management/Coordination/Information Dissemination)

- मीडिया के माध्यम से केवल सत्यापित और प्रमाणित सूचनाएँ प्रसारित की जाती हैं।
- जिला सूचना अधिकारी मीडिया समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- गलत सूचनाओं एवं अफवाहों को रोकने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली अपनाई जाती है।
- सोशल मीडिया पर क्कड। के अधिकृत हैंडल से नियमित अपडेट जारी किए जाते हैं।

7.1.11 एसओपी (SOPs) का विकास– प्रत्येक विभाग अपनी कार्यदृभूमिका के अनुरूप SOP तैयार करता है, जिसमें आपदादृपूर्व, दौरान एवं पश्चात की कार्यवाहियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं।इन SOPsका वार्षिक अद्यतन अनिवार्य है।

7.1.12 रिपोर्टिंग (Reporting)

- राहत एवं प्रतिक्रिया कार्यों की दैनिक स्थिति रिपोर्ट (SITREP) संबंधित प्राधिकरण को भेजी जाती है।
- सभी विभाग अपने–अपने नियंत्रण कक्षों से DDMA को नियमित अपडेट प्रदान करते हैं।

7.3 आपदाओं के स्तर– आपदाओं को उनकी गंभीरता, प्रभावित क्षेत्र एवं संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है –

•स्तर–I (स्थानीय स्तर की आपदा): स्थानीय संसाधनों से नियंत्रित।
• स्तर–II (जिला स्तर की आपदा): जिला स्तर पर बहु–विभागीय प्रतिक्रिया आवश्यक।
• स्तर–III (राज्य / राष्ट्रीय स्तर की आपदा): राज्य अथवा राष्ट्रीय संसाधनों की आवश्यकता।

7.4 जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsbility Matrix)का विकास

7.4.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लि, जिम्मेदारी मैट्रिक्स– भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, अग्निकांड, सड़क दुर्घटना आदि प्रमुख खतरों के लिए विभागवार जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं।

7.4.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix)जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती– ऐसी आपदाएँ जिनकी पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती (जैसे भूकंप), उनके लिए विभागों को तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सशक्त किया गया है।

7.5 आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व

तालिका–7.1

क्रम	कार्य	प्रमुख उत्तरदायी विभाग / एजेंसी
1	पूर्व चेतावनी मिलने पर कार्यवाही	DDMA, पुलिस, राजस्व, SDRF
2	आपदा प्रतिवादन का सक्रियकरण	जिलाधिकारी, EOC
3	राहत शिविर स्थापना एवं प्रबंधन	राजस्व, आपदा प्रबंधन, पंचायत विभाग
4	खोज एवं बचाव कार्य	पुलिस, SDRF, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग
5	चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार	CMO, स्वास्थ्य विभाग
6	राहत सामग्री वितरण	जिला आपूर्ति अधिकारी, BDO
7	क्षति आंकलन	राजस्व, PWD, विद्युत, जल संस्थान
8	अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग	DDMA, सूचना विभाग
9	पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास	CDO, PWD, ग्रामीण विकास विभाग

7.6 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System(IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण

तालिका–7.2

क्रम	अधिकारी का नाम	पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष, DDMA	समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	कानून एवं व्यवस्था, यातायात नियंत्रण
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ
5	अधिशासी अभियंता (जल संस्थान)	सदस्य	पेयजल आपूर्ति बहाली
6	अधिशासी अभियंता (विद्युत)	सदस्य	विद्युत आपूर्ति बहाली
7	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी	सदस्य सचिव	समन्वय, रिपोर्टिंग एवं संसाधन प्रबंधन

7.7 तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System (IRS)में नामित अधिकारियों का विवरण

तालिका–7.3

क्रम	अधिकारी का नाम	पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष, TDMA	तहसील स्तर पर नियंत्रण एवं समन्वय
2	तहसीलदार	सदस्य	राहत वितरण एवं राजस्व आकलन
3	खंड विकास अधिकारी	सदस्य	ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय
4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
5	थाना प्रभारी	सदस्य	सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था
6	आपदा प्रबंधन सहायक	सदस्य सचिव	दैनिक रिपोर्टिंग एवं फील्ड समन्वय

Incident Response System (IRS)में नामित अधिकारियों का विवरण) Annexure–7) में संलग्न है।

S.no	IRS Position	Designation of Officers	Name Of Officer	Mob. Number	Landline Number	Fax Number
1	Responsible Officer(RO) DM	DM	Smt. Nitika Khandelwal	9412078080	01376-232092 (O) 01376-232040 (R)	01376-232233
2	Incident Commander (IC) CDO	CDO	Smt. Varuna Agarwal	9412018088	01376-232603	01376-232162
3	Deputy Incident Commander(DIC) SSP/SP	SSP/SP	Mr. Ayush Agrawal	9411114544	01376-232162(O) 01376-232399(R)	-
4	Information & Media Officer(IMO)	DIO Information	Smt. Dravinita Sharma	7060154005	01376-232053	-
5	Liaison Officer (LO) DDO & DDMO	DDO	Mr. Mohammad Aslam	9411167370	01376-233907	-
		DDMO	Mr. Brijesh Bhatt	9411399080	01376-234793	
6	Safety Office(SO) SDM & Chief Fire Officer(supported by MNA Nagarnigam / EO Nagarpalika and Health deptt)	SDM	Mr. Snehil Kuwar	9258253007	01376-232520	-
		Chief Fire Officer	Mr. Sanjeeva Kumar	9690136666	01379-254052	-
7	Nodal Officer, Air Operation (NO) ADM (supported by SE PWD & DDMO)	ADM	Mr. Awadesh Kumar Singh	9456141333	01376-233992	-
8	Operation Section Chief (OSC) SSP/SP	SSP/SP	Mr. Ayush Agrawal	9411114544	01376-232162(O) 01376-232399(R)	-
9	Planning Section Chief (PSC) CDO supported by- (DDO)	CDO	Smt. Varuna Agarwal	9412018088	01376-232603	01376-232162
10	Logistic Section Chief (LSC) ADM (supported by Superintendent Engineer(SE) PWD District administration)	ADM	Mr. Awadesh Kumar Singh	9456141333	01376-233992	-

11	**Staging Area Manager(SAM)** **(SDM)** (supported by Deputy Superintendent of Police (DySP) HQ, Deputy Chief Medical Officer (Dy CMO), Deputy Chief Veterinary Officer (Dy CVO), District Supply Officer)	SDM	Mr. Snehil Kuwar	9258253007	01376-232520	-
12	**Rescue & Response Branch Director (RRBD)** **SDM** (supported by Wireless Officer/ Fire and Emergency Services/ Forest/Health and Family Welfare/SDRF/Red Cross/ Bharat Scout Guide/ Aapda Mitra/NCC/NSS)	SDM	Mr. Snehil Kuwar	9258253007	01376-232520	-
13	**Transport Branch (Road, Rail.Water & Air Unit)** **Director(TBD)** **RTO** (supported by ARTO Admin)	RTO	Mr. Satender Raj	9412153269	01376-233623	-
14	**Situation Unit Leader (SUL)** **DDO** (supported by DPRO and in charge of local body)	DDO	Mr. Mohammad Aslam	9411167370	01376-233907	-
15	**Resource Unit Leader (RUL)** **DO PRD & DC Homeguard** (supported by DDMO)	DO, PRD	Mr. Pankaj Tiwari	8384831727	01376-234104	-
		DC, HG	Mr. Chandrakant Bisht	9412127922	01378-227270	-
16	**Documentation Unit Leader (DUL)** **DSTO** (supported by DDMO/ GIS analyst)	DSTO	Smt. Sakshi Sharma	8439352335	01376-232070	-
17	**Demobilization Unit Leader(DeUL)** **DPRO**	DPRO	Mr. M.M Khan	9412028718	01378-227263	-

18	**Service Branch Director (SBD)** **DSO** (supported by PWD)	DSO	Mr. Manoj Dobhal	9568336947	01376-232160	-
19	**Communication Unit Leader (CUL)**	DIO-NIC	Smt. Kusum	8295031139	01376-232053	-
		DGM BSNL	Mr. Anil Kumar	9418043666	01376-234004	-
		Radio Officer	Mr. Jitender Bhandari	9411331667	01376-232224	-
		Fire Officer	Mr. Shankar Chand Ramola	8279964730	01376-233611	-
20	**Medical Unit Leader (MUL)** **CMO/CVO**	CMO	Dr. Shyam Vijay	7302256201	01376-232093	-
		CVO	Mr. D.K Sharma	9412995823	01378-227296	-
21	**Food Unit Leader(FUL)** **DSO**	DSO	Mr. Manoj Dobhal	9568336947	01376-232160	-
22	**Support Branch Director (SuBD)** **Chief Education Officer**(supported by DPO-ICDS)	CEO	Mr. V.P. Singh	9412139508	01378-227244	-
23	**Resource Provisioning** **Unit Leader (RPUL)** **EE, PWD** (supported by GIS analyst)	EE-PWD	Mr. Yogesh Kumar	8171972219	01376-233312	-
24	**Facilities Unit Leader(FaUL)** **EE, PWD** (supported by GIS analyst)	EE-PWD	Mr. Yogesh Kumar	8171972219	01376-233312	-
25	**Ground Support Unit Leader(GSUL)** **ARTO/DSO**	ARTO	Mr. Satender Raj	9412153269	01376-233623	-
		DSO	Mr. Manoj Dobhal	9568336947	01376-232160	-
26	**Finance Branch Director (FBD) STO**	STO	Mr. Manoj Pandey	9873480716	01376-232237	
27	**Time, Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL)** **Treasury Officer** (supported by Officer in Charge; Bills assisted by Treasury & Audit staff)	TO/ATO	Mis Anjali Bharti	9354854350	01376-232237	-
	Compensation/ Claim Unit Leader(CCUL) **ADM** (supported by SDM Sadar)	ADM	Mr. Awadesh Kumar Singh	9456141333	01376-233992	-

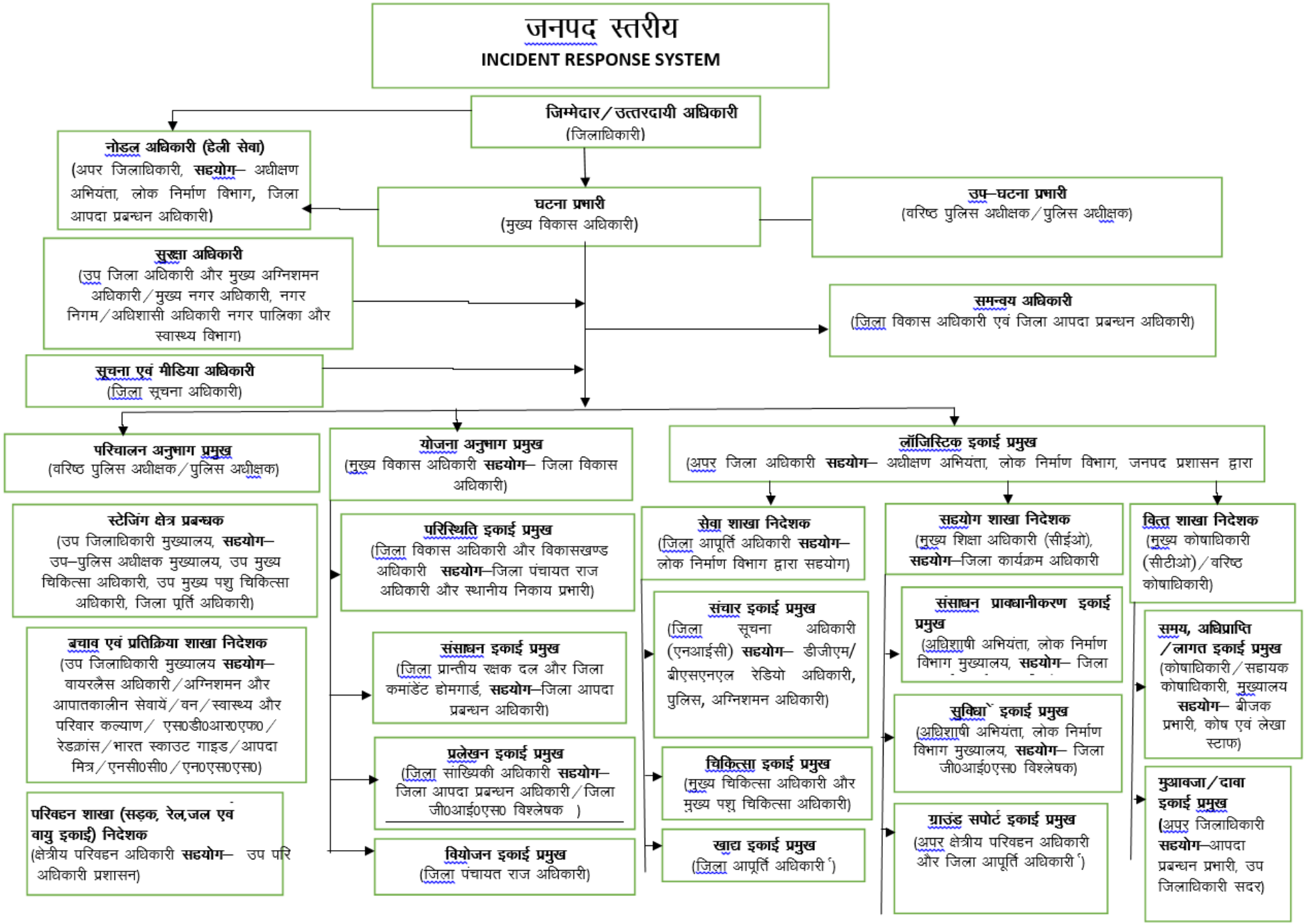
जनपद स्तरीय
INCIDENT RESPONSE SYSTEM
जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी
(जिलाधिकारी)
नोडल अधिकारी (हेली सेवा)
(अपर जिलाधिकारी, सहयोग– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
घटना प्रभारी
(मुख्य विकास अधिकारी)
उप–घटना प्रभारी
(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)
सुरक्षा अधिकारी
(उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग)
समन्वय अधिकारी
(जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
सूचना एवं मीडिया अधिकारी
(जिला सूचना अधिकारी)
परिचालन अनुभाग प्रमुख
(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)
योजना अनुभाग प्रमुख
(मुख्य विकास अधिकारी सहयोग– जिला विकास अधिकारी)
लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख
(अपर जिला अधिकारी सहयोग– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन द्वारा
स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक
(उप जिलाधिकारी मुख्यालय, सहयोग– उप–पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी)
परिस्थिति इकाई प्रमुख
(जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी सहयोग–जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी)
सेवा शाखा निदेशक
(जिला आपूर्ति अधिकारी सहयोग– लोक निर्माण विभाग द्वारा सहयोग)
सहयोग शाखा निदेशक
(मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), सहयोग–जिला कार्यक्रम अधिकारी
वित्त शाखा निदेशक
(मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ)/वरिष्ठ कोषाधिकारी)
बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक
(उप जिलाधिकारी मुख्यालय सहयोग– वायरलैस अधिकारी/अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें/वन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/ एस0डी0आर0एफ0/ रेडक्रांस/भारत स्काउट गाइड/आपदा मित्र/एनसी0सी0/एन0एस0एस0)
संसाधन इकाई प्रमुख
(जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहयोग–जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
संचार इकाई प्रमुख
(जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) सहयोग– डीजीएम/ बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी)
संसाधन प्राक्धानीकरण इकाई प्रमुख
(अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग– जिला
समय, अधिप्राप्ति /लागत इकाई प्रमुख
(कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय सहयोग– बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ)
परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं वायु इकाई) निदेशक
(क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहयोग– उप परि अधिकारी प्रशासन)
प्रलेखन इकाई प्रमुख
(जिला सांख्यिकी अधिकारी सहयोग– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)
चिकित्सा इकाई प्रमुख
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी)
सुविधा इकाई प्रमुख
(अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग– जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)
मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख
(अपर जिलाधिकारी सहयोग–आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर)
वियोजन इकाई प्रमुख
(जिला पंचायत राज अधिकारी)
खाद्य इकाई प्रमुख
(जिला आपूर्ति अधिकारी)
ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख
(अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी)

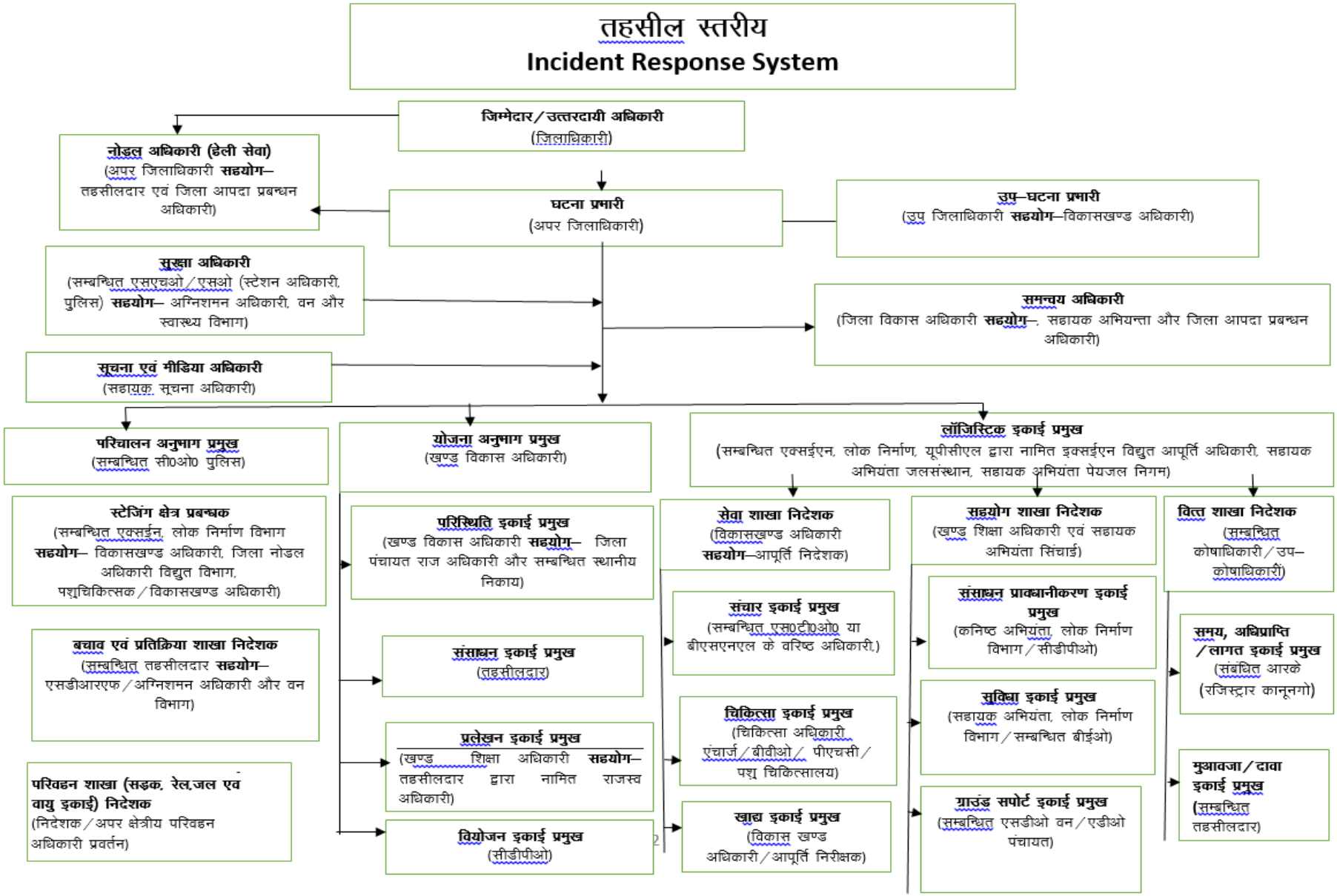
तहसील स्तरीय
Incident Response System
जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी
(जिलाधिकारी)
नोडल अधिकारी (हेली सेवा)
(अपर जिलाधिकारी सहयोग–
तहसीलदार एवं जिला आपदा प्रबन्धन
अधिकारी)
घटना प्रभारी
(अपर जिलाधिकारी)
उप–घटना प्रभारी
(उप जिलाधिकारी सहयोग–विकासखण्ड अधिकारी)
सुरक्षा अधिकारी
(सम्बन्धित एसएचओ/एसओ (स्टेशन अधिकारी,
पुलिस) सहयोग– अग्निशमन अधिकारी, वन और
स्वास्थ्य विभाग)
समन्वय अधिकारी
(जिला विकास अधिकारी सहयोग–, सहायक अभियन्ता और जिला आपदा प्रबन्धन
अधिकारी)
सूचना एवं मीडिया अधिकारी
(सहायक सूचना अधिकारी)
परिचालन अनुभाग प्रमुख
(सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस)
योजना अनुभाग प्रमुख
(खण्ड विकास अधिकारी)
लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी, सहायक
अभियंता जलसंस्थान, सहायक अभियंता पेयजल निगम)
स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक
(सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग
सहयोग– विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल
अधिकारी विद्युत विभाग,
पशुचिकित्सक/विकासखण्ड अधिकारी)
परिस्थिति इकाई प्रमुख
(खण्ड विकास अधिकारी सहयोग– जिला
पंचायत राज अधिकारी और सम्बन्धित स्थानीय
निकाय)
सेवा शाखा निदेशक
(विकासखण्ड अधिकारी
सहयोग–आपूर्ति निदेशक)
सहयोग शाखा निदेशक
(खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक
अभियंता सिंचाई)
वित्त शाखा निदेशक
(सम्बन्धित
कोषाधिकारी/उप–
कोषाधिकारी)
बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक
(सम्बन्धित तहसीलदार सहयोग–
एसडीआरएफ/अग्निशमन अधिकारी और वन
विभाग)
संसाधन इकाई प्रमुख
(तहसीलदार)
संचार इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एस0टी0ओ0 या
बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी,)
संसाधन प्राक्कानीकरण इकाई
प्रमुख
(कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण
विभाग/सीडीपीओ)
समय, अधिप्राप्ति
/लागत इकाई प्रमुख
(संबंधित आरके
(रजिस्ट्रार कानूनगो)
प्रलेखन इकाई प्रमुख
(खण्ड शिक्षा अधिकारी सहयोग–
तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व
अधिकारी)
चिकित्सा इकाई प्रमुख
(चिकित्सा अधिकारी
एंचार्ज/बीवीओ/ पीएचसी/
पशु चिकित्सालय)
सुविधा इकाई प्रमुख
(सहायक अभियंता, लोक निर्माण
विभाग/सम्बन्धित बीईओ)
मुआवजा/दावा
इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित
तहसीलदार)
परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं
वायु इकाई) निदेशक
(निदेशक/अपर क्षेत्रीय परिवहन
अधिकारी प्रवर्तन)
वियोजन इकाई प्रमुख
(सीडीपीओ)
खाद्य इकाई प्रमुख
(विकास खण्ड
अधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक)
ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एसडीओ वन/एडीओ
पंचायत)

अध्याय–8

आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय
(Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures)

8.1 परिचय (**Introduction**)–आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं पुनर्प्राप्ति (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery) है। यह चरण न केवल भौतिक अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होता है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य प्रभावित समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पुनः सशक्त बनाना भी होता है, ताकि वे भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीले (Resilient) बन सकें।

आपदा के उपरांत पुनर्प्राप्ति कार्यों का लक्ष्य "सिर्फ पुनः निर्माण नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण" (Build Back Better) करना होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पुनर्वास और विकास की सभी गतिविधियों में जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction), सुरक्षित निर्माण तकनीक, और सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) को प्रमुखता दी जाती है।

इस चरण के अंतर्गत निम्न प्रमुख घटक सम्मिलित हैं –

• क्षतिग्रस्त अवसंरचना, भवनों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण।

• विस्थापित परिवारों एवं प्रभावित जनसंख्या का पुनर्वास।

• आजीविका (Livelihood) का पुनर्स्थापन एवं रोजगार सृजन।

• मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता एवं सामुदायिक पुनर्प्राप्ति।

• आपदा–रोधी निर्माण तकनीकों का अनुपालन और पर्यावरणीय संतुलन।

पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सामान्यतः तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाता है –

1. **अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति** (Short-term Recovery):
   - त्वरित राहत कार्य,
   - अस्थायी आवास की व्यवस्था,
   - पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य एवं संचार सेवाओं की पुनर्बहाली।
2. **मध्यम अवधि की पुनर्प्राप्ति** (Medium&term Recovery):
   - स्थायी आवास निर्माण
   - विद्यालय, अस्पताल एवं सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत,
   - स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का पुनः आरंभ।
3. **दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति** (Long-term Recovery):
   - आपदा–रोधी योजनाओं का संस्थागत समावेश
   - सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्संरचना,
   - सामुदायिक लचीलापन (Community Resilience) का सुदृढ़ीकरण।

पुनर्निर्माण और पुनर्वास की यह प्रक्रिया विकास की निरंतरता से जुड़ी हुई है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावित क्षेत्र न केवल पहले जैसी स्थिति में लौटें, बल्कि अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आपदा–प्रतिरोधी स्वरूप में विकसित हों।इस प्रकार, पुनर्प्राप्ति चरण आपदा से अवसर की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है–"आपदा से विकास तक" (From Disaster to Development) की दिशा में एक सशक्त कदम।

8.2 पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण–आपदा के उपरान्त समितियों/विभागोंसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों(तालिका 8.1)द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो काविभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- जनहानि क्षति आंकलन
- पशुधन क्षति आंकलन

- सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

8.3 पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व–आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

लघु अवधि पुनर्निर्माण कार्य योजना) Annexure–7) संलग्न है।

8.4 क्षति आंकलन प्रक्रिया– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.5 लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य– आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु तालिका–8. 1 में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

●**मुफ्त खाद्यान्न का वितरण** :प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

●**राहत वितरण** : क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

●**क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण** : संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुर्नस्थापना/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुर्नस्थापना करेंगे, तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

●**महामारी की रोकथाम** : आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

●**जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था** : जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

8.6 दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां– दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा।

जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधी संरचनात्मक कार्ययोजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

अध्याय–9

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था
(Financial Resources For Implementation of DDMP

9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ –

अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गयी है। यह अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर निम्नलिखित शुल्क बनाए जाएँ–

1. राज्य आपदा उत्तरण शुल्क (State Disaster Response Fund - SDRF)
2. राज्य आपदा घटना शुल्क (State Disaster Mitigation Fund)
3. जिला आपदा उत्तरण शुल्क (District Disaster Response Fund - DDRF)
4. जिला आपदा घटना शुल्क (District Disaster Mitigation Fund)

इन निधियों का उपयोग आपातकालीन राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में किया जाता है। जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष के रूप में, इन निधियों के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष–अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों–

आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों हेतु वित्तीय सहायता

क्र.स.	आपदा प्रबंधन का चरण	उद्देश्य / विवरण	वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था
1	रोकथाम (Prevention)	आपदा की संभावनाओं को कम करने एवं जोखिम घटाने के लिए दीर्घकालिक उपाय	गृह मंत्रालय, भारत सरकार / राज्य सरकार
2	तैयारी (Preparedness)	संस्थागत एवं सामुदायिक तैयारियों को सशक्त बनाना, प्रशिक्षण एवं संसाधन जुटाना	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) / जिला प्राधिकरण (DDMA)
3	प्रतिक्रिया (Response)	आपदा के समय त्वरित बचाव, राहत एवं समन्वय कार्य	राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन कोष (NDRF / SDRF)
4	पुनर्प्राप्ति (Recovery)	आपदा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करना एवं प्रभावित क्षेत्रों में सहायता	राज्य सरकार / संबंधित विभाग
5	शमन (Mitigation)	दीर्घकालिक संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों के माध्यम से भविष्य की आपदाओं का जोखिम घटाना	SDMA / NDMA / विभिन्न मंत्रालय एवं योजनाएँ

इन निधियों का प्रबंधन भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा किया जाता है।

9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ–

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे –

- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- जल संस्थान एवं जल निगम
- ऊर्जा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- कृषि एवं पशुपालन विभाग
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विभाग

इन सभी विभागों को अपने–अपने वार्षिक बजट (Annual Budget) में आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रावधान (Dedicated Budgetary Provision) रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विभाग को Departmental Disaster Management Plan (DDMP) तैयार कर उसे क्रियान्वित करने हेतु निधि का उपयोग करना होता है।

9.4 तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno– Financial Regime)–
राज्य स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन हेतु निम्न व्यवस्था लागू है –

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए राज्य योजना आयोग (State Planning Commission) एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन।
- प्रमुख पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्वीकृति।
- जिला स्तर की योजनाओं के लिए DDMA को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक योजना के लिए तकनीकी परीक्षण (Technical Vetting) एवं वित्तीय मूल्यांकन (Financial Appraisal) किया जाता है, जिससे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प– आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए निम्न अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों का भी उपयोग किया जा सकता है –

- राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS / State Schemes) जैसे– SDRF, NDRF, MGNREGA, PMGSY, PMAY, NRHM आदि।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड्स कृ निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा।
- अंतरराष्ट्रीय सहायता (International Aid) कृ विश्व बैंक, ADB, UNDP, NDMA या अन्य एजेंसियों से।
- सामुदायिक भागीदारी एवं NGO योगदान – स्थानीय संस्थाओं द्वारा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में सहभागिता।
- पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के अंतर्गत अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण परियोजनाएँ।

प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत राहत सहायता की पुनरीक्षित दरों का विवरण– (वित्तीय वर्ष 2023–24 से 25–26 तक)

जिला कार्यालय – जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्राप्त धनराशि एवं व्यय (वित्तीय वर्ष 2024–2025) का विवरण।

क्र.सं.	अनुदान मद का नाम	गत वर्ष का अवशेष	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त कुल धनराशि (करोड़ में)	योग (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल व्यय (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष (करोड़ में)
1	राज्य आपदा मोचन निधि	-	**31.00**	**31.00**	**25.3950027**	**5.6049973**
2	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	-	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**
3	आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निमाण	-	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना।

क्र.स.	अनुदान मद का नाम	लेखा शीर्षक का नाम	मानक मद	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	28 फरवरी 2026 तक कुल वास्तविक व्यय (करोड़ में)
1.	06	2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष–101–आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0–02–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय		23.00	20.92

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना।

क्र.सं.	अनुदान मद का नाम	गत वर्ष का अवशेष	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त कुल धनराशि (करोड़ में)	योग (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल व्यय (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष (करोड़ में)
1	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	-	**2.00**	**2.00**	**1.50**	**0.50**
2	आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निमाण	-	**2.00**	**2.00**	**1.50**	**0.50**

अध्याय–10

डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली
(Procedure And Methodology For Monitoring Evaluation, Updation And Maintenance)

10.1 परिचय–

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक जीवंत, गतिशील और उत्तरदायी दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य आपदाओं के दौरान प्रभावी, संगठित और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। समय के साथ जनसंख्या, अवसंरचना, भौगोलिक परिस्थिति, तकनीकी संसाधन और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए DDMP को नियमित रूप से अद्यतन (Updation), मूल्यांकन (Evaluation) तथा रखरखाव (Maintenance) की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, ताकि यह दस्तावेज सदैव प्रासंगिक एवं प्रभावी बना रहे।

10.2 डीडीएमपी को रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) DDMP के रखरखाव और समय–समय पर समीक्षा का प्रमुख दायित्व वहन करता है।
इस हेतु निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं –

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में DDMP की वार्षिक समीक्षा एवं संशोधन।
- विभागीय योजनाओं, जोखिम आंकलन, संसाधनों एवं अवसंरचना में हुए परिवर्तनों का समावेश।
- DDMA द्वारा संशोधित योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- समीक्षा प्रक्रिया में सभी विभागों, अर्ध–सरकारी संस्थानों एवं समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

10.3 डीडीएमपी की उचित निगरानी और मूल्यांकन–

DDMP के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमित मूल्यांकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है।इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख पहलू सम्मिलित हैं –

1. **प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन:** आपातकालीन स्थिति में योजना की व्यवहारिक उपयोगिता का परीक्षण।
2. **संस्थागत समन्वय का विश्लेषण:** विभागों, एजेंसियों एवं हितधारकों के बीच समन्वय स्तर की समीक्षा।
3. **संसाधन तत्परता का परीक्षण:** उपकरणों, मानव संसाधनों एवं संचार प्रणाली की स्थिति का आकलन।
4. **सामुदायिक सहभागिता:** प्रशिक्षण, जन–जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल के प्रभाव का विश्लेषण।

10.4 डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र–

आपदा के बाद वास्तविक परिस्थितियों में योजना की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाता है।

- प्रत्येक बड़ी आपदा के उपरांत DDMA द्वारा एक Post–Disaster Evaluation Report(PDER) तैयार की जाती है।
- इस रिपोर्ट में राहत, बचाव, पुनर्प्राप्ति एवं समन्वय प्रयासों की समीक्षा की जाती है।
- रिपोर्ट के निष्कर्षों को योजना के आगामी संस्करण में समाहित किया जाता है, जिससे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- मूल्यांकन के परिणामों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के साथ साझा किया जाता है।

10.5 डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची–DDMP को वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत –

- विभागों से नवीनतम संसाधन विवरण (त्मेवनतबम प्दअमदजवतल)प्राप्त किया जाता है।
- आपदा प्रवृत्तियों, जनसंख्या आंकड़ों एवं जोखिम क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को समाहित किया जाता है।
- संशोधित DDMP को डिजिटल एवं मुद्रित रूप में वितरित किया जाता है।

10.6 डीडीएमए,/एसडीएमए, वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना–

DDMP का नवीनतम संस्करण DDMA एवं SDMA की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

- योजना का डिजिटल संस्करण जनसुलभ बनाया जाता है, जिससे नागरिक, विभाग एवं संस्थान इसे देख सकें।
- प्रत्येक संस्करण पर संशोधन तिथि, संस्करण संख्या एवं अनुमोदन विवरण अंकित किया जाता है।

10.7 मॉक ड्रिल का आयोजन–

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं (भूकंप, बाढ़, आग, भूस्खलन आदि) हेतु वार्षिक मॉक ड्रिल कैलेंडर तैयार किया जाता है।
- प्रत्येक मॉक ड्रिल के उपरांत "After Action Report (AAR)" तैयार की जाती है, जिसमें सीखे गए सबक, कमियाँ और सुधारात्मक सुझाव दर्ज होते हैं।
- इन रिपोर्टों के आधार पर DDMP में संशोधन किया जाता है ताकि व्यवहारिकता और दक्षता में सुधार हो।

10.7.1 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष–

- जिला प्रशासन एवं DDMA
- पुलिस विभाग
- अग्निशमन सेवा
- स्वास्थ्य विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- शिक्षा विभाग
- एस.डी.आर.एफ / एन.डी.आर.एफ / रेडक्रॉस
- स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं समुदाय प्रतिनिधि

10.7.2 ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम –

आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविक प्रभावशीलता का परीक्षण केवल सैद्धांतिक अभ्यास से नहीं, बल्कि मैदान–स्तरीय मॉक ड्रिलों के माध्यम से किया जा सकता है। मॉक ड्रिल से विभागों, एजेंसियों तथा समुदायों की तत्परता, समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन किया जाता है।

मॉक ड्रिल आयोजित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. **योजना निर्माण (Planning Phase):**
   - प्रत्येक मॉक ड्रिल से पूर्व एक विस्तृत ड्रिल प्लान तैयार किया जाता है।
   - इसमें आपदा परिदृश्य (Scenario), संभावित प्रभावित क्षेत्र, भाग लेने वाले विभाग, समय, दायित्व एवं समन्वय बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित किए जाते हैं।
2. **पूर्व तैयारी (Pre-Drill Preparation):**
   - संबंधित विभागों, संस्थानों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं अन्य हितधारकों को सूचित किया जाता है।
   - आवश्यक उपकरण, संचार माध्यम, प्राथमिक उपचार सामग्री एवं निकासी मार्गों की जांच की जाती है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आयोजित मॉकड्रिल कार्याक्रमों का विवरणः–

क्र.सं.	दिनांक	विद्यालय का नाम	अनुमानित उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों/ कार्मिकों एवं अन्य की संख्या
01	18.10.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय कांगडा	75
02	19.10.2024	रा0 बा0 ई0 कालेज घंसाली	109
03	08.11.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय लसियाल गॉव	71
04	09.11.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय कठैती बासर	48
05	11.11.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय मेड	95
06	13.11.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय निवाल गॉव	58
कुल विद्यालय 06		योग	456

क.सं.	दिनांक	विद्यालय का नाम	अनुमानित उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों/ कार्मिकों एवं अन्य की संख्या
01	17.12.2024	रा0 ई0 का0 लम्बगॉव	221
02	18.12.2024	रा0 ई0 का0 दीनगॉव	348
03	19.12.2024	रा0 ई0 का0 गरवाणगॉव	324
04	23.12.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालयमोटणा	42
05	24.12.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय भैंगा	78
06	26.12.2024	रा0 बा0 ई0 का0 लम्बगॉव	124
07	27.12.2024	रा0 ई0 का0 कडियालगॉव	263
08	30.12.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालयझांझरधार	132
09	31.12.2024	रा0उ0 माध्यमिक विद्यालय मुखमालगॉव	105
कुल विद्यालय 09योग			1637

क.सं.	दिनांक	विद्यालय का नाम	अनुमानित उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों/ कार्मिकों एवं अन्य की संख्या
01	22.04.2025	रा0 ई0 का0 ओखलाखाल	120
02	23.04.2025	रा0 ई0 का0 गालुडधार	68
03	25.04.2025	रा0 ई0 का0 मिश्रवाणगॉव	45
04	26.04.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय पणसूत सुकी	25
05	05.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय झिंवाली	48
06	06.05.2025	रा0 ई0 का0 प्रतापनगर	158
07	07.05.2025	रा0 ई0 का0 थापला	162
08	09.5.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय पिलानीधार	65
09	10.05.2025	रा0 ई0 का0 सिलारी	254
10	15.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय ओनालगॉव	62
11	17.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय कोरदी	125
12	19.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय सौन्दी	119
13	22.05.2025	रा0 ई0 का0 गलियाखेत	198
14	23.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक कोटालगॉव	185
15	26.05.2025	रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय बैल्डोगी	58
कुल विद्यालय 15		योग	1692

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढवाल द्वारा वर्ष 2023–24 से 2025–26 दिसम्बर तक प्रदान किये गये प्रशिक्षणों का माहवार विवरण –

क्र0	माह	प्रशिक्षणों की संख्या
1	अक्टूबर2023	15
2	नवम्बर2023	16
3	दिसम्बर2023	08
4	जनवरी 2024	03
5	फरवरी 2024	04
6	मार्च 2024	02
7	अप्रैल 2024	03
8	मई 2024	02
9	जून 2024	01
10	जुलाई 2024	01
11	अगस्त 2024	01

12	सितम्बर 2024	13
13	अक्टूबर 2024	10
14	नवम्बर 2024	19
15	दिसम्बर 2024	09
16	जनवरी 2025	02
17	फरवरी 2025	09
18	मार्च 2025	01
19	अप्रैल 2025	04
20	मई 2025	12
21	जून 2025	02
22	जुलाई 2025	01
23	अगस्त 2025	12
24	सितम्बर 2025	02
25	अक्टूबर 2025	08
26	नवम्बर 2025	02
27	दिसम्बर 2025	18
28	जनवरी 2026	07
	फरवरी 2026	07
कुल योग 28/02/2026 तक		194

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढवाल द्वारा वर्ष 2023–24 से दिसम्बर 2025 तक प्रदान किये गये मॉक ड्रिल का माहवार विवरण–वर्ष 2023–24 , 2024–25,

क्र.सं.	माह	मॉक ड्रिलों की संख्या
1	19 जनवरी, 2023	01
2	16 फरवरी, 2023	01
3	20 अप्रैल, 2023	01
4	02 व 20 मई, 2024	02
5	07 जून, 2024	01
6	30 जनवरी, 2025	01
7	13 फरवरी, 2025	01
8	06 मार्च, 2025	01
9	04 अक्टूबर, 2025	01
10	11 नवम्बर, 2025	01
11	15 नवम्बर, 2025	01
12	18 फरवरी, 2026	01
13	11 मार्च, 2026	01
कुल योग		14

3. **ड्रिल का आयोजन (Execution Phase):**
   - निर्धारित समय एवं परिदृश्य के अनुसार मॉक ड्रिल प्रारंभ की जाती है।
   - चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर निकासी, बचाव, प्राथमिक उपचार एवं राहत कार्यों का अनुकरण किया जाता है।
   - सभी विभाग अपने–अपने कार्यों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप निभाते हैं।
4. **समीक्षा एवं विश्लेषण (Post-Drill Evaluation):**
   - ड्रिल समाप्त होने के पश्चात एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।
   - प्रत्येक विभाग से उनकी भूमिका, समन्वय, कठिनाइयों एवं सुझावों पर प्रतिवेदन लिया जाता है।
   - एक ड्रिल मूल्यांकन रिपोर्ट (Drill Evaluation Report) तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाती है।
5. **सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective Measures):**
   - मॉक ड्रिल से प्राप्त अनुभवों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।
   - प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले कार्मिकों की पहचान कर उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जाता है।
   - उपकरण, संचार या समन्वय में पाई गई कमियों को दूर किया जाता है।

10.8 निगरानी और अंतराल मूल्यांकन–

- योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु DDMA त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
- विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा कर, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (Annual Progress Report) तैयार की जाती है।
- आवश्यकता पड़ने पर, स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा बाह्य मूल्यांकन (External Evaluation) कराया जाता है।
- मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर योजना में आवश्यक नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार सम्मिलित किए जाते हैं।

अध्याय– 11

डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

(Coordination Mechanism for Implementation of DDMP)-

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक सशक्त, सुव्यवस्थित एवं बहु–स्तरीय समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism) की आवश्यकता होती है। यह तंत्र जिला प्रशासन, विभागों, एजेंसियों, सामुदायिक संगठनों तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों के बीच तालमेल, दायित्वों के विभाजन और सूचना प्रवाह को सुनिश्चित करता है।

11.1 अंतर–विभागीय समन्वयः (Inter&Departmental Coordination)–

- DDMA के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) के अधीन एक जिला आपदा प्रबंधन समन्वय समिति (District Disaster Coordination Committee) कार्य करती है।
- इस समिति में सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी जैसे स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत, शिक्षा, वन, परिवहन आदि सम्मिलित होते हैं।
- आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा उपरांत चरणों में इन विभागों के बीच सूचना साझा करना, संसाधनों का उपयोग तथा संयुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाता है।

11.2 विकासख.ड स्तरीय समन्वय तंत्र– (Block Level Coordination Mechanism)

11.2.1 तहसील स्तरीय समन्वय तंत्र (Tehsil Level Coordination)–

- तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में एक तहसील आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाती है।
- यह समिति स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता, राहत एवं बचाव दलों के समन्वय, तथा ग्राम पंचायतों से सूचना प्राप्त करने का दायित्व निभाती है।

11.2.2 स्थानीय स्तर पर व्यवस्था (Local Level Coordination)–

- प्रत्येक ग्राम पंचायतध्नगर क्षेत्र में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) कार्यरत होती है।
- यह समिति ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, युवाओं तथा स्वयंसेवकों के सहयोग से स्थानीय प्रतिक्रिया एवं प्रारंभिक राहत व्यवस्था संचालित करती है।

11.3 जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली (Coordination with Departments and Training Institutes)

- जनपद के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों जैसे NIM, ITBP, SDRF, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के बीच निरंतर समन्वय रखा जाता है।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा नियमित रूप से संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यास एवं समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

11.4 समुदाय के साथ समन्वय तंत्र (Community Level Coordination Mechanism)–

- आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
- आपदा मित्र (Apda Mitra), स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs), युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा स्थानीय नागरिकों को विभिन्न ड्रिलों, प्रशिक्षणों और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है।

11.5 एनजीओ, सीबीओ, स्वयं सहायता समूहों (सएचजी) के साथ समन्वय तंत्र (Coordination with NGOs] CBOs and SHGs)–

- जनपद स्तर पर कार्यरत गैर–सरकारी संस्थाओं (NGOs), सामुदायिक आधारित संगठनों (CBOs) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सूची DDMA द्वारा संधारित की जाती है।

- आपदा की स्थिति में इन्हें राहत, पुनर्वास एवं जनजागरूकता गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है।
- इनके साथ एक साझा कार्ययोजना एवं संचार तंत्र विकसित किया जाता है।

11.6 अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय (Coordination with Other Districts and State Level Agencies)

- जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA), राजस्व विभाग, तथा पड़ोसी जनपदों के साथ समन्वय के लिए एक सुदृढ़ संचार चौनल स्थापित किया गया है।
- आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार अंतर–जिला सहायता (Inter&District Support) एवं संसाधन साझा व्यवस्था सक्रिय की जाती है।
- राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के साथ सतत संपर्क बनाए रखने हेतु 24×7 नियंत्रण कक्ष (District Control Room) कार्यरत रहता है।

अध्याय–12

मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट

(Standard Operation Procedures and Check list)

आपदा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चरण में मानक संचालन प्रक्रियाएँ(**Standard Operating Procedures–SOPs**) का पालन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग, एजेंसियाँ एवं अधिकारी अपनी भूमिकाओं को पूर्वनिर्धारित एवं समन्वित तरीके से निभाएँ। साथ ही, एक जाँच सूची (Check List) के माध्यम से क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

12.1 पूर्व चेतावनी प्रबंधन– (Early Warning Management)-

- सभी विभागों को पूर्व चेतावनी प्राप्त होते ही सतर्क किया जाए।
- जिला आपात संचालन केंद्र(EOC) को तुरंत सक्रिय किया जाए।
- संबंधित विभागों और ग्राम पंचायतों को सूचना SMS, वॉयरलेस, ई–मेल अथवा अन्य माध्यमों से भेजी जाए।
- मीडिया को सत्यापित सूचना जारी की जाए।

12.2 पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी–

(Actions to be Taken on Receipt of Early Warning)

जब किसी भी आपदा जैसे– भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन, वनाग्नि या महामारी आदि की पूर्व चेतावनी (**Early Warning**) प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा तत्काल समन्वित कार्यवाही (**Prompt Coordinated Action**) प्रारंभ की जाती है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य है–जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुचारू रूप से लागू करना।

1– जिला स्तर पर त्वरित कदम–

- जिला आपात संचालन केंद्र(**EOC**)को तुरंत सक्रिय किया जाता है।
- जिलाधिकारी (अध्यक्ष, **DDMA**) द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाते हैं।
- प्रत्येक विभाग अपने आपातकालीन संचालन कक्ष (म्उमतहमदबल ब्मसस) को सक्रिय करता है।
- संचार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सूचना का प्रवाह अबाधित रहे।
- नियंत्रण कक्ष में लॉग बुक/इवेंट रजिस्टर में सभी प्राप्त सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं।

2–विभागीय समन्वय एवं सूचना प्रसार–

- सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन द्वारा संबंधित तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों को सतर्क किया जाता है।
- सभी विभाग अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से DDMA के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं।
- जनसामान्य तक सूचना पहुँचाने हेतु–
    - मौखिक उद्घोषणा (**Public Announcement System**)
    - **SMS**/व्हाट्सएप अलर्ट
    - पुलिस वायरलेस
    - मीडिया बुलेटिन

- ग्राम प्रधान/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिक्षक के माध्यम से चेतावनी दी जाती है।

3–संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में कार्यवाही–

- चेतावनी मिलने पर खतरे वाले इलाकों में स्थित लोगों की पूर्व निकासी **(Pre-Evacuation)**शुरू की जाती है।
- राहत शिविरों की पहचान एवं तैयारी की जाती है।
- चिकित्सा, परिवहन, जल संस्थान, विद्युत और पुलिस विभाग को फील्ड मोड पर लाया जाता है।
- नदी तट, ढलानों, पुलों और संवेदनशील मार्गों की निगरानी के लिए विशेष दल तैनात किए जाते हैं।

4–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की भूमिका–

- अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा जाता है।
- एम्बुलेंस सेवाओं की तैनाती की जाती है।
- आवश्यक दवाओं, प्राथमिक उपचार सामग्री और रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

5–जनसंचार और जन–जागरूकता गतिविधियॉं–

- प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं स्थानीय नेतृत्व द्वारा जनसाधारण को शांत, सतर्क एवं सहयोगी बने रहने की अपील की जाती है।
- सोशल मीडिया, रेडियो एवं स्थानीय समाचार माध्यमों पर नियमित अपडेट प्रसारित किए जाते हैं।
- गलत या अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

6–फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी–

- तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान अपने क्षेत्रों में तुरंत निरीक्षण करें।
- आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का पूर्व भंडारण **(Pre&positioning)** किया जाए।
- स्कूल भवन, पंचायत घर या अन्य सुरक्षित स्थानों को अस्थायी आश्रय के रूप में तैयार किया जाए।

7–नियंत्रण कक्ष की गतिविधियॉं–

- सभी प्राप्त सूचनाओं का दर्ज एवं सत्यापन किया जाता है।
- जिला स्तर पर संचालित वाहनों, संसाधनों एवं मानव बल की स्थिति का अद्यतन रखा जाता है।
- उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से सिचुएशन रिपोर्ट **(SITREP)**भेजी जाती है।

8–चेतावनी के बाद समीक्षा एवं तैयारियों की रिपोर्टिंग–

- प्रत्येक विभाग अपनी तैयारी की स्थिति की रिपोर्ट **(Preparedness Status)** जिला प्रशासन को भेजता है।
- DDMA द्वारा विभागवार समीक्षा बैठक **(Review Meeting)** आयोजित की जाती है।
- यदि आवश्यक हो तो **SDRF/NDRF**को पूर्व चेतावनी के आधार पर अलर्ट किया जाता है।

पूर्व चेतावनी प्राप्त होते ही प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल प्रतिक्रिया, अधिकतम जनसुरक्षा, और न्यूनतम हानि सुनिश्चित करना होता है। यह प्रक्रिया तभी सफल होती है जब सभी विभाग समय पर सूचना प्राप्त करें, त्वरित कार्रवाई करें और जनसमुदाय को सहभागी बनाएं।

12.3 जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी–
(Actions to be Taken When There is No Prior Warning)-

जब कोई आपदा अचानक घटित होती है कृ जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, आगजनी यासड़क दुर्घटना–और पूर्व चेतावनी प्राप्त नहीं होती, तब जिला प्रशासन द्वारा तत्काल स्थिति के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया (Immediate Response) प्रारंभ की जाती है। इस परिस्थिति में समन्वय, सूचना संप्रेषण, राहत एवं बचाव कार्यों की गति और सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

1. आपात स्थिति की प्रारंभिक सूचना एवं पुष्टि–

- घटना की सूचना मिलते ही जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को सक्रिय किया जाता है।
- घटना की प्रकृति, स्थान, समय और प्रभावित क्षेत्र की तत्काल पुष्टि की जाती है।
- संबंधित तहसील, पुलिस थाने, ग्राम प्रधान या राजस्व उपनिरीक्षक से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है।
- आवश्यकतानुसार SDRF / NDRF / फायर सर्विस को तुरंत अलर्ट किया जाता है।

2. त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया (Immediate Administrative Response)

- जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को ऑन–अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
- जिला आपातकालीन संचालन केंद्र में कंट्रोल रूम सक्रिय कर ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।
- प्रारंभिक नुकसान का आकलन **(Rapid Damage Assessment)** शुरू किया जाता है।
- प्राथमिक राहत, चिकित्सा एवं निकासी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

3. फिल्ड स्तर पर कार्यवाही–

- तहसीलदार / नायब तहसीलदार / राजस्व उपनिरीक्षक घटनास्थल पर तुरंत पहुँचते हैं।
- पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
- ग्राम स्तर पर आपदा मित्र / स्वयंसेवक दल बचाव एवं सहायता में भाग लेते हैं।
- यदि आवश्यक हो, तो निकटवर्ती राहत शिविर / स्कूल भवन / पंचायत घर में प्रभावितों को अस्थायी आश्रय दिया जाता है।

4. राहत एवं बचाव कार्यों की तैनाती–

- SDRF, NDRF, फायर सर्विस, होमगार्ड एवं पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा जाता है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार दल एवं चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।
- विद्युत, जल संस्थान एवं लोक निर्माण विभाग अपने–अपने क्षेत्र में आपूर्ति बहाली कार्य प्रारंभ करते हैं।
- पशुपालन विभाग द्वारा पशुहानि का आकलन एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था की जाती है।

5. सूचना संप्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन–

- नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सभी सूचनाएँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **(SEOC)** एवं अन्य उच्च कार्यालयों को भेजी जाती हैं।
- मीडिया को नियमित रूप से सत्यापित जानकारी **(Verified Information)**प्रदान की जाती है ताकि अफवाहें न फैलें।

• जनसाधारण को प्रशासनिक दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

6. घटना के बाद समीक्षा और रिपोर्टिंग–

- राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी द्वारा आपात बैठक आयोजित की जाती है।
- सभी विभाग अपने–अपने क्षेत्र की घटना रिपोर्ट **(Incident Report)DDMA** को प्रस्तुत करते हैं।
- प्रारंभिक नुकसान का संक्षिप्त विवरण **(Preliminary Damage Report & PDR)** राज्य स्तर पर भेजा जाता है।
- आवश्यकतानुसार दीर्घकालिक पुनर्वास योजना **(Long&Term Rehabilitation Plan)** तैयार की जाती है।

7. समन्वय एवं जनसहभागिता–

- स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs), युवामंडलों, NSS/NCC दलों एवं आपदा मित्रों को राहत कार्यों में सम्मिलित किया जाता है।
- प्रभावित नागरिकों को शांत, सहयोगी एवं सतर्क बने रहने की अपील की जाती है।
- प्रत्येक कार्यवाही में "जीवन रक्षा प्राथमिकता **(Life First Priority)"** सिद्धांत अपनाया जाता है।
  जब कोई पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, तब प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय समन्वय, स्थानीय संसाधनों की तत्परता एवं समुदाय की भागीदारी से ही आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है।

12.4 खोज और बचाव (Search and Rescue Operations)-

किसी भी आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव (Search and Rescue) कार्य सबसे महत्वपूर्ण और समय–संवेदी प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होता है। खोज एवं बचाव कार्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासन, आपात सेवाएँ, स्वयंसेवक दल और समुदाय कितनी शीघ्रता एवं समन्वय के साथ कार्य करते हैं।

1. खोज और बचाव की प्रारंभिक कार्यवाही

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष **(EOC)** सक्रिय किया जाता है।
- **SDRF**, **NDRF**, फायर सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य एवं होमगार्ड को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया जाता है।
- स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग और संभावित जोखिमों का आकलन किया जाता है।
- प्राथमिक उद्देश्य होता है–जीवित लोगों की खोज, फंसे हुए व्यक्तियों को निकालना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

2. जिम्मेदार एजेंसियॉ और उनका दायित्व–

एजेंसी / विभाग	मुख्य जिम्मेदारी
SDRF / NDRF	खोज, बचाव और निकासी कार्यों का संचालन
फायर सर्विस	मलबा हटाना, आग बुझाना और फंसे लोगों को निकालना
पुलिस विभाग	भीड़ नियंत्रण, क्षेत्र की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन
स्वास्थ्य विभाग	घायलों का प्राथमिक उपचार एवं अस्पताल तक पहुंचाना
राजस्व विभाग / स्थानीय प्रशासन	राहत व्यवस्था, रिपोर्टिंग और समन्वय
ग्राम पंचायत / आपदा मित्र	स्थानीय सहयोग, जानकारी और प्राथमिक सहायता

3. खोज और बचाव की प्रक्रिया–

1. क्षेत्र का विभाजन (Zoning): प्रभावित क्षेत्र को सेक्टरों में बांटकर टीमें अलग–अलग भागों में कार्य करती हैं।

2. संभावित स्थलों की पहचानः घरों, स्कूलों, इमारतों, ढलानों और नदियों के किनारे खोजबीन की जाती है।

3. प्राथमिकताः

- गंभीर रूप से प्रभावित स्थलों पर पहले कार्य।
- बच्चों, वृद्धों और घायलों को प्राथमिकता।

4. बचाव उपकरणों का प्रयोग–

- हाइड्रोलिक कटर, जैक, रस्सी, हेलमेट, सर्च लाइट, स्ट्रेचर आदि का उपयोग।

5.संचार प्रणाली–

- सभी टीमों के बीच वायरलेस या मोबाइल संपर्क बनाए रखना।

4. स्थानीय समुदाय की भूमिका–

- आपदा मित्र, स्वयंसेवी संगठन, NCC / NSS छात्र और स्थानीय नागरिक प्रारंभिक सहायता में भाग लेते हैं।
- ग्रामीण स्तर पर बनी **Village Disaster Management Committee (VDMC)** राहत और जानकारी साझा करने में सक्रिय रहती है।
- स्थानीय वाहन धारकों, चिकित्सकों, दुकानदारों आदि का सहयोग लिया जाता है।

5. प्राथमिक चिकित्सा और निकासी–

- बचाए गए लोगों को निकटतम सुरक्षित क्षेत्र या राहत शिविर में पहुंचाया जाता है।
- स्वास्थ्य दल द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जाता है।
- गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल / CHC / PHC में स्थानांतरित किया जाता है।

6. विशेष पिरिस्थितियों में खोज एवं बचाव–

आपदा का प्रकार	विशेष कार्यवाही
भूकंप	मलवा हटाने में सवधानी, इमारतों की स्थिरता जांचना
भूस्खलन	फिसलन के खतरे से बचाव
बाढ़ / बादल फटना	नौकाओं और रस्सी पुलों का उपयोग, ऊँचे स्थानों पर निकासी
आगजनी	गैस सिलिंडर, बिजली और रासायनिक पदार्थों से दूरी
सड़क दुर्घटना	यातायात नियंत्रण, घायलों की शीघ्र चिकित्सा सहायता

7. समन्वय एवं रिपोर्टिंग–

- सभी बचाव दलों का समन्वय जिलाधिकारी / EOC के माध्यम से होता है।
- प्रत्येक दल अपनी गतिविधियों की रोज़ाना रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को भेजता है।
- घटनास्थल पर कार्य समाप्ति के बाद क्षति का प्रारंभिक मूल्यांकन **(Preliminary Damage Assessment)** किया जाता है।

8. सुरक्षा उपाय–

- सभी टीमों को उचित सुरक्षा उपकरण **(PPEs)** पहनना अनिवार्य है।
- विद्युत लाइनों, अस्थिर इमारतों और खतरनाक रासायनिक पदार्थों से दूरी बनाई जाती है।
- रात्रिकालीन बचाव के समय उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

उद्देश्य–

- मानव जीवन की रक्षा करना।
- अधिकतम लोगों को समय पर सहायता और उपचार प्रदान करना।
- हानि को न्यूनतम करना और त्वरित राहत सुनिश्चित करना।

खोज एवं बचाव कार्य आपदा प्रबंधन का सबसे संवेदनशील और मानवकेंद्रित चरण है। प्रशासनिक तैयारी, त्वरित समन्वय, प्रशिक्षित बलों की उपलब्धता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ही इन कार्यों की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

12.5 राहत कार्य (Relief Operations)-

किसी भी आपदा की स्थिति में राहत कार्य सबसे महत्वपूर्ण, त्वरित और मानवीय जिम्मेदारी होती है। राहत कार्यों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं कृ भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा और सुरक्षा को शीघ्रता से उपलब्ध कराना है।

1. राहत कार्यो के मुख्य उद्देश्य–

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जीवित बचे लोगों की सुरक्षा और जीवनरक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रभावित जनसंख्या को भोजन, पेयजल, कपड़े, तात्कालिक आश्रय और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- अस्थायी राहत शिविरों की स्थापना तथा उनमें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- राहत कार्यों के दौरान न्यायसंगत वितरण, पारदर्शिता और प्राथमिकता आधारित व्यवस्था लागू करना।

2. राहत कार्यो की प्रक्रिया–

(i) प्रारंभिक चरण

- आपदा के तुरंत बाद जिला आपदा नियंत्रण कक्ष **(EOC)** सक्रिय किया जाता है।
- प्रभावित क्षेत्रों की त्वरित क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- SDRF, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, जलसंस्थान, विद्युत, परिवहन आदि विभागों को तैनात किया जाता है।

(ii) राहत वितरण व्यवस्था

- राजस्व विभाग द्वारा शिविर स्थापना एवं सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाती है।
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा भोजन सामग्री (चावल, आटा, दाल, नमक, तेल आदि) उपलब्ध कराई जाती है।
- जल संस्थान द्वारा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों में चिकित्सा सुविधाएँ और टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है।

3. राहत शिविरों की स्थापना–

- सुरक्षित, ऊँचे एवं सुलभ स्थानों पर अस्थायी राहत शिविर **(Relief Camps)** स्थापित किए जाते हैं।

- शिविरों में निम्न सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं–
  - स्वच्छ पेयजल और शौचालय व्यवस्था
  - पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं दवाइयाँ
  - बिजली, रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था
  - बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों के लिए अलग सेक्शन
  - मनोवैज्ञानिक परामर्श **(Counselling)**

4. राहत सामग्री का प्रबंधन–

समग्री का प्रकार	जिम्मेदार विभाग/एजेन्सी
खाद्य सामग्री (चावल, दाल, तेल आदि)	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
पानी और स्वच्छता	जल संस्थान/जल निगम
तंबू,कंबल, कपड़ें	जिला प्रशासन/रेडक्रॉस
दवाइयॉ और स्वास्थ्य सामग्री	स्वास्थ्य विभाग
संचार एवं समन्वय	जनपद आपदा नियत्रंण कक्ष (DEOC)

5.राहत वितरण की प्राथमिकताएँ–

1. बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ और विकलांग व्यक्ति
2. अत्यधिक प्रभावित और दूरस्थ गाँव
3. ऐसे परिवार जिनका आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ हो
4. जिनके पास स्वयं का भोजन या आवास का साधन उपलब्ध न हो

6.राहत कार्यों में सम्बन्ध–

- राहत कार्यों का समन्वय जिलाधिकारी (Incident Commander) के नेतृत्व में किया जाता है।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करता है।
- राहत कार्यों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नामित किए जाते हैं।

7.राहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही–

- सभी राहत सामग्री का विवरण एवं वितरण सूची रजिस्टर में दर्ज की जाती है।
- राहत वितरण की दैनिक रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को भेजी जाती है।
- राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर/शिकायत केंद्र स्थापित किया जाता है।

8. राहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही–

- आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाएँ**(NGOs)**, रेडक्रॉस, एनसीसी / एनएसएस / स्काउट्स एंड गाइड्स को राहत कार्यों में शामिल किया जाता है।
- स्थानीय व्यापारियों, धार्मिक संस्थाओं और नागरिक समितियों से सहयोग प्राप्त किया जाता है।ण

9. राहत कार्यों के बाद पुनर्वास की तैयारी–

• प्रभावित परिवारों का डाटा संग्रह किया जाता है ताकि पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया आरंभ की जा सके।

• राहत शिविरों से विस्थापित लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित वापसी (**Safe Return**) में सहायता दी जाती है।

• प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, स्वास्थ्य निगरानी और संक्रमण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

10.उद्देश्य–

• संकटग्रस्त जनसंख्या को शीघ्र राहत पहुँचाना।

• मानवीय गरिमा बनाए रखना और पीड़ितों में विश्वास बहाल करना।

• राहत प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना।

राहत कार्य किसी भी आपदा प्रबंधन प्रणाली की रीढ़ होते हैं। इन कार्यों की सफलता त्वरित निर्णय, बहु–विभागीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत कार्य न केवल शीघ्र हों, बल्कि मानवीय गरिमा और पारदर्शिता के साथ संचालित हों।

12.6आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता(Availability of Essential Services)-

आपदा की स्थिति में सामान्य जनजीवन को शीघ्र बहाल करने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है।

इन सेवाओं का उद्देश्य है– जनता को जीवन रक्षक सुविधाएँ, संचार माध्यम, चिकित्सा सहायता, ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना।

1. आवश्यक सेवाओं की परिभाषा–

"आवश्यक सेवाएँ" वे सेवाएँ हैं जो आपदा के दौरान और उसके बाद भी नागरिकों की जीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनिवार्य होती हैं। इनमें मुख्यतः निम्न सेवाएँ सम्मिलित हैंरू

• जलापूर्ति (Water Supply)

• विद्युत आपूर्ति (Power Supply)

• स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा (Health & Medical Service)

• परिवहन एवं संचार (Transport & Communication)

• खाद्य एवं रसद (Food & Essential Commoditiè)

• स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन (Sanitation & Waste Disposal)

2. आवश्यक सेवाओं की परिभाषा–

(i) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (Water Supply & Sanitation)

• जल संस्थान/जल निगम द्वारा आपातकालीन जल टैंकर सेवा शुरू की जाएगी।

• राहत शिविरों एवं अस्पतालों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

• हैंडपंप, ट्यूबवेल एवं पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत एवं क्लोरीनेशन की व्यवस्था की जाएगी।

• स्वच्छता कर्मियों की टीम राहत शिविरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन करेगी।

(ii) विद्युत आपूर्ति (Electricity Supply)

• ऊर्जा निगम द्वारा आपातकालीन बिजली पुनर्स्थापन दल (**Emergency Power Restoration Team**) गठित किया जाएगा।

• आवश्यक संस्थानों जैसे अस्पताल, म्ब, राहत शिविर आदि कृ में डीजल जनरेटर सेट की व्यवस्था होगी।

- विद्युत लाइनों की सुरक्षा और त्वरित मरम्मत हेतु टीमों को तैयार रखा जाएगा।

(iii) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ (Health and Medical Services)

- सभी CHC, PHC और जिला अस्पतालों में 24X7 सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs)प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएंगी।
- प्राथमिक उपचार, दवाइयाँ, टीकाकरण और मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- रक्तदान शिविर और एम्बुलेंस सेवाएँ तत्पर रहेंगी।

(iv) परिवहन एवं संचार (Transport & Communication)

- सड़कों की स्थिति का त्वरित निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग (Alternate Routes) निर्धारित किए जाएंगे।
- परिवहन विभाग आपातकाल में राहत सामग्री और कर्मियों के आवागमन हेतु वाहन उपलब्ध कराएगा।
- बीएसएनएल, JIO, एयरटेल जैसी कंपनियाँ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए तत्पर रहेंगी।
- वायरलेस सेट और सैटेलाइट फोन का उपयोग वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप में किया जाएगा।

(v) खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएँ (Food & Essential Commodities)

- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ वितरित की जाएंगी।
- राहत शिविरों में भोजन, शिशु आहार, दाल, तेल, नमक, दूध और शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति होगी।
- निजी दुकानदारों और थोक व्यापारियों से सहयोगात्मक व्यवस्था **(Coordination Mechanism)** बनाई जाएगी।

3. आवश्यक सेवाओं की प्राथमिकता सूची–

क्र.सं.	सेवा का नाम	उत्तरदायी विभाग/संस्था	वैकल्पिक व्यवस्था
1	जलापूर्ति	जल संस्थान/जल निगम	टैंकर/हैण्डपंप/बॉटल्ड वाटर
2	विद्युत आपूर्ति	ऊर्जा निगम	जनरेटर/सोलर सिस्टम
3	स्वास्थ्य सेवा	स्वास्थ्य विभाग/CMO	मोबाईल हेल्थ यूनिट/108 एम्बुलेंस
4	परिवहन	परिवहन विभाग/PWD	वैकल्पिक मार्ग/निजी वाहन
5	संचार	बी0एस0एन0एल0/निजी ऑपरेटर	वायरलेस/सैटेलाईट फोन
6	खाद्य सामग्री	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	स्थानीय आपूर्ति/NGO सहयोग
7	स्वच्छता	नगर पालिका/पंचायत	अस्थायी शौचालय/अपशिष्ट निस्तारण

4. विभागीय समन्वय और निगरानी–

- प्रत्येक विभाग अपने नोडल अधिकारी को नामित करेगा जो आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण कक्ष से जुड़ा रहेगा।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) प्रत्येक आवश्यक सेवा की स्थिति की दैनिक रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करेगा।
- सभी सेवाओं की बहाली की प्राथमिकता सूची जिलाधिकारी द्वारा तय की जाएगी।

5. सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी

- स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs), स्थानीय उद्योगों और CSR इकाइयों से आवश्यक सेवाओं में सहयोग लिया जाएगा।
- निजी अस्पताल, एम्बुलेंस ऑपरेटर, जल सप्लाई एजेंसियाँ और बिजली प्रदाता कंपनियाँ जिला प्रशासन के साथ साझेदारी में कार्य करेंगी।

6. उद्देश्य

- जनता को आपदा काल में आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना।
- सार्वजनिक जीवन में अवरोध को न्यूनतम रखना।
- राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना।

आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं की निरंतरता ही किसी जिले की आपदा सहनशीलता (**Disaster Resilience**) का प्रमुख मापदंड होती है। प्रभावी योजना, विभागीय तैयारी, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से ही इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

12.7 शव निपटान (Dead Body Disposal)-

आपदा के दौरान अनेक बार बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृतकों का वैज्ञानिक, सम्मानजनक और त्वरित निस्तारण करना प्रशासन की अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदार प्रक्रिया होती है।इसका उद्देश्य है कृ जन स्वास्थ्य की रक्षा, संक्रमण के प्रसार को रोकना, और मृत व्यक्तियों की पहचान एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना।

1. उद्देश्य

- मृत व्यक्तियों की पहचान (Identification) करना और उसका रिकॉर्ड रखना।
- संक्रमण, महामारी या प्रदूषण के खतरे को न्यूनतम करना।
- मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार या दफन सुनिश्चित करना।
- परिवारजनों को सूचित कर संभव हो तो उनकी उपस्थिति में अंतिम क्रिया कराना।

2. प्रक्रिया (Procedure of Dead Body Disposal)–

(i) स्थल का नियंत्रण (Site Control)

- जैसे ही मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व टीम स्थल पर पहुंचती है।
- क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है और साक्ष्य संरक्षण के लिए सीमा निर्धारित की जाती है।

(ii) पहचान और रिकॉर्डिंग (Identification and Documentation)

- प्रत्येक मृत व्यक्ति की फोटो, कपड़े, पहचान पत्र, शरीर पर पाए गए निशान आदि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है।
- फिंगरप्रिंट/डीएनए सैंपल (यदि संभव हो) लिए जाते हैं।
- पूरी जानकारी Dead Body Identification Register में दर्ज की जाती है।
- यदि पहचान संभव नहीं है, तो मृतक को "अज्ञात"(Unidentified) के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

(iii) पोस्टमॉर्टम और प्रमाणन (Postmortem and Certification)

- कानूनन आवश्यक होने पर मृत शरीर को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा जाता है।
- चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण प्रमाणित (क्मंजी ब्मतजपपिबंजम) किया जाता है।

(iv) परिवारजनों को सूचना (Intimation to Family)

- यदि मृतक की पहचान हो जाती है, तो उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी जाती है।
- परिजनों की सहमति से अंतिम संस्कार या दफन कराया जाता है।

3. अंतिम संस्कार या दफन की व्यवस्था(CremationBurial Arrangements)

- स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित स्थानों पर ही अंतिम संस्कार या दफन किया जाएगा।
- सामूहिक मृत्यु की स्थिति में सामूहिक दाह/दफन स्थल **(Mass Cremation@Burial Site)** बनाया जाएगा।
- अंतिम संस्कार के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा किरू
    - स्थल स्वास्थ्य विभाग की सलाह से चयनित हो।

- शवों का रासायनिक कीटाणुनाशक (Disinfectant) से उपचार किया जाए।
- स्थानीय धार्मिक रीति–रिवाजों का यथासंभव पालन किया जाए।

4. स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय (Health & Safety Measures)

- सभी कर्मियों को PPE किट, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, बूट आदि प्रदान किए जाएंगे।
- शवों के परिवहन हेतु कवर किए गए वाहन (**Covered Vehicles**) का प्रयोग किया जाएगा।
- शवों को बॉडी बैग या पॉलीथिन शीट में लपेटा जाएगा।
- स्थल की साफ–सफाई और संक्रमण नियंत्रण (**Disinfection**) प्रतिदिन किया जाएगा।

5. जिम्मेदार विभाग एवं भूमिका–

विभाग / एजेन्सी	मुख्य दायित्व
राजस्व विभाग	मृतकों की सूची और रिकॉर्डिंग
स्वास्थ्य विभाग	पहचान, प्रमाणन और संक्रमण नियंत्रण
पुलिस विभाग	कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्य संरक्षण और रिपोर्टिंग
नगर निकाय / पंचायत	टंतिम संस्कार स्थल की तैयारी और प्रबन्धन
NGOs / स्वयंसेवी संगठन	परिजनों की सहायता और मनौवैज्ञानिक समर्थन

6. विशेष परिस्थिति में व्यवस्था–

आपदा का प्रकार	विशेष सावधानी
भूकम्प / भूस्खलन	शवों को मलवे से निकालते समय PPE का प्रयोग
बाढ / बादल फटना	ज्लजनित संक्रमण से बचाव हेतु क्लोरीनेशन
महामारी / संक्रामक रोग	विशेष बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल अपनाना
आगजनी	ज्ले हुऐ शवों की पहचान हेतु विशेषज्ञ जॉच

7. दस्तावेज़ीकरण एवं रिपोर्टिंग

- प्रत्येक शव का क्रम संख्या, स्थान, फोटो और विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
- अज्ञात शवों की रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष और पुलिस विभाग को भेजी जाएगी।
- मृत व्यक्तियों की अंतिम संख्या और पहचान की स्थिति की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

8. मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग (Psychosocial Support)

- मृत व्यक्तियों के परिजनों को काउंसलिंग और मानसिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्थानीय NGOs, रेडक्रॉस, धर्मगुरु एवं समाजसेवक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

9. उद्देश्य

- मृत व्यक्तियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना।
- संक्रमण और जनस्वास्थ्य जोखिम को रोकना।
- प्रशासनिक पारदर्शिता और मानवीय संवेदना बनाए रखना।

शव निपटान आपदा प्रबंधन का सबसे संवेदनशील चरण है। इसमें मानवीय गरिमा, वैज्ञानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता का संतुलन आवश्यक है। मृतकों का सम्मानपूर्वक निस्तारण समाज में विश्वास बहाल करता है और आपदा प्रबंधन के मानवीय स्वरूप को दर्शाता है।

शवों को विमान से ले जाने हेतु उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी कि गयी एस0ओ0पी0 :–

SOP forTransportationofDeadBodiesbyAir

उत्तराखण्ड शासन

Uttarakhand State Disaster Management AuthorityGovernmentof Uttarakhand

Pilgrimage, tourism, and adventure sports destinations located in the state of Uttarakhand attract person sin largen umbers from across the country andabroad. Unfortunate incidences (accidents / disasters / illness) sometimes result in deathof these persons. Next of kin (NOK) of the deceased persons often want totransport the dead body to their native place. A number of formalities havehowevertobecompletedfortheairlinetoacceptthedeadbodyfortransportation.

The following checklist would facilitate smooth transport of dead bodies by airandavoidinconveniencetobothNOKofthedeadandtheofficialsdeliveringthebody:

1. The person accompanying the dead body should have the followingdocumentswithregardtothedeadpersonwhosebodyisbeingtransported:
   (a) InquestReport(Panchnama)
   (b) DeathCertificate/PostMortemReport
   (c) Addressofcorrespondence
   (d) Identityproofhavingphotograph
2. To be transported by air the dead body has to be embalmed (medicalproceduredelayingdecayanddecomposition).
3. Embalming is carried out at 06 hospitals in Uttarakhand that include (i)All India InstituteofMedicalSciences,Rishikesh,(ii)GovernmentDoonMedicalCollage,Dehradun,(iii)GovernmentMedicalCollage,Haldwani, (iv) Veer Chandra Singh Garhwali Government Institute ofMedicalScienceandResearch,Srinagar,(v)SwamiRamaHimalayan University, Doiwala, (vi) Shri Guru Ram Rai Institute of Medical andHealth Sciences, Dehradun and (vii) Sridev Suman Subharati Medical Collage, Dehradun.
4. Nodal Officers have been nominated at these hospitals for facilitatingembalming facility. Any change in the details of the Nodal Officers would be brought to the notice of Director General, Health and Family Welfare, Government o fUttarakhand. Details of the nominated Nodal Officers are as given below:

1.	All India Institute ofMedicalSciences,Rishikesh	Dr. Mukesh Singhala,AssociateProfessor	9837691777 mukeshaiimsrishikesh@gmail.com
		Dr. MSAnsari,Assistant Professor	7500277776 msalahuddin.ansari12@gmail.com
2.	Government DoonMedicalCollage, Dehradun,	Dr.MK Pant	9897470722 pant.mahendra@gmail.com
3.	Government Medical Collage,Haldwani	Dr. Richa Niranjan,AssociateProfessor	9758512594 niranjanricha@yahoo.co.in
4.	VeerChandraSinghGarhwaliGovernmentInstituteofMedicalScience and Research, Srinagar	Dr. Anil Kumar Dwivedi,Assistant Professor	7536873898 Dranildwivedi2009@gmail.com
5.	Swami RamaHimalayan University, Doiwala	PatientCareExecutive	8194009605 0135-2471202
6.	Shri Guru Ram RaiInstitute of MedicalandHealthSciences, Dehradun	Dr. Suchit Kumar,Assistant Professor	8791065465 Skumar1422@yahoo.com
7.	Sridev Suman Subharati MedicalCollage,Dehradun	Dr. Khursheed	9716147173 khursheedraza77@gmail.com

5. The concerned district administration would officially nominate Sub-Divisional Magistrate / Circle Officer of Police having jurisdiction overtheAirportforcoordinatingwithAirportauthoritiesandmakingnecessary arrangementsfortransportation ofthedead body by air.

6. Sub-divisional Magistrate / Circle Officer of Police having jurisdictionovertheAirportortheNextofKin(NOK)ofthedeceasedpersonshouldcontactthe NodalOfficeroftheidentifiedhospitalinadvanceforgettingthebodiesembalmed.

7. Terminal Manager of the Airport isthe Nodal Officer of Airport AuthorityofIndiaforfacilitatingtransportofdeadbodiesbyair.TerminalManagerat Jolly Grant airport can be contacted at 0135 – 2412052 while that atPantanagarairport canbecontactedat 05944–233685.

8. After embalming the Nodal Officer of the hospital is to hand over thebody to the NOK of the dead person or to the officer / person designatedforthispurpose.

9. Concerned Nodal Officer of the hospital undertaking embalming shouldinformtheNodalOfficerof Policeso asto ensurepresenceof theconcernedofficialsforfulfillingnecessaryformalitieswhilehandingoverthebodyafter embalming.

10. Thepersonarrangingcoffinfortransportingthedeadbodyshouldensurethat he/she obtains a certificate from the party supplying the coffin thatthewood used in thecoffin istermitefreeand thereisnoleakage

11. The designated Circle Officer of Police should inspect the coffin at thetime of sealing the same and issue a certificate declaring that the coffincontains dead body only and no hazardous material. This should alsomention that the Police has no objection in transportation of the deadbody.
12. Concerned Nodal Officer of the hospital undertaking embalming shouldensurethatthepersonbeinghandedoverthedeadbodyhas properphotoidentification to establish his/her relationship with the deceased or hasauthority letterfrom theconcerneddistrict /stateauthority.
13. Details of the dead and the person carrying the dead body should bemaintainedbytheconcernedSub-divisionalMagistrate.
14. The person /NOK carrying the body should ensure that the documentsmentioned below are ready and complete before boarding the dead bodytotheplane:
    (a) InquestReport(Panchnama)
    (b) DeathCertificate/PostMortemReport
    (c) No objection letter from the person who has made the coffinmentioning that the wood used in the coffin is termite free andthereisnoleakage
    (d) EmbalmingCertificate
    (e) Photoidentityofdeadperson
    (f) Letter / certificate from Police clearly mentioning that the coffincontainsonlythedeadbodyandnoexplosives/hazardousmaterial and the Police has no objection in transportation of thedeadbody.
15. Bodyisacceptedforboardingonly2hoursbeforethescheduleddeparture of the flight as the airports at Jollygrant and Pantnagar do nothavenecessaryrefrigerationfacilitiesinthebaggagearea.

-----****-----****-----****-----****-----****-----****-----****-----****----

वाहन दुर्घटना तथा समय–समय घटित होने वाली घटनाओं हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP)

उत्तरकाशी जनपद भौगोलिक बनावट के दृष्टिगत प्राकृतिक आपदा सहित समय–समय पर अन्य घटनाओं, वाहन दुर्घटनाओं सहित वनाग्नि, ऑधी–तूफान, लकड़ी के मकान होने के कारण गांव में अग्निकाण्ड की घटनायें, भूस्खलन पेड़ के गिरने से मार्ग अवरूद्व होने पर चारधाम यात्रा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग में यात्रियों के जन–जीवन की क्षति के साथ ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनपद में ट्रैकिंग की गतिविधियों में होने वाली र्दुघटनाओं एवं उपरोक्त अन्य स्थितियों में जन सामान्य की तात्कालिक सहायता, राहत–बचाव, प्राथमिक उपचार व आपातकाल स्थिति में उच्च चिकित्सीय उपचार हेतु रेफर किये जाने हेतु हैलीकाप्टर आदि की मदद ली जानी होती है। उक्त कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में सम्बन्धित अधिकारियों का बिना सूचना के आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित होनेा अपरिहार्य है। ऐसी स्थितियों में आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत निम्नानुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्यवाही की जानी निर्धारित की जाती है।

1. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, टिहरी गढ़वाल द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

i. वाहन दुर्घटना, वनाग्नि, अग्निकाण्ड, ऑधी–तूफान, भूस्खलन व अन्य कारणों से अधिक समय तक मार्ग अवरूद्व होना व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तसहील/ग्राम स्तरीय घटनओं की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0/पुलिस बल/क्यू0आर0टी0 एवं

सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही सम्बन्धित घटना से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों यथा–उप जिलाधिकारी, सड़क से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कमान अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी,आर0टी0ओ0, जिला सूचना अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

II. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) द्वारा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जाएगा।

III. घटना के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर समय–समय पर ए0टी0आर0 तैयार कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून को प्रेषित किया जाएगा।

2. उप जिलाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

I. घटना की सूचना प्राप्त होते ही सर्वप्रथम तहसीलदार/नायब तहसीलदार को तत्काल दुर्घटना स्थल पर रवाना किया जाएगा। संचार विहीन क्षेत्र होने की स्थिति में सैटेलाईट फोन साथ ले जाया जाना सुनिश्चित की जाय, जिससे प्रत्येक आधे घण्टे की सूचना नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराना जाना सुनिशिचित किया जाय।

II. घटना की सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना न्यूनतम समय में व्हाट्सएप/दूरभाष/आर0जी0 के माध्यम से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

III. सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक का तत्काल घटना स्थल के नजदीकी चिकित्सालय में रवाना किया जाएगा तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर उपचार हेतु समस्त सुविधाओं को दुरूस्त करवाते हुए घायलों को समुचित चिकित्सीय सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जाऐंगी।

IV. Higher Center रेफर किये जा रहे मरीजों का सम्पूर्ण विवरण तथा रेफर हॉस्पिटल को सूचना, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. मृतकों के पंचनामा आदि की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करवायी जाएगी।

VI. घटना स्थल पर खोज–बचाव कार्य में लगी हुई टीमों के भोजन, पानी आदि की व्यवस्था पूर्ति विभाग के सहयोग से जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम के निर्देशानुसार की जाएगी।

VII. घटना स्थल यदि अन्य जनपद की सीमा पर स्थित हो तो उस जनपद के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनिवार्य रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाए जिससे कि उस जनपद से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सकें।

3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. घटना के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम, ऑक्सीजन सिलेण्डर, जीवन रक्षक दवाईयों के साथ 24 x 7की तर्ज पर QRTमय विभागीय एम्बुलेंस तैयार रखी जाए। जिसकों दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही न्यूनतम समय पर घटना स्थल की ओर रवाना किया जा सके।

II. अपने स्तर से 108 एम्बुलेन्स को सूचित किया जाएगा तथा उसके Movement पर नजर रखी जाएगी।

III. बड़ी घटना की स्थिति में मृतकों के Post Mortem की कार्यवाही हेतु डाक्टरों की टीम का गठन करते हुए घटना स्थल की ओर रवाना किया जाएगा।

IV. घायलों को हॉयर सेन्टर से की और रवाना किये जाने की दशा में उक्त सेन्टर से नियमित सम्पर्क करते हुए हॉयर सेन्टर पहुंचने पर इन्चार्ज हॉयर सेन्टर से घायलों को दिये जा रहे ईलाज तथा उनके उद्यतन स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते हुए, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DE0C) को अवगत कराया जाएगा।

V. गम्भीर घायल व्यक्तियों हेतु यदि हैलीकॉप्टर की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रारूप पर इसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से DDMO/जिलाधिकारी महोदय, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DE0C) को उपलब्ध करायेंगे।

4. पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. घटना की सूचना प्राप्त होने पर जो टीम सम्बन्धित थाने/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 मौके पर रवाना होती है उस टीम का विवरण मय

उपकरण आदि, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को भी उपलब्ध कराकर सूचना फोटो वीडियो सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट किया जायेगा।

II. घटना स्थल में पहुॅचकर राहत कार्य हेतु अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग से पुलिस कन्ट्रोल रूम (DCR) को अवगत करायेंगे।

III. अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग होने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम (DCR) द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को अवगत कराया जाएगा।

IV. घटना स्थल पर ट्रैफिक के सुगम आवागमन हेतु तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था कर कार्यवाही की जाएगी।

V. घटना स्थल पर तत्काल Cordon Off किया जाएगा, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य निर्बाध रूप से संचालित किये जा सकें।

VI. कोतवाली/थाना/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 से जब भी राहत–बचाव दल रवाना किया जाए उनके पास पर्याप्त प्रकाश उपकरण व संचार उपकरण होना सुनिशिचित किया जाय।

5. अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

I. .घटना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होना सुनिशिचित करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही से समन्वयक कर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

II. घटना स्थल की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाएगी तदोपरान्त उस क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सूचना समय–समय पर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को अवगत कराया जाएगा।

III. बड़ी घटना के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई राहत बचाव टीमों हेतु पानी की व्यवस्था के लिए जल संस्थान द्वारा पानी का टैंकर घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

IV. प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं/सेवाओं यथा–पेयजल, भोजन, विद्युत व यातायात मार्ग सुचारू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित

करेंगे तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट करना सुनिशिचित करेंगे।

6. सम्बन्धित सड़क विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. जिला आपातकालीन केन्द्र से घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्वयं अथवा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को अनिवार्य रूप से घटना स्थल की और रवाना किया जाएगा।

II. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा तत्काल मोटर मार्ग का निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया मोटर मार्ग से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

III. घटना स्थल के नजदीक अस्थाई हैलीपेड हेतु सुरक्षित स्थल का चयन किया जाएगा तथा उक्त स्थान के कोर्डिनेट जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराये जाऐंगे।

IV. घटना स्थल के नजदीक विभाग द्वारा सूचना पट्ट लगाये गये थे अथवा नहीं तथा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपयों का अपने रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

7. परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से वाहन दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही एक नामित अधिकारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये तकनीकि अधिकारी द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया दुर्घटना के कारणों का पता लगाना व आख्या उपलब्ध कराना।

II. वाहन में सवार व्यक्तियों का विवरण/संख्या/चालक आदि की सूचना तथा वाहन की फिटनेस आदि की सूचना एकत्रित करते हुए, सूचना से आपदा कन्ट्रोल रूम को अवगत कराना।

III. दुर्घटना स्थल से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस, सड़क सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रथम दृष्टया संयुक्त निरीक्षण आख्या तत्काल जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना।

8. वन विभाग द्वारा की जानी वाली कार्यवाही–

I. वानग्नि, आंधी–तूफान व भूस्खलन से पेड़ उखडने तथा टूटने से हुयी मार्ग बन्द तथा जन–धन की हानि की स्थिति में नोडल सक्षम अधिकारी को आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये क्षेत्रिय अधिकारी की उपस्थिति घटना क्षेत्र में कराते हुये पेड़ हटाने की कार्यवाही किया जाना।

II. ऐसे पेड़ जो भविष्य में आंधी–तूफान, भूस्खलन व वानाग्नि के कारण जन जीवन के लिए सम्भावित खतरा पैदा करते हो को तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना।

III. घटना प्रभावित क्षेत्रों में यथा आवश्यक पैदल मार्गो को सुलभ बनाया जाना।

उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) में जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गये हैं वो अपने से सम्बन्धित कार्यों का त्रुटि रहित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा उपरोक्त नामित समस्त विभागों में से प्रत्येक विभाग के 01–01 जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व से ही नामित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नामित अधिकारी घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) में उपलब्ध होंगे।

उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है तो उस स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

किसी भी घटना की स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र DEOC/अपर जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक संयुक्त कन्ट्रोल रूम के रूप में कार्य करेगा।

12–8 सूचना एवं मीडिया प्रबंधन (Information and Media Management)–

आपदा की स्थिति में सटीक, त्वरित एवं नियंत्रित सूचना का प्रवाह जनसुरक्षा, राहत कार्यों की दक्षता और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूचना एवं मीडिया प्रबंधन का उद्देश्य है कृ
"सत्य, समय पर और समन्वित जानकारी देकर जनविश्वास बनाए रखना तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनापस है।

1. उद्देश्य (Objectives)

- आपदा से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार सुनिश्चित करना।
- अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण रखना।
- मीडिया, सोशल मीडिया, और नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाना।
- विभिन्न विभागों, प्रशासनिक इकाइयों और नियंत्रण कक्षों के बीच सूचना समन्वय स्थापित करना।
- जनता में विश्वास, संयम और सहयोग की भावना बनाए रखना।

2. सूचना प्रवाह तंत्र (Information Flow Mechanism)

(i) प्राथमिक सूचना संग्रहण (Initial Information Collection)

- सूचना स्रोतरू राजस्व उप–निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, बीट पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि आदि।
- प्रारंभिक सूचना फॉर्म 01 (**Initial Incident Report**) के माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।
- नियंत्रण कक्ष द्वारा सूचना की पुष्टि (टमतपपिबंजपवद) संबंधित विभाग से की जाएगी।

(ii) सूचना का संकलन एवं विश्लेषण (Compilation & Analysis)

- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (क्म्ब्) सभी प्राप्त सूचनाओं को डिजिटल लॉग बुक में दर्ज करेगा।
- GIS मैपिंग एवं डेटा एनालिसिस के माध्यम से क्षति का त्वरित आकलन किया जाएगा।

(iii) सूचना का प्रसारण **(Dissemination of Information)**

- पुष्ट सूचना को DC / ADM / DDMA द्वारा अनुमोदित कर जनता तक पहुंचाया जाएगा।
- **सूचना प्रसारण के माध्यम–**
  - स्थानीय रेडियो, टीवी चौनल
  - जिला वेबसाइट एवं सोशल मीडिया अकाउंट (ज्ूपजजमत / ग, थ्बमइववा, ैंजे।चच हतवनचे)
  - जनघोषणाएं (च्नइसपब ।ददवनदबमउमदज ैलेजमउ)
  - SMS / IVRS अलर्ट सिस्टम
  - स्थानीय प्रतिनिधि / आशा कार्यकर्ता / स्वयंसेवक नेटवर्क

3. मीडिया प्रबंधन (Media Management)

(i) मीडिया समन्वय (Media Coordination)

- एक "मीडिया सेल"(Media Cell) का गठन किया जाएगा, जिसमें सूचना अधिकारी, NICप्रतिनिधि, और प्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- **मीडिया सेल का कार्य–**
  - आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना।
  - प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया कवरेज का समन्वय।
  - फेक न्यूज एवं अफवाहों का खंडन जारी करना।

(ii) प्रेस ब्रीफिंग (Press Briefing)

- जिला मजिस्ट्रेट नामित प्रवक्ता प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे।
- ब्रीफिंग में राहत कार्यों की स्थिति, क्षति का विवरण और अपीलें साझा की जाएंगी।

(iii) सोशल मीडिया मॉनिटरिंग (Social Media Monitoring)

- सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया **(Counter Messaging)** की जाएगी।
- जिला सूचना कार्यालय द्वारा Fact Check Desk संचालित किया जाएगा।

4.सूचना संचार व्यवस्था (Communication System)

माध्यम	डपयोग उद्देश्य	उत्तरदायी एजेंसी
VHF / वायरलेस सिस्टम	टापात संचार	पुलिस / SDRF / Fire
Satellite Phone	नेटवर्क विफलता की स्थिति में	DEOC / Tehsil Control Room
Mobile / Internet / NIC Portal	स्चना संप्रेषण एवं रिपोर्टिंग	DEOC / District Informatiocs Officer
लाउडस्पीकर / पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम	जनता तक चेतावनी व संदेश पहुंचाना	ULB / PRD / Police

5.मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व (Roles & Responsibilities)

विभाग / एजेन्सी	मुख्य दायित्व
जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC)	सभी सूचनाओं का केन्द्रीयकरण, सत्यापन और अनुमोदन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPRO)	मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति, जनसंपर्क गतिविधियॉ
NIC / IT Cell	त्कनीकी सहायता, वेबसाइट एवं डिजिटल प्रसाद
राजस्व / पुलिस विभाग	स्थल से प्रत्यक्ष सूचना एवं स्थिति रिपोर्टिंग
NGO / स्वयंसेवी संस्थाऍ	स्थानीय स्तर पर सूचना संचार एवं जागरूकता

6. चेतावनी एवं प्रारंभिक अलर्ट प्रणाली (Early Warning and Alert System)

- मौसम विभाग (प्डक्) एवं केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त चेतावनियों को SMS Gateway / Loudspeaker / Siren द्वारा प्रसारित किया जाएगा।
- Village Level Disaster Volunteers / Apda Mitr को त्वरित सूचना भेजी जाएगी।
- सभी अलर्ट संदेशों में तारीख, समय, और स्रोत का उल्लेख अनिवार्य होगा।

7. रिपोर्टिंग एवं दस्तावेज़ीकरण (Reporting and Documentation)

- सभी घटनाओं, अलर्ट, प्रेस रिलीज़, और अफवाह नियंत्रण की रिपोर्ट "Information & Media Register" में दर्ज की जाएगी।
- मीडिया क्लिपिंग्स, फोटोग्राफ्स, और वीडियो रिकॉर्ड DEOC Digital Archive में संग्रहीत किए जाएंगे।
- घटना उपरांत (Post&Disaster) एक Media Impact Assessment Report तैयार की जाएगी।

8. सार्वजनिक अपील एवं व्यवहार संहिता (Public Appeal and Code of Conduct)

- प्रशासन केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील करेगा।
- मीडिया से अनुरोध किया जाएगा कि वे सत्यापित सूचना ही प्रसारित करें और अफवाहों से बचें।
- किसी भी संवेदनशील जानकारी के फोटो या वीडियो प्रसारण से पहले प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी।

- "सूचना और मीडिया प्रबंधन का सार है कृ समय पर सत्य सूचना, नियंत्रित संचार, और जनसहभागिता।"
- सही सूचना संकट में विश्वास पैदा करती है, और यह विश्वास ही आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी शक्ति है।

12.9 वीआईपी विजिट प्रबंधन (VVIP) आगमन प्रबंधन (VVIP Visit Management)–

(Protocol and Management System for VVIP Visits during Disaster Situations)

आपदा की स्थिति में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी या अन्य टटप्च व्यक्तियों का दौरा स्वाभाविक है। ऐसे दौरों का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, राहत कार्यों का मूल्यांकन तथा जनता से संवाद स्थापित करना होता है। किन्तु यदि उचित समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था न हो तो यह दौरे राहत कार्यों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इसलिए संगठित, समयबद्ध और सुरक्षित प्रबंधन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

1. उद्देश्य (Objectives)

- आपदा प्रभावित क्षेत्र में VVIP के आगमन के दौरान सुरक्षा, समन्वय एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा न उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखना।
- स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के बीच संपूर्ण तालमेल (Coordination) बनाए रखना।

2. पूर्व तैयारी (Pre-Visit Preparations)

1. सूचना प्राप्त होते ही–

- VVIP आगमन की सूचना मिलते ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC) सभी संबंधित विभागों को सूचित करेगा।
- नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो संपूर्ण दौरे का समन्वय करेगा।

2. मार्ग एवं कार्यक्रम योजना (Route - Programme Plan):

- पुलिस विभाग एवं प्रशासन द्वारा रूट चार्ट, समय सारणी, एवं सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी।
- संभावित वैकल्पिक मार्ग (Alternate Route) का निर्धारण किया जाएगा।

3. स्थल निरीक्षण की तैयारी–

- निरीक्षण स्थल पर सुरक्षा, मीडिया व्यवस्था, जनसम्पर्क एवं संचार सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
- स्थानीय विभागों से वास्तविक और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट ैजंजने त्मचवतज) तैयार कराई जाएगी।

4. सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण–

- पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा घेरा, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई जाएगी।
- आपात स्थिति में उपयोग हेतु डमकपबंस न्दपज एवं त्मेबनम ज्मंउ तैनात रहेगी।

3. दौरे के दौरान व्यवस्था (During the Visit)

कार्य	उत्तरदायी विभाग	मुख्य बिन्दु
VVIP सुरक्षा व्यवस्था	पुलिस/सुरक्षा बल	रूट चार्ट, सुरक्षा घेरा, VIP Movement Control
सूचना एवं मीडिया समन्वय	DIPRO/NIC	मीडिया कवरेज, प्रेस ब्रीफिंग, सूचना नियंत्रण
स्थल निरीक्षण सुविधा	DM/ADM/IT Cell	वयरलेस सैटेलाइट फोन, मोबाइल कवरेज
भीड़ नियंत्रण एवं व्यवस्था	Police/PRD/Home Guard	भीड़ प्रबन्धन, बैरिकेडिंग, प्रवेश नियंत्रण

4. दौरे के उपरांत (Post&Visit Activities)

- VVIP दौरे के तुरंत बाद विस्तृत रिपोर्ट (Visit Report) तैयार की जाएगी जिसमें शामिल होंगे
  - दौरे का समय, स्थान, उद्देश्य एवं निरीक्षण विवरण।
  - VVIP द्वारा दिए गए निर्देशों की सूची।
  - लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।
- संबंधित विभागों को अपने–अपने स्तर पर Action Taken Report(ATR)प्रस्तुत करनी होगी।

5. विशेष निर्देश (Special Guidelines)

1. आपदा प्रभावित क्षेत्र में VVIP के आगमन के दौरान राहत कार्यों में बाधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
2. प्रभावित जनता से संवाद के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया जाए।
3. मीडिया कवरेज नियंत्रित एवं तथ्यात्मक हो कृ किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी का प्रसार न हो।
4. दौरे के दौरान उपयोग किए गए वाहन, हेलीकॉप्टर या संसाधन केवल आवश्यकता अनुसार ही लगाए जाएं।
5. प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था और राहत कार्यों में संतुलन बना रहे।

5. समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism)

ईकाई	उत्तरदायी अधिकारी	दायित्व
जिला प्रशासन	जिलाधिकारी	स्पूर्ण दौरे की निगरानी एवं समन्वय

(DDMA)		
पुलिस विभाग	SSP/CO	सुरक्षा, यातायात एवंज न नियंत्रण
सूचना विभाग (DIPRO)	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया कवरेज एवं प्रेस समन्वय
स्वास्थ्य विभाग	CMO	मेडिकल सुविधा एवं एम्बुलेंस
परिवहन विभाग	ARTO	वहन एवं पार्किंग व्यवस्था
लेक निर्माण विभाग (PWD)	EE/AE	मार्गों की मरम्मत एवं निरीक्षण तैयारी

"VVIP आगमन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राहत कार्यों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के विश्वास का प्रतीक है।" अतः प्रत्येक दौरा प्रशासनिक क्षमता, समन्वय और जनता के प्रति संवेदनशीलता का प्रतिबिंब होना चाहिए।

12.10 राहत शिविरों की स्थापना (Establishment of Relief Camps)–

(Setting Up and Management of Relief Camps During Disaster Situation)

आपदा की स्थिति में जब जनसंख्या अपने घरों से विस्थापित हो जाती है, तो राहत शिविर (Relief Camps) प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित, स्वच्छ, और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना होता है ताकि वे पुनःस्थापना की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रह सकें।

1. उद्देश्य (Objectives)

- प्रभावित लोगों को तात्कालिक आश्रय, भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएँ और सुरक्षा प्रदान करना।
- विस्थापित जनसंख्या की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- शिविरों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक व्यवस्था को बनाए रखना।
- राहत शिविरों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग और पुनर्वास की नींव तैयार करना।

2. राहत शिविर स्थापना की प्रक्रिया) Process of Camp Establishment)

चरण	प्रमुख गतिविधि	उत्तरदायी विभाग/अधिकारी
1– स्थन चयन	सुरक्षित, ऊँचे और सुलभ स्थान का चयन	SDM/Revenue Department/PWD
2–स्थल तैयारी	भूमि समतलीकरण, सफाई, तंबू या भवन की व्यवस्था	PWD/PRD/SDRF
3– बुनियादी सुविधाएँ	पानी, शौचालय, रौशनी, चिकित्सा सुविधा	Jal Sansthan/Energy/Health Dept.
4– पंजीकरण व्यवस्था	प्रभावित परिवारों का नामांकन और रिकॉर्ड संधारण	Revenue/Police
5–राहत सामग्री वितरण	भोजन, कपड़े, कंबल, दवाईयॉ, स्वच्छता सामग्री	Supply Dept./Red Cross/NGOs

3. शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ (Essential Facilities in Camps)

राहत शिविरों में निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए–

- स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था
- निःशुल्क भोजन वितरण केंद्र(ब्वउउनदपजल ज्ञपजबीमद)
- प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और स्वास्थ्य सेवाएँ
- बिजली, प्रकाश और संचार सुविधा
- महिलाओं और बच्चों के लिए पृथक सेक्शन
- कचरा निस्तारण एवं स्वच्छता व्यवस्था
- सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था

4. राहत शिविर प्रबंधन समिति (Camp Management Committee)

प्रत्येक राहत शिविर में एक शिविर प्रबंधन समिति (CMC) का गठन किया जाएगा जिसमें प्रशासनिक और सामुदायिक दोनों प्रतिनिधि शामिल होंगे।

पद	नामित अधिकारी / संस्था	दायित्व
शिविर प्रभारी	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	संपूर्ण शिविर संचालन
सहायक प्रभारी	राजस्व निरीक्षक / पंचायत सचिव	दैनिक गतिविधियाँ
स्वास्थ्य प्रभारी	स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि स्वास्थ्य	निगरानी एवं दवा वितरण
सुरक्षा प्रभारी	पुलिस विभाग	सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
स्वच्छता प्रभारी	नगर पालिका / ग्राम पंचायत	स्वच्छता और कचरा प्रबंधन
स्वयंसेवी समन्वयक	NGO / Red Cross	सहयोगी गतिविधियाँ

5. राहत शिविरों का संचालन (Operation and Maintenance of Camps)

- प्रत्येक शिविर में सुरक्षा गार्ड, प्रकाश व्यवस्था और सूचना केंद्र होना आवश्यक है।
- भोजन वितरण तीन समय–प्रातः, दोपहर और रात्रि में किया जाएगा।
- स्वास्थ्य दल द्वारा रोजाना चिकित्सा जांच और टीकाकरण किया जाएगा।
- स्वच्छता निरीक्षण प्रतिदिन किया जाएगा ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।
- प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counselling) भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. राहत शिविरों का बंद करना (Decommissioning of Camps)

- जब प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास या घर वापसी संभव हो जाती है, तो शिविरों को क्रमबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।
- बंद करने से पहले सभी सामग्री, अभिलेख और वितरण रजिस्टर को प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाएगा।
- स्थल की सफाई, सैनिटाइजेशन और कचरा निस्तारण किया जाएगा।
- प्रभावित परिवारों को पुनर्वास सहायता और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. विशेष दिशा–निर्देश (Special Guidelines)

- राहत शिविरों में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न हो।
- सभी राहत कार्यों में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और विकलांगों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए।

- शिविरों में मीडिया प्रवेश और रिपोर्टिंग नियंत्रित रूप से हो, ताकि गलत सूचना न फैले।
- राहत शिविरों का दैनिक निरीक्षण (Daily Monitoring) जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
- शिविरों की स्थिति का विवरण प्रतिदिन EOC को रिपोर्ट किया जाएगा।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

राहत शिविर केवल अस्थायी आश्रय स्थल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, प्रशासनिक दक्षता और सामुदायिक एकता का प्रतीक होते हैं।
प्रभावी राहत शिविर प्रबंधन से आपदा के दौरान न केवल जनहानि को रोका जा सकता है, बल्कि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी स्थापित की जा सकती है।

टिहरी बॉध (Tehri Dam)

टिहरी बॉध उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के न्यू टिहरी में भागीरथी नदी पर बना एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बॉध है, जिसकी ऊँचाई 260.05 मीटर है यह भारत का सबसे ऊँचा बांध और दुनिया का 13वां सबसे ऊँचा बांध है। टिहरी बॉध का निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ। टिहरी बॉध पर्यावरण संगठनों और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के विरोध का निशाना रहा है। टिहरी बॉध विरोधी संघर्ष समिति के संस्थापक वीरेंन्द्र दत्त सकलानी ने इस विशाल परियोजना से जुड़े परिणामों की ओर तुरन्त ध्यान दिलाया। पर्यावरण कार्यकर्त्ता सुन्दर लाल बहुगुणा ने 1980 के दशक से 2004 तक टिहरी बॉष विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया। यह विरोध शहरवासियों के विस्थापन और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणामों के खिलाफ था।

मानवाधिकार सम्बन्धी चिन्ताओं के अलावा, इस परियोजना के हिमालय की तलहटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में इतने बड़े बॉध के निर्माण के पर्यावरणीय परिणामों को लेकर भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। बांध की भू–वैज्ञानिक स्थिरता को लेकर भी चिन्ताए है। टिहरी बांध मध्य हिमालयी भूकम्पीय दर्रे में स्थित है, जो एक प्रमुख भूवैज्ञानिक दोष क्षेत्र है। अक्टूबर 1991 में इस क्षेत्र में 6.8 तीव्रता का भूकम्प आया था, जिसका केंद्र बॉध से 53 किमी (33 मील) दूर था। बॉध के समर्थकों का दावा है कि यह परिसर 8.4 तीव्रता के भूकम्प को झेलने के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ भूकम्प विज्ञानी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 8.5 या उससे अधिक तीव्रता के भूकम्प आ सकते हैं। यदि ऐसी कोई आपदा आती है, तो बॉध टूटने से नीचे की ओर स्थित कई कस्बे जलमग्न हो सकते है, जिसकी आबादी लगभग पांच लाख हैं।

टिहरी बॉध गैर मानसूनी अवधि में उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान इलाकों में सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहित जल को छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टिहरी बॉध परियोजनाः–
1.टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट–1000 मेगावाट
2.कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना–400 मेगावाट
3.टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट–1000 मेगावाट

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎️ **दूरभाष :**

01376-233433, 234793

📱 **मोबाइल :**

+91 94113 99080

✉️ **ई-मेल :**

deoctehri@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड ।